सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट 2014-15

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को भारत के राजपत्र असाधारण भाग- खंड 4 में प्रकाशित दिनांक 01 जून, 2015 भारत सरकार के संकल्प के अंतर्गत यथापेक्षित अपनी नौवीं रिपोर्ट प्रस्तुत करने का विशेषाधिकार प्राप्त है।

इस रिपोर्ट में 01 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015 तक की अवधि कवर की गई है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग

नई दिल्ली

आभार

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, योजना आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय सांख्यिकी संस्थान तथा अनेक शिक्षाविदों और विशेषज्ञों को उनके सहयोग और आयोग के साथ विचार-विमर्श के दौरान दी गई बहुमूल्य जानकारियों और सुझावों के लिए आभार व्यक्त करता है। यह आयोग के कारगर कार्यकरण में, विशेषकर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा दिए गए सहयोग की सराहना करता है।

आयोग के इस कार्य में विशिष्ट पदाधिकारियों, विशेषकर डॉ. टी. सी. ए. अनंत, सीएसआई, श्री ए. के. मेहरा, महानिदेशक (एनएसएसओ) तथा श्रीमती एस. जयलक्ष्मी, महानिदेशक (सीएसओ) से प्राप्त सक्रिय सहयोग और सहायता उल्लेखनीय है। आयोग, श्री एम. वी. एस. रंगनाधम, उपमहानिदेशक तथा आयोग सचिवालय के सहायक स्टॉफ, जिनके अथक प्रयासों के बिना आयोग का कार्य संभव नहीं हो पाता, की भूमिका की हार्दिक सराहना करता है।

(प्रो. बिश्वनाथ गोल्दार)
सदस्य

(प्रो. एस. महेन्द्र देव)
सदस्य

(प्रो. राहुल मुखर्जी)
सदस्य

(रमेश कोल्ली)
सदस्य

(श्रीमती सिन्धुश्री खुल्लर)
सचिव, योजना आयोग
पदेन सदस्य

(डॉ. प्रणब सेन)
अध्यक्ष

विषय-सूची

अध्याय	विवरण	पृष्ठ सं
	संक्षिप्ती	1-3
	कार्यकारी सार	4-11
1.	प्रस्तावना	12-16
2.	केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सांख्यिकीय कार्यकलापों की समीक्षा	17-37
3.	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सांख्यिकी कार्यलय के सांख्यिकीय कार्यकलापों की समीक्षा	38-56
4.	अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के कुछ सांख्यिकीय कार्यकलापों की समीक्षा	57-76

संक्षिप्ति

एसीएनएएस	राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी की सलाहकार समिति
एडीजी	अपर महानिदेशक
एएचएस	वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण
एआईसीटीई	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
एआईएसईएस	अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा सर्वेक्षण
एआईएसएचई	अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण
एएसआई	वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण
एएसएसएस	वार्षिक सेवा क्षेत्र सर्वेक्षण
एटीआर	की गई कार्रवाई रिपोर्ट
सीएपी	समन्वय तथा प्रकाशन विभाग
सीएपीआई	कंप्यूटर समर्थित निजी साक्षात्कार
सीबीईसी	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड
सीडी-रोम	कॉम्पैक्ट डिस्क –रीड-ऑनली मेमोरी
सीईएस	उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण
सीपीआई	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीएसआई	भारत के मुख्य सांख्यिकीविद्
सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय
सीएनएलएस	वृहत राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण
डीएसी	कृषि एवं सहकारिता विभाग
डीडीजी	उप महानिदेशक
डीईपीआर	आर्थिक नीति एवं अनुसंधान विभाग
डीईएस	अर्थ तथा सांख्यिकी निदेशालय
डीजी	महानिदेशक
डीजीसीए	महानिदेशक नागरिक उड्डयन
डीआईपीपी	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
डीएलएचएस	जिला स्तरीय परिवार एवं सुविधा सर्वेक्षण
डीओएलआर	भूमि संसाधन विभाग
डीपीडी	समंक विधायन प्रभाग
डीएसआईएम	सांख्यिकी तथा सूचना प्रबंधन विभाग
ईबी	परिगणना ब्लॉक
ईसी	आर्थिक गणना
ईएसडी	अर्थ सांख्यिकी प्रभाग
ईयू	रोजगार-बेरोजगारी

ईयूएस	रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण
एफओडी	क्षेत्र संकार्य प्रभाग
एफएसयू	प्रथम चरण इकाई
आईसीटी	सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी
आईसीएस	फसल सांख्यिकी में सुधार
आईआईपी	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
आईएस	औद्योगिक सांख्यिकी
आईएसओ	अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन
आईएसपी	सेवा उत्पादन सूचकांक
आईटीसी-एचएस	भारतीय व्यापार वर्गीकरण -संगत प्रणाली
जेएसओ	कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी
एलएफपीआर	श्रम बल भागीदारी दर
एमसीए	कार्पोरेट मामला मंत्रालय
एमएचआरडी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
एमओईएफसी	पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एमओएचएफडब्ल्यू	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय
एमओएसपीआई	सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एमपीसीई	प्रति व्यक्ति मासिक व्यय
एमएस	मास्टर प्रतिदर्श
एनएडी	राष्ट्रीय लेखा प्रभाग
एनसीईआरटी	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
एनसीओ	राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण
एनएफएचसी	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण
एनएचएआई	भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
एनआईसी	राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण
एनआईआईटी	राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान
एनआईटीआई	बदलते भारत के लिए राष्ट्रीय आयोग
एनएनएमबी	राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो
एनआरएसए	राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी
एनएससी	राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग
एनएसडीए	राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी
एनएसएस	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण
एनएसएसओ	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय
एनयूईपीए	राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय
ओईए	आर्थिक सलाहकार का कार्यालय

ओआरजीआई	भारत के महापंजीयक का कार्यालय
पीएलएफएस	आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण
पीएसयू	प्राथमिक प्रतिदर्श इकाई
पीयू	बेरोजगारी अनुपात
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरएसई	सापेक्ष मानक त्रुटि
आरएसओसी	बच्चों पर द्रुत सर्वेक्षण
एससीआईएस	औद्योगिक सांख्यिकी की मानक समिति
एसडीसी	सांख्यिकी अनावृत नियंत्रण
एससीएलएफसी	श्रम बल सांख्यिकी मानक समिति
एसडीपी	राज्य घरेलू उत्पाद
एसडीआरडी	सर्वेक्षण अभिकल्प तथा अनुसंधान प्रभाग
एसईईए	पर्यावरणीय, अर्थ लेखा प्रणाली
एसएमओसी	बाल परिणाम आकलन सर्वेक्षण
एसपीसीएल	मूल्य तथा जीवन लागत सांख्यिकी
एसपीआई	सेवा मूल्य सूचकांक
एसएसडी	सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग
एसएसओ	वरिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी
एसएसयू	द्वितीय चरण इकाई
एसयूटी	पूर्ति उपयोग तालिकाएं
टीएसी	तकनीकी सलाहकार समिति
टीआरडब्ल्यू	परिवहन अनुसंधान स्कंध
टीयूएस	समय उपयोग सर्वेक्षण
यू-डीआईएसई	एकीकृत -शैक्षिक जिला सूचना प्रणाली
यूएफएस	शहरी ढांचा सर्वेक्षण
यूजीसी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
यूनेस्को	संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन
यूनीसेफ	संयुक्त राष्ट्र बाल कोष
यूएनएसडी	संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग
यूआर	बेरोजगारी दर
यूटी	संघ राज्य क्षेत्र
डब्ल्यूबी	विश्व बैंक
डब्ल्यूजी	कार्यकारी समूह
डब्ल्यूपीआर	कार्य भागीदारी दर

कार्यकारी सार

परिचय

1. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग में एक अंशकालिक अध्यक्ष, चार अंशकालिक सदस्य और एक पदेन सदस्य हैं, जो 12 जुलाई, 2006 से कार्य कर रहे हैं। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् आयोग के सचिव हैं।

(पैरा 1.1 से 1.5)

2. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का एक 13 सूत्री अधिदेश है। इसके अलावा, एनएसएसओ के कार्यकारी परिषद के कार्य भी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को सौंपे गए। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आयोजित सांख्यिकी सर्वेक्षणों का निरीक्षण कार्य भी सौंपा गया है।

(पैरा 1.6 से 1.8)

3. आयोग ने वित्तीय वर्ष 2014-15 में नौ बैठकें आयोजित की। सभी नौ बैठकों में, आयोग ने सौंपे गए सभी मुद्दों और उसके अधिदेश में शामिल मुद्दों पर चर्चा की।

(पैरा 1.6 से 1.8)

4. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने कई समितियों का गठन किया और उनके माध्यम से कार्य किया। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अनुरोध पर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सीएसओ (एसएलडी) द्वारा थीम पेपर आमंत्रित किए गए थे। स्वास्थ्य सांख्यिकी पर डॉ. चारू गर्ग से प्राप्त थीम पेपर की इस रिपोर्ट में समीक्षा की गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना पर होने वाला वार्षिक व्यय संसद की सम्पत्ति पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की मांग से पूरा किया जा रहा है।

(पैरा 1.11 से 1.15)

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सांख्यिकी कार्यकलापों की समीक्षा

5. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने, निर्माण क्षेत्र को शामिल करने हेतु प्रत्येक वर्ष आयोजित वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के समान ही सेवा क्षेत्र पर वार्षिक सर्वेक्षण, कराने की परिकल्पना की है। छठी आर्थिक गणना से इस सर्वेक्षण हेतु उपयुक्त फ्रेम उपलब्ध हो सकेगा। ऐसे वृहत स्तर पर वार्षिक सर्वेक्षण आयोजित करने से पहले, एक प्रायोगिक सर्वेक्षण आयोजित किया गया था। सेवा क्षेत्र में वार्षिक आधार पर अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा में इकाइयों को शामिल करने की आवश्यकता को देखते हुए, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा, कार्यप्रणाली विवरण और सर्वेक्षण के आयोजन को देखते हुए, सेवा क्षेत्र पर स्थायी समिति गठित करने की भी सिफारिश की।

(पैरा 2.2 से 2.10)

6. तिमाही सकल घरेलू उत्पाद आदि के त्वरित अनुमानों की अल्पावधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, महत्वपूर्ण सेवा कार्यकलापों को शामिल करते हुए सेवा क्षेत्र उत्पाद सूचकांकों का संकलन कम से कम तिमाही आधार पर करना आवश्यक हो गया है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (ईएसडी) ने अन्य बातों के साथ-साथ, रेलवे, एयरपोर्ट तथा डाक सेवाओं के क्षेत्र के सूचकांक के संकलन की प्रक्रिया पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अनुमोदन की मांग की। इन तीनों सेवाओं में आंकड़ा प्रवाह की बाधाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई प्रणाली को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित कर दिया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने आंकड़ा प्रवाह में सुधार लाने के लिए पांच सिफारिशें भी की हैं।

(पैरा 2.11 से 2.18)

7. राष्ट्रीय लेखा की नई श्रृंखला, जिसमें आधार वर्ष को 2004-05 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया है, को 31 जनवरी, 2015 को जारी किया गया है। राष्ट्रीय लेखाओं की नई श्रृंखला में, जनवरी, 2015 में जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला को भी शामिल किया गया है। तथापि, आईआईपी और डब्ल्यूपीआई के मामले में यह संभव नहीं था। चूंकि आईआईपी तथा डब्ल्यूपीआई के मामले में नई श्रृंखला के भारण आरेखों को अंतिम रूप देने में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी आधार के रूप में कार्य करता है, इसलिए इन सूचकांकों की नई श्रृंखला को जारी करने के लिए राष्ट्रीय लेखाओं की नई श्रृंखला भी अवश्य रूप जारी की जाएगी। अत: राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी ने अन्य बातों के साथ-साथ, इस बात की भी सिफारिश की कि सीएसओ (एनएडी) द्वारा आधार वर्ष (संशोधित आधार वर्ष के लिए) अनुमान तैयार किए जांएगे और उन्हें जनवरी, 2015 तक सीएसओ (ईएसडी) तथा डीआईपीपी के साथ साझा करेगा और तत्पश्चात एक वर्ष के अंदर, सीएसओ (ईएसडी) तथा डीआईपीपी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएडी) को, आईआईपी तथा डब्ल्यूपीआई के संबंध में, संशोधित श्रृंखला उपलब्ध कराएगा।

(पैरा 2.19 से 2.23)

8. अखिल भारत औद्योगिक उत्पाद के सूचकांक के संकलन हेतु कार्य प्रणाली विकसित करने के लिए गठित कार्यकारी समूह ने अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक उत्पाद सूचकांक के आधार वर्ष को संशोधित करके उसे 2011-12 करने की सिफारिश की। कार्यकारी समूह की रिपोर्ट पर विचार करने के उपरांत राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने कार्यकारी समूह की सिफारिशों पर आधारित कार्यान्वयन के आगे के ब्योरों की गणना सहित; रिपोर्ट को औपचारिक स्वीकृति हेतु राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को एक नोट उपलब्ध करने के लिए कहा गया।

(पैरा 2.24. से 2.26)

9. डॉ. दिलीप नाचने की अध्यक्षता वाले विशेषज्ञ समूह ने सकल घरेलू उत्पाद, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांकों के तिमाही आंकड़ों को संबंधित एजेंसियों द्वारा मौसम समायोजित श्रृंखला प्रसारित करने की सिफारिश की। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की कि सीएसओ (एनएडी), सकल घरेलू उत्पाद (समग्र तथा क्षेत्रवार) और मौसम के अनुसार स्थिरता पर मार्गदर्शन सहित उनके

संकलन में उपयुक्त संकेतकों को, नचाने समिति की सिफारिशों की तर्ज पर मौसम समायोजित सूचकांक जारी करने के लिए आवधिक रूप से तकनीकी पेपर प्रकाशित करे।

(पैरा 2.27 से 2.30)

10. आधार वर्ष 2011-12 के साथ राष्ट्रीय लेखाओं की नई श्रृंखला के लिए प्रस्तावित संकल्पनात्मक बदलावों की समीक्षा करने के लिए 19 जनवरी, 2015 को एनएससी तथा राष्ट्रीय लेखा सलाहकार समिति के बीच एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई। संशोधन के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए संयुक्त बैठक में पच्चीस (25) अनुशंसाएं की गई।

(पैरा 2.31 से 2.32)

11. एनएससी ने सिफारिश की है कि भारत में राष्ट्रीय लेखाओं के संकलन की कमियों को पहचानने हेतु रिपोर्ट ऑन आब्जर्वेंस ऑफ स्टैंडडर्स एंड कोड्स (आरओएससी) के अंतर्गत मूल्यांकन हेतु मिशन भेजने के लिए आईएमएफ से संपर्क किया जाए। जबाव में, आईएमएफ ने पूछा है कि क्या मूल्य सूचकांकों को डाटा आरओएसी के अंतर्गत शामिल करना भी आवश्यक होगा। एनएसएसी ने उत्तर दिया कि मूल्य सूचकांकों (डब्ल्यूपीआई और सीपीआई) को भी डाटा आरओएससी के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है।

(पैरा 2.33 के 2.36)

12. श्रमिकों के वर्गीकरण की समीक्षा हेतु डॉ. टी. एस. पपोला की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समूह गठित किया गया था, जिसने 30 मई, 2013 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्यकारी समूह की सिफारिशों को श्रम ब्यूरो द्वारा, अपने मजदूरी आंकड़ा संग्रहण सर्वेक्षण में, अक्तूबर, 2013 से कार्यान्वित कर दिया गया है। एनएससी द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की सिफारिश की गई कि वर्गीकरण में संशोधन राष्ट्रीय व्यावसायिक और एनएसएसओ के रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षणों में गैर-कृषिगत व्यवसायों के लिए अनुपालन की की जा रही कोडिंग पैर्टन के अनुरूप होगा।

(पैरा 2.37 से 2.41)

13. 19वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सांख्यिकी सम्मेलन में संस्तुत मौजूदा और संकेतकों के एक सैट के माध्यम से कार्य, रोजगार और बेरोजगारी मापने के बढ़े हुए कार्य क्षेत्र को नोट किया गया। एनएससी ने अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की सिफारिश की है कि कार्यप्रणाली में लाए जाने वाले बदलावों को दृढ़ता से लाने हेतु प्राथमिकता पर एक कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए।

(पैरा 2.42 से 2.44)

14. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को एक अवधारणात्मक पेपर प्रस्तुत किया गया था, जिसमें बच्चों से संबंधित परिणामों को मापने के लिए एक सर्वेक्षण आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें बच्चों की एक पलटन के विकास पर नजर रखकर (एसएसओसी) देशांतर आंकड़े प्राप्त किए जा सकें। यह भी नोट किया गया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मां-बच्चा ट्रेकिंग प्रणाली हाल ही में आरंभ की गई है, जो कि आंकड़ा आधार उपलब्ध कराएगा। एनएससी ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की है कि वर्तमान रूप वाले एसएमओसी को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाए और एनएसएसटीए और

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एसएसडी) संयुक्त रूप से एक नई स्कीम तैयार करें, जिसका उद्देश्य बच्चों के समूह पर आधारित अध्ययन द्वारा बच्चों से संबंधित विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के परिणामों की जानकारी मिल सके।

(पैरा 2.45. से 2.51)

15. समय उपयोग सर्वेक्षण के लिए सर्वेक्षण कार्य पद्धति तैयार करने हेतु एक कार्यकारी समूह का गठन किया गया, जिसकी छह बैठकें आयोजित हो चुकी हैं, किन्तु अभी तक कोई औपचारिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। सीएसओ (एसएसडी) ने बैठक में हुए विचार-विमर्शों के आधार पर उसका संकलन किया और इनपुट उपलब्ध कराए। समूह की रिपोर्ट उपलब्ध न होने से आंकड़ा संग्रहण हेतु दृष्टिकोण तैयार करने के लिए विचार प्रक्रिया अपनाई जा रही है। एनएससी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि एफओडी के पर्यवेक्षण के तहत आउटसोर्सिंग के माध्यम से समय उपयोग सर्वेक्षण आयोजित करने हेतु सर्वेक्षण साधन जल्द तैयार करने के लिए सीएसआई अधिकारियों का एक छोटा समूह गठित कर सकता है।

(पैरा 2.52. से 2.58)

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के सांख्यिकी कार्यकलापों की समीक्षा

16. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, एनएससएसओ के तत्कालीन गवर्निंग काउंसिल के कार्यों को कर रहा है। इसके कार्यों में प्रत्येक एनएसएस दौरों में कवर होने वाले विषयों पर निर्णय लेना, कार्यपद्धति तैयार करना और आंकड़ों की प्रोसेसिंग की देखरेख करना तथा एनएसएसओ द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्टों/इकाई स्तरीय आंकड़े जारी करना शामिल है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, एनएसएसओ ने एनएसएस के 68वें, 69वें तथा 70वें दौरों के आंकड़ों पर आधारित ग्यारह रिपोर्टें जारी की हैं। एनएसएसओ द्वारा ऐसे कार्यों में लगे शामिल केंद्र तथा राज्य स्तर के संबंधित अधिकारियों तथा कर्मचारियों के मार्गदर्शन हेतु "मैनुअल ऑन पूलिंग आफ सैंट्रल तथा राज्य प्रतिदर्श आंकड़े" भी प्रकाशित किए गए है।

(पैरा 3.1. से 3.4)

17. एनएसएस का 71वां दौर (सर्वेक्षण अवधि : जनवरी, 2014 से जून, 2014 तक) सामाजिक उपभोग के विषयों यथा" स्वास्थ्य एवं रूग्णता" तथा "शिक्षा" को समर्पित था। कार्यकारी समूह द्वारा तैयार की गई एनएसएस 71वें दौर की सारणीयन योजना एनएससी द्वारा अनुमोदित कर दी गई है। एनएससी ने अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की सिफारिश की है कि प्रमुख संकेतकों तथा मुख्य रिपोर्ट एनएसएसओ (एसडीआरडी) में जारी करने के लिए प्रबंधित की जाएगी तथा अन्य विषय विशिष्ट रिपोर्टें संबंधित भाग लेने वाले मंत्रालय द्वारा तैयार करके जारी की जा सकती हैं, जिन्हें उन रिपोर्टों का उत्तरदायित्व भी लेना चाहिए।

(पैरा 3.5 से 3.7)

18. एनएसएस का 72वां दौर (सर्वेक्षण अवधि : जुलाई, 2014 से जून, 2015) (i) घरेलू पर्यटन व्यय तथा (ii) सेवाओं और टिकाऊ वस्तुओं पर परिवार द्वारा किया गया व्यय को समर्पित है। इस सर्वेक्षण में एनएसएस उपभोग व्यय सर्वेक्षण हेतु लघु अनुसूचियां उपयोग करने के लिए कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करने की परिकल्पना की गई है। कार्यकारी समूह

द्वारा तैयार की गई एनएसएस 72वें दौर के सर्वेक्षण साधनों को कुछ शर्तों के अध्यधीन एनएससी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। एनएससी ने, लघु अनुसूचियां शामिल करने हेतु कार्यनीति तैयार करने के लिए एनएसएस के 68वें दौर का पुन: विश्लेषण करने के सुझाव की पुष्टि कर दी है।

(पैरा 3.8 से 3.10)

19. एनएसएस का 73वां दौर (सर्वेक्षण अवधि जुलाई, 2015 – जून, 2016), जैसाकि 67वें दौर में किया गया था, राष्ट्रीय तथ राज्य स्तर पर विभिन्न आर्थिक तथा प्रचालनात्मक विशेषताओं के अनुमान लगाने हेतु निर्माण, व्यापार तथा अन्य सेवाओं में अनिगमित गैर-कृषिगत उद्यमों के सर्वेक्षण को समर्पित होगा। इस दौर के संपूर्ण कार्यकलापों को देखते तथा कार्यप्रणाली तैयार करने हेतु प्रो. के एल कृष्णा की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समूह गठित किया गया है।

(पैरा 3.11 से 3.16)

20. महानिदेशक, एनएसएसओ की अध्यक्षता में, नशीले दवाओं के दुरूपयोग सर्वेक्षण पर गठित कार्यकारी समूह की अवधि को 22.4.2014 से आगे छह माह के लिए बढ़ाया गया था।

(पैरा 3.17)

21. एनएसएसओ ने तीन राज्यों शहरी क्षेत्रों में प्रायोगिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण आयोजित किया। प्रायोगिक सर्वेक्षणों के अनुभवों पर, विशेषज्ञों/हितधारकों के मत/सुझाव जानने के लिए, दिसम्बर, 2013 में आयोजित एक कार्यशाला में विचार-विमर्श किया गया था। कार्यशाला में मिली आम सहमति पर आधारित श्रम बाजार के विभिन्न सांख्यिकी संकेतकों में हुए बदलावों को तिमाही आधार पर मापने और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों दोनों में विभिन्न श्रम बल संकेतकों के वार्षिक अनुमान लगाने हेतु देशभर में संपूर्ण पीएलएफएस कराने का एनएसएसओ द्वारा प्रस्ताव रखा गया। एनएसएसओ के प्रस्ताव को एनएससी द्वारा सैद्धांतिक रूप से अनुमादित कर दिया गया है। एनएससी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा कि प्रस्तावित पीएलएफएस को देखने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय रोजगार सांख्यिकी पर एक स्थायी समिति का गठन कर सकती है।

(पैरा 3.18 से 3.24)

22. शहरी फ्रेम सर्वेक्षण में यूएफएस ब्लॉकों की लिस्टिंग के रूप में एक फ्रेम उपलब्ध कराता है जिसमें कुछ अतिरिक्त जानकारी तथा आनुमानिक नक्शे हैं। एनएसएसओ के अधिकारियों द्वारा सहायक महानिदेशक, एनएसएसओ (डीपीडी) की अध्यक्षता में यूएफएस पर समिति की रिपोर्ट और जीआईएस फ्रेमवर्क में यूएफएस मानचित्रों के डिजिटीकरण पर एनआईसी के प्रस्ताव पर एनएससी के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण दिया। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने एनआईसी के प्रस्ताव का समर्थन किया और यूएफएस फ्रेम को गणना ईबी फ्रेम के अनुरूप इसमें सुधार लाने तथा प्रसार पर सरकारी नीतियों के अनुरूप संदर्भित ब्योरे प्रसारित करने हेतु एनएससी ने एनआईसी के प्रस्ताव का समर्थन किया और दस सिफारिशें की हैं।

(पैरा 3.25 से 3.29)

23. एनएसएसओ (एफओडी) की कृषि सांख्यिकी विंग फसल सांख्यिकी स्कीम के सभी पहलुओं में सुधार का दायित्व है। एनएससी ने पाया कि आईएससी कार्यक्रम के व्यापक मानव संसाधन घटक हेतु सतत आबंटन, उसकी रिपोर्टों और आंकड़ों की कम उपयोगिता को देखते हुए उसे उचित नहीं पाया। कृषि सांख्यिकी के कई अन्य आंकड़ा अंतरालों के मद्देनजर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की सिफारिश की, कि मानव संसाधन के अधिक प्रभावी उपयोग हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया जाए और यह मामला कृषि मंत्रालय के साथ उसके उच्चतम नीति स्तर पर उठाया जाए।

(पैरा 3.30 से 3.35)

24. एनएसएसओ ने अपने कई फील्ड कार्यालयों में एनएसएस के 68वें दौर की भरी हुई अनुसूचियों की आंकड़ा प्रविष्टि प्रायोगिक आधार पर शुरू तथा 69वें दौर हेतु प्रयोगों को सतत रखा। यह महसूस किया गया कि एनएसएसओ के एफओडी कार्यालयों से डीपीसी कार्यालयों में भरी हुई पेपर अनुसूचियों के प्रवाह को समाप्त करके अब इसे डिजिटाइज्ड आंकड़ों से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। मामले पर आगे एनएससी द्वारा विचार किया जाएगा।

(पैरा 3.36 से 3.37)

25. विश्व बैंक के प्रतिनिधियों ने उनके द्वारा विकसित कम्प्यूटर समर्थित व्यक्तिगत साक्षात्कार ओपन साफ्टवेयर में एनएसएसओ (एफओडी) पर एक प्रस्तुति दी। एनएससी ने अनुशंसा की है कि एनएसएसओ द्वारा इसे अपने सर्वेक्षणों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए साफ्टवेयर का आंतरिक मूल्यांकन करने की आवश्यकता है और इस प्रयोजनार्थ, यदि वे आवश्यक समझे तो विश्व बैंक के साथ बातचीत कर सकते हैं।

(पैरा 3.38 से 3.41)

26. एनएसएस का अगले दस वर्ष की रूपरेखा पहले से ही तैयार करने की प्रणाली प्रचालन में है। इस पर एनएससी ने सरकार के अंदर और बाहर के विशेषज्ञों व उपयोगकर्ताओं के मत लेने का विचार बनाया है। इस प्रयोजनार्थ, एनएसएसओ द्वारा दो चिंतन सत्र बुलाए गए। एनएससी ने एनएसएसओ द्वारा दी गई जानकारियों तथा दोनों चिंतन सत्रों के दौरान प्राप्त हुए दृष्टिकोणों पर विचार किया और समग्र रूप से निर्णय लेते समय प्रासंगिक बिंदुओं को नोट किया। एनएससी मामले की पुन: समीक्षा करेगा।

(पैरा 3.42 से 3.48)

अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के सांख्यिकीय कार्यकलापों की समीक्षा

27. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), आठ प्रमख उद्योगों के निष्पादन को शामिल करते हुए, आधार वर्ष 2004-05 के साथ प्रमुख उद्योगों का मासिक सूचकांक (आईसीआई) जारी करता आ रहा है। मार्च, 2014 के लिए जारी आईसीआई में पिछले वर्ष की तुलना में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शायी गई। परंतु डीआईपीपी ने साथ ही में वर्ष 2014 के लिए विकास दर के आकलन के लिए आधार वर्ष बदलकर मार्च, 2013 की विकास दर को 3.2 प्रतिशत से बदलकर 7 प्रतिशत कर दी है। इस संशोधन पर मीडिया में काफी प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई थी। चूंकि इस संशोधन से कई तरह भ्रांतियां उठ रही थी, एनएससी ने आईसीआई

के संकलन में अपनाई गई प्रक्रिया और प्रोटोकोल की समीक्षा की। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने कहा कि वर्तमान माह के अनंतिम आंकड़ों तथा पिछले वर्ष के संशोधित/अंतिम आंकड़ों के आधार पर विकास दर जारी करने की प्रथा उचित नहीं लगती और प्रणाली को सुप्रवाही बनाने के लिए चार अनुशंसाएं की।

(पैरा 4.2 से 4.9)

28. सीएसओ (ईएसडी) द्वारा, आईसीआई की दो मदें नामत: (i) पैट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद और (ii) इस्पात जिन्होंने आईसीआई आंकड़ों के संशोधन में मुख्य रूप योगदान दिया है के संबंध में आईआईपी पर आईसीआई के आंकड़ों में संशोधन का प्रभाव जानने हेतु, एक अध्यक्ष आयोजित किया गया और एनएससी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। अध्ययन रिपोर्ट में मूल विकास दर की तुलना में संशोधित विकास दरों के बीच अत्यधिक भिन्नता के प्रमुख कारण बताए गए हैं। एनएससी ने इस्पात मंत्रालय तथा पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्राप्त आईसीआई तथा आईआईपी के आंकड़ा प्रवाह तथा आने वाली कठिनाइयों की समीक्षा की। अध्ययन तथा समीक्षा के आधार पर, डाटा कवरेज में सुधार तथा आंकड़ा संग्रहण और प्रवाह प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु सात अनुशंसाएं की।

(पैरा 4.10 से 4.18)

29. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में आर्थिक सलाहकार का कार्यालय थोक मूल्य सूचकांक का संकलन करता है। थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन की प्रक्रिया की जांच करने के लिए डीआईपीपी द्वारा कार्यकारी समूह का गठन किया गया था। डब्ल्यूपीआई का नया आधार वर्ष 2011-12 होगा। एनएससी ने कार्यकारी समूह की रिपोर्ट स्वीकार करते हुए डब्लयूपीआई की गुणवत्ता और उपयोगिता को बढ़ाने के लिए इसमें आठ अनुशंसाएं की।

(पैरा 4.19 से 4.25)

30. खनन क्षेत्र और संबद्ध कार्यकलापों पर सांख्यिकी में केंद्र तथा राज्य स्तर के अनेक विभाग शामिल हैं। राष्ट्रीय लेखाओं में अपनाई गई प्रक्रिया से खनन, निर्माण, विनिर्माण तथा व्यापारिक कार्यकलापों के बीच मध्यवर्ती उपभोग को उचित रूप से सहयोग नहीं किया गया है। इस सैक्टर की कई समस्याओं को देखते हुए, एनएससी द्वारा तीन अनुशंसाएं की गई, जिनमें सीएसओ द्वारा मैनुअल निकालना, केंद्र तथा राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा निकाले जाने वाले सांख्यिकी उत्पादों के लिए संकल्पनात्मक तथा प्रक्रियागत फ्रेमवर्क तैयार करना शामिल है।

(पैरा 4.26 से 4.32)

31. एनएससी ने नए आधार वर्ष 2015 के साथ सीपीआई, आईडब्ल्यू के संशोधन कार्य के एक भाग के रूप में श्रमिक वर्ग परिवार आय और व्यय सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए श्रम ब्यूरो द्वारा प्रस्तावित सर्वेक्षण साधनों में अनुमोदित किया।

(पैरा 4.33 से 4.37)

32. राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी ने अनुरोध किया कि एनएसएसओ द्वारा कराए जा रहे नियमित सर्वेक्षणों के एक भाग के रूप में कौशल तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं पर भी

सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए। चूंकि एनएसडीए द्वारा वांछित सभी सूचना प्रतिदर्श सर्वेक्षण पद्धति के माध्यम से एकत्र नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने बहु-आयामी दृष्टिकोण के साथ छह सिफारिशें की।

(पैरा 4.38 से 4.44)

33. डॉ. चारू गर्ग द्वारा स्वास्थ्य सांख्यिकी पर एक थीम पेपर दिया गया। अपने लेख में डा. चारू गर्ग ने अन्य बातों के साथ-साथ 39 प्रमुख संकेतकों, आंकड़ा स्रोतों तथा वैश्विक स्वास्थ्य कवरेज के संदर्भ में संबंधित गुणवत्ता मुद्दों को शामिल किया। सीएसओ (एसएसडी) ने अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श करके एक विचार-विमर्श पत्र प्रस्तुत किया। इन जानकारियों पर विचार करते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने स्वास्थ्य सांख्यिकी के आंकड़ा कवरेज, विषय वस्तु तथा गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु छह सिफारिशें की।

(पैरा 4.45 से 4.50)

अध्याय-1

प्रस्तावना

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना (एनएससी)

1.1 डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में सरकार द्वारा जनवरी, 2000 में स्थापित आयोग ने देश की सांख्यिकी प्रणाली की समीक्षा की और अगस्त, 2001 में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रंगराजन आयोग द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशों में से एक सिफारिश सांख्यिकी पर स्थायी राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने की थी जो देश की सभी प्रमुख सांख्यिकीय गतिविधियों के लिए एक नोडल तथा शक्ति प्राप्त निकाय के रूप में कार्य करने, सांख्यिकी प्राथमिकताओं तथा मानकों को तैयार करने, निगरानी करने तथा लागू करने तथा इसमें शामिल विभिन्न एजेंसियों के बीच सांख्यिकीय समन्वय सुनिश्चित करना है।

1.2 रंगराजन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, भारत सरकार ने दिनांक 1 जून, 2005 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III खंड 4 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 85 के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया। आयोग में एक अंशकालिक अध्यक्ष, चार अंशकालिक सदस्य तथा सचिव योजना आयोग इसके पदेन सदस्य हैं। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद आयोग के सचिव हैं। उनकी दोहरी भूमिका होती है, क्योंकि वे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव भी हैं। अंशकालिक अध्यक्ष/एनएससी के सदस्यों और सीएसआई की सेवा शर्तें भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 465 दिनांक 10 मई, 2006 को प्रकाशित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड 3, उप-खंड (II) में दी गई हैं। आयोग द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता देने के लिए एक उप-महानिदेशक तथा निदेशक और अन्य समर्थित स्टाफ के साथ एक लघु सचिवालय का सृजन किया गया है।

1.3 रिपोर्ट की अवधि के दौरान, योजना आयोग को नीति आयोग (नेशनल इन्स्टीट्यूटन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया) से प्रतिस्थापित किया गया। दिनांक 15.01.2015 को सरकार ने योजना आयोग के हित में नीति आयोग को उसका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसको ध्यान में रखते हुए सचिव, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दिनांक 24 मार्च, 2015 से राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का पदेन सदस्य बनाया गया है। दिनांक 1 जून, 2005 की उक्त उल्लिखित अधिसूचना में तदनुसार संशोधन किया गया है।

आयोग की संरचना

1.4 ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के अनुसरण में समय-समय पर संघटित, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग 12 जुलाई, 2006 से कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल तीन वर्षों का है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग में अंशकालीन पद धारण करने वाले व्यक्तियों के नाम निम्नानुसार हैं :

डॉ. प्रणब सेन	-	अध्यक्ष
प्रो. बिश्वनाथ गोलदर	-	सदस्य 23.11.2014 तक
प्रो. एस. महेन्द्र देव	-	सदस्य
प्रो. राहुल मुखर्जी	-	सदस्य
श्री रमेश कोल्ली	-	सदस्य

1.5 श्री रमेश कोल्ली का कार्यकाल, रिपोर्ट प्रस्तुत होने से पहले ही दिनांक 2.6.2015 को समाप्त हो गया है। डॉ. टी सी ए अनंत रिपोर्ट की पूरी अवधि के दौरान भारत के मुख्य सांख्यिकीविद और आयोग के सचिव थे।

आयोग का अधिदेश

1.6 भारत सरकार के दिनांक 1 जून, 2005 के उक्त उल्लिखित संकल्प में, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को निम्नलिखित अधिदेश प्राप्त है :

(क) राष्ट्रीय महत्व तथा अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रमुख सांख्यिकी की पहचान करना;

(ख) विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर आयोग को सहायता देने के लिए व्यावसायिक समितियों अथवा कार्यकारी समूह का गठन करना;

(ग) सांख्यिकी प्रणाली से संबंधित राष्ट्रीय नीतियां और प्राथमिकताएं तैयार करना;

(घ) सांख्यिकी के विभिन्न क्षेत्रों में मानक सांख्यिकी अवधारणाएं, परिभाषाएं, वर्गीकरण तथा प्रक्रियाएं तैयार करना;

(ङ) विभिन्न आंकड़ा सैट जारी करने के कैलेंडर सहित, प्रमुख सांख्यिकी के संग्रहण, सारणीयन तथा प्रसार पर राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार करना;

(च) सूचना प्रौद्योगिकी और सांख्यिकीय प्रणाली की संचार संबंधी आवश्यकताओं सहित शासकीय सांख्यिकी पर मानव संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार करना;

(छ) शासकीय सांख्यिकी में जनता के भरोसे में सुधार लाने हेतु उपाय सुझाना;

(ज) मौजूदा संस्थागत तंत्र के सुदृढ़ीकरण सहित सांख्यिकीय कार्यकलापों पर राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ प्रभावी समन्वय हेतु उपाय सुझाना;

(झ) मंत्रालयों, विभागों तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के बीच सांख्यिकी समन्वय बिठाना;

(ञ) सांख्यिकीय उत्पादों की गुणवत्ता और प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए सांख्यिकीय कार्यकलापों का सांख्यिकीय लेखा परीक्षण करना;

(ट) केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार जैसा भी मामला हो, के अनुच्छेद (ग) से (छ) में दिए गए मानकों, कार्यनीतियों तथा अन्य उपायों को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने की सिफारिश करना;

(ठ) राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के लिए सांविधिक अपेक्षाओं सहित सांख्यिकीय मामलों पर विधायी अपेक्षाओं पर सरकार को सलाह देना; और

(ड) निर्धारित नीतियों, मानकों तथा कार्यप्रणालियों के परिप्रेक्ष्य में सांख्यिकीय प्रणाली की कार्यकारिणी की निगरानी और समीक्षा करना तथा वर्धित निष्पादन के लिए उपाय सुझाना।

1.7 ऊपर उल्लिखित अधिदेश के अलावा, केंद्र सरकार की दिनांक 10 अगस्त, 2006 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में 30 अगस्त, 2006 को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के शासी परिषद के सभी कार्य एनएससी को सौंपे गए। कार्यकलापों में मुख्य रूप से राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय तथा राज्य के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयों द्वारा विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विषयों पर आयोजित विभिन्न दौरों जो कि सामान्यता एक वर्ष की अवधि के होते हैं और कृषि वर्ष के समांनातर होते हैं, के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों को देखना है। एनएसएस के 68वें दौर के आगे से, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने उसके द्वारा निर्णीत विषयों पर कार्यकारी समूहों का गठन इस प्रकार से किया है कि वे प्रत्येक दौर के सर्वेक्षण गतिविधियों के संपूर्ण कार्यकलापों को देखने में मदद कर सकेंगे।

1.8 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को केंद्र में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आयोजित सांख्यिकीय सर्वेक्षण के संबंध में कुछ निरीक्षण कार्य सौंपे गए हैं। इस प्रयोजनार्थ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत के असाधारण राजपत्र भाग-III के खंड 4 के माध्यम से दिनांक 5 दिसम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या 232 में कुछ दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं जिसमें केंद्र से संबंधित मंत्रालयों को कोई भी सांख्यिकीय सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सहमति लेनी होगी। सहमति के अलावा, दिशानिर्देशों मं, एनएससी की निगरानी में आयोजित विभिन्न सर्वेक्षणों के लिए एनएससी द्वारा विशेषज्ञों के नाम सुझाने हैं और एनएससी की सलाह से सर्वेक्षण परिणामों की मसौदा रिपोर्ट को एनएससी की निगरानी में अंतिम रूप देने का प्रावधान है।

आयोग का कार्यकरण

1.9 वित्त 2014-15 में आयोग ने नौ बैठकें आयोजित कीं। बैठकों की तिथियां नीचे दी गई हैं :

बैठक/विषय	**बैठक की तिथि**
66	22 और 23 अप्रैल, 2014
67	26 और 27 मई, 2014
68	30 जून और 01 जुलाई, 2014
69	01 और 02 अगस्त, 2014
70	01 और 02 सितम्बर, 2014
71	10 और 11 अक्तूबर, 2014
72	25 और 26 नवम्बर, 2015
73	14 और 15 जनवरी, 2015

राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग तथा सलाहकार समिति की संयुक्त बैठक	19 जनवरी, 2015

1.10 सभी बैठकों में, आयोग को सौंपे गए सभी मुद्दों तथा उसके अधिदेश में कवर होने वाले सभी मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। आयोग द्वारा संबंधित क्षेत्रों में सांख्यिकी प्रणाली में सुधार लाने हेतु संबंधित विषय-वस्तु के विशेषज्ञों के साथ भी सलाह एवं विचार-विमर्श किया गया। आयोग की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त रिकार्ड किए गए और सभी सदस्यों में परिचालित किए गए तथा बाद की बैठकों में उन पर विचार करने के उपरांत उनकी पुष्टि की गई। आयोग द्वारा जब भी कभी कोई सिफारिश की गई उसे संबंधित मंत्रालय को उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया।

1.11 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर उसकी सहायता के लिए व्यावसायिक समितियां गठित करने का अधिकार प्राप्त है। तदुनसार, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने कई समितियों का गठन किया और उनके माध्यम से कार्य किया। यह रिपोर्ट मिली है कि एनएससी की सलाह पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा डा. सौमित्र चौधरी तात्कालिक सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में वित्तीय सांख्यिकी पर 17 अप्रैल, 2014 को एक समिति गठित की गई। समिति अपना काम कर रही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सांख्यिकी और कार्यान्वयन कार्य मंत्रालय को सलाह दी है कि भले ही योजना आयोग का विघटन हो गया हो फिर भी समिति डा. सौमित्र चौधरी की अध्यक्षता में अपना कार्य जारी रख सकती है और यह कि डॉ. चौधरी को गैर-सरकारी सदस्य माना जाए।

1.12 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अनुरोध पर सीएसओ (एसएसडी) द्वारा जनवरी, 2013 में पांच विशेषज्ञों नामत: डॉ. मधुरा स्वामीनाथन को जेंडर सांख्यिकी, डा. जे बी जी तिलक को शिक्षा सांख्यिकी, डॉ. चारू गर्ग, स्वास्थ्य सांख्यिकी, डा. अमीर उल्लाह खान को अपराध तथा न्याय सांख्यिकी तथा डॉ. लाडू सिंह को जनसांख्यिकी से थीम पेपर मंगाए गए। एसएसडी के डॉ. मथुरा स्वामीनाथन, डॉ. जे बी जी तिलक तथा डॉ. चारू गर्ग से पेपर प्राप्त हो गए हैं। सीएसओ (एसएसडी) ने सूचित किया है कि डॉ. अमीर उल्लाह खान और डा. लाडू सिंह ने लगातार अनुस्मारक भेजने के बावजूद पेपर नहीं भेजे हैं। एसएसडी ने सुझाव दिया है कि इन दोनों विशेषज्ञों से थीम पेपर आमंत्रित करने का प्रस्ताव छोड़ दिया जाना चाहिए। जिस पर सहमति बन गई है। डॉ. चारू गर्ग से प्राप्त थीम पेपर की, इस रिपोर्ट के चौथे अध्याय में समीक्षा की गई है। शेष दो थीम पेपरों की समीक्षा बाद में की जाएगी।

इस रिपोर्ट के बारे में

1.13 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के सांख्यिकीय कार्यकलापों की समीक्षा के ब्योरे तथा एनएससी द्वारा उस पर दी गई सिफारिशें क्रमश: अध्याय-2 और अध्याय-3 में दी गई हैं। अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के सांख्यिकीय कार्यकलापों की समीक्षा के ब्योरे तथा एनएससी की सिफारिशें अध्याय-4 में दी गई हैं।

आयोग का व्यय

1.14 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना से संबंधित वार्षिक व्यय जिसमें वेतन एवं मजदूरी, घरेलू पर्यटन, कार्यालय व्यय, व्यावसायिक सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएं तथा आयोग की दैनिक प्रशासनिक आवश्यकताओं को संसद की सम्मति से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की एक मांग को पूरा किया जा रहा है।

1.15 वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के गैर-योजना बजट के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के लिए 153.10 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। यह रिपोर्ट मिली है कि वर्ष 2014-15 के दौरान 145.13 लाख रुपए का व्यय किया गया।

अध्याय-2

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सांख्यिकीय कार्यकलापों की समीक्षा

2.1 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को अन्य बातों के साथ-साथ मानव सांख्यिकीय अवधारणाओं, परिभाषाओं, वर्गीकरण तथा निर्धारित नीतियों, मानकों और कार्य प्रणालियों के परिप्रेक्ष्य में सांख्यिकीय प्रणाली की कार्यकरण की निगरानी तथा समीक्षा करने के लिए सांख्यिकी के विभिन्न क्षेत्रों हेतु कार्य प्रणाली बनाना और निष्पादन बढ़ाने के लिए उपाय सुझाने का अधिदेश प्राप्त है। इस अध्याय में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जो कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सांख्यिकी स्कंध के अंतर्गत आते हैं, के सांख्यिकीय कार्यकलापों की समीक्षा की।

सेवा क्षेत्र का वार्षिक सर्वेक्षण

2.2 भले ही भारत में सेवा क्षेत्र का देश के सकल घरेलू उत्पाद में बहुत बड़ा हिस्सा है, इस क्षेत्र के अन्य संबंधित पहलुओं और वृद्धि की निगरानी के लिए कोई व्यापक आंकड़ा आधार नहीं है। इसके मद्देनजर, सांख्यिकी और कार्य मंत्रालय द्वारा निर्माण क्षेत्र को शामिल करने हेतु प्रत्येक वर्ष आयोजित वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के समरूप सेवा क्षेत्र के वार्षिक सर्वेक्षण करवाने की परिकल्पना की गई। सबसे पहले सर्वेक्षण अवश्य रूप से उनकी एक निश्चित संख्या वाले स्थापनाओं की सूची का उपयोग करेगी। छठी आर्थिक गणना संभाव्यतया इस सर्वेक्षण के लिए उचित फ्रेमवर्क उपलब्ध कराएगी। तथापि, बड़े पैमाने पर वार्षिक सर्वेक्षण आयोजित करने से पहले, महानिदेशक, सीएसओ की अध्यक्षता वाले कार्यकारी समूह के मार्गदर्शन में एक प्रायोगिक सर्वेक्षण आयोजित किया गया।

2.3 प्रायोगिक सर्वेक्षण के लिए, छठी आर्थिक गणना, 2005 फ्रेम में उद्यमों के पते उपलब्ध थे जिनका उपयोग किया गया। प्रायोगिक सर्वेक्षण दिसम्बर, 2012 से अगस्त, 2013 के दौरान आयोजित किया गया, जिसकी संदर्भ अवधि वित्त वर्ष 2011-12 थी। तथापि, जो इकाइयां खाते नहीं रख रही थी, संदर्भ अवधि आखिरी 30 दिन/कार्य माह थी।

2.4 अपर महानिदेशक, सीएसओ (ईएसडी) ने एनएससी की 67वीं बैठक में, 6 राज्यों और 4 मैट्रो शहरों में आयोजित सेवा क्षेत्र पर प्रायोगिक सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर V आर्थिक गणना के आधार पर प्राप्त प्रतिदर्शों और VI आर्थिक गणना आंकड़ों के आधार पर लगभग 50,000 यूनिटों में अखिल भारत सर्वेक्षण आयोजित करने के प्रस्ताव पर एक प्रस्तुतीकरण दिया। प्रायोगिक सर्वेक्षण में आंकड़ा संग्रहण एनएसएसओ और संबंधित राज्य अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयों द्वारा कराया गया था। सर्वेक्षण में नामत: निर्माण, व्यापार, होटल तथा रेस्तरां, परिवहन, भंडारण तथा संचार, रिएल एस्टेट, किराए और व्यावसायिक सेवाएं, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य, शिक्षा तथा समुदाय, सामाजिक एवं निजी सेवाओं को शामिल किया गया।

2.5 प्रायोगिक सर्वेक्षण में अन्य बातों के साथ-साथ यह नोट किया गया कि लगभग 33 प्रतिशत प्रतिदर्श इकाइयों को प्रतिस्थापित किया जाना था और 16 प्रतिशत इकाइयां नुकसान में चल रही थी। प्रायोगिक सर्वेक्षण में पाया गया कि 72 प्रतिशत प्रतिदर्श इकाइयां, अपने खातों का रखरखाव कर रही थी। एनएससी ने पाया कि प्रायोगिक सर्वेक्षण से एकत्र आंकड़ों के विश्लेषण में कुछ मुद्दों जैसे कि वित्तख्यात्मक विश्लेषण, बड़ी इकाइयों में हुए नुकसान, गुणवत्ता मूल्यांकन (विभिन्न कार्यकलापों तथा आंकड़ा संग्रहण में लगी विभिन्न एजेंसियां), आंकड़ा संग्रहण में आने वाली कठिनाइयों की प्रवृत्ति, अनसूची अभिकल्प में नोटिस की गई कमियां और अपर्याप्त प्रशिक्षण के कारण सेवाओं की गलत पहचान जैसे गैर-प्रतिदर्श त्रुटियां पर चर्चा नहीं की गई थी।

2.6 उपर्युक्त के मद्देनजर, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने अपनी 67वीं बैठक में निम्नलिखित सुझाव दिए :

(i) केंद्रीय सांख्यिकी कार्यान्वयन (ईएसडी) ऊपर उल्लिखित पहलुओं का बारीकी से अध्ययन करके निष्कर्षों को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के समक्ष रखेगा। एनएससी द्वारा, प्रायोगिक अध्ययन के माध्यम से एकत्र आंकड़ों का आगे विश्लेषण करके उसके निदान पर अधिक प्रकाश डालने के उद्देश्य से एक परामर्शदाता नियुक्त करने का सुझाव दिया गया।

(ii) सीबीईसी के पंजीकरण आंकड़ा/सेवा कर रिटर्न आंकड़ा और ईपीएफओ से उपलब्ध समान प्रकार के आंकड़ों को छठी आर्थिक गणना/बिजनेस रजिस्टर के आंकड़ों के साथ अतिरिक्त स्रोत के तौर पर माना जाए जो सेवा क्षेत्र के लिए प्रतिदर्श डिजाइन तैयार करने के लिए उचित सहायक सूचना के साथ प्रतिदर्श फ्रेम तैयार करने हेतु उपयोगी होगा।

2.7 तदंत्तर, सीएसओ (ईएसडी) द्वारा, एनएससी की 70वीं बैठक में उसके विचारार्थ दो लेख प्रस्तुत किए जिसमें से एक इकाई स्तर आंकड़ा के आधार पर तैयार सेवा क्षेत्र पर प्रायोगिक सर्वेक्षण के आंकड़ा गुणवत्ता पहलू से संबंधित हैं और दूसरा एएसएसएस के लिए प्रतिदर्श फ्रेम, प्रतिदर्श आकार और प्रतिदर्श डिजाइन से संबंधित मुद्दों के बारे में है। सीएसओ (एनएडी) और सीएसओ (ईएसडी) के अधिकारियों ने एनएससी की बैठक में प्रायोगिक सर्वेक्षण आंकड़ों पर उनके द्वारा किए गए विश्लेषण पर उसके समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया। ईएसडी ने एएसएसएस आरंभ करने के लिए एक कार्रवाई योजना भी प्रस्तुत की।

2.8 यह नोट किया गया कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय का एमसीए-21 आंकड़ा आधार उपलब्ध होगा और सेवाओं में लगी कारपोरेट यूनिटों के आंकड़ों को आंकड़ा आधार से हटाया जा सकता है। अनुमानित जीवीए और एनएसए के 63वें दौर के आंकड़ों के आधार पर उपलब्ध विभिन्न उद्योगों में उसके वितरण से पाया गया कि कारपोरेट क्षेत्र का हिस्सा लगभग 53.7 प्रतिशत था। गैर-कारपोरेट क्षेत्र के हिस्से का विश्लेषण रोजगार के आकार के वर्ग द्वारा किया गया था। यह नोट किया गया कि श्रेणी 1-9, 10-19, 20-49, 50-99 और 100+ के लिए जीवीए में प्रतिशत हिस्सा क्रमश: 73.6, 12.6, 8.1, 2.3 और 3.4 था। यह भी नोट किया

गया कि एनएसएस के 73वें दौर में अन्य बातों के साथ-साथ सेवा क्षेत्र को भी शामिल किया जा सकता है।

<u>आयोग की सिफारिशें</u>

2.9 वार्षिक आधार पर सेवा क्षेत्र में अपेक्षाकृत इकाइयों की भारी संख्या शामिल करने की आवश्यकता को देखते हुए, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें की गई :

(1) एएसएसएस शीघ्र ही आरंभ किया जाना चाहिए।

(2) कार्यप्रणाली ब्योरे और सर्वेक्षणों का आयोजन देखने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा सेवा क्षेत्र पर एक स्थायी समिति का गठन किया जाए।

(3) सेवा क्षेत्र पर आंकड़ा तैयार करने तथा रिपोर्ट लिखने के कार्यों को संचालित करने के लिए सीएसओ (आई एस विंग) को उचित समय पर अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। इसके अलावा, क्षेत्र संकार्य प्रभाग मुख्यालय, फरीदाबाद के एएस विंग को यदि उनके पास अतिरिक्त क्षमता हो तो यह कार्य उन्हें सौंपा जाए।

(4) छठी आर्थिक गणना के आंकड़े और अन्य स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग रोजगार का आकार (50 से अधिक कामगारों वाले), टर्न ओवर आदि जैसे कुछ व्यापारिक मानदंडों का उपयोग करके बड़ी उत्पादन इकाइयों की पहचान करने के लिए किया जाए।

(5) बड़ी उत्पादन इकइायों की दो श्रेणियों नामत: कारपोरेट और गैर-कारपोरेट सूची बनाने।

(6) प्रस्तावित एएसएसएस के अंतर्गत कवरेज इस प्रकार से की जानी चाहिए कि सूची फ्रेम अथवा बिजनेस रजिस्ट की इकाइयों को वार्षिक सर्वेक्षण में शामिल किया जा सके और शेष इकाइयों को आवधिक रूप से एनएसएस में शामिल किया जा सके। शेष इकाइयों को जब भी शामिल किया जाता है, तब मुख्य रूप से राज्य स्तर पर कुल सेवा क्षेत्र के अनुमान उपलब्ध होने चाहिए। मौजूदा सभी आंकड़ा स्रोतों का वैज्ञानिक ढंग से उपयोग करके इनके परिणाम प्राप्त किए जाने चाहिए।

2.10 उपर्युक्त सिफारिशें सीएसओ (ईएसडी) को पत्र संख्या 4(70)/2014 एनएससी, दिनांक 15 सितम्बर, 2014 के माध्यम से अग्रेषित की गई थी।

सेवा उत्पादन सूचकांक

2.11 पिछले कई दशकों से अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हुई है और केवल औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कुल आर्थिक उत्पादन में होने वाले फेरबदल दर्शाने के लिए पर्याप्त नहीं है। सेवा क्षेत्र के लिए आईआईपी में इसी प्रकार की सूचना भी साथ में दर्शायी जानी चाहिए। तिमाही सकल घरेलू उत्पाद आदि के त्वरित अनुमानों की लघु अवधि आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि प्रमुख सेवा कार्यकलापों को कवर करने वाले सेवा क्षेत्र उत्पादन सूचकांक का कम से कम तिमाही आधार पर संकलन

किया जाना चाहिए। सीएसओ (ईएसडी) ने एनएससी की 68वीं बैठक में सेवा उत्पादन सूचकांक (आईएसपी) पर एक स्थिति नोट प्रस्तुत किया है।

2.12 सेवा उत्पादन सूचकांक सेवा क्षेत्र अर्थात एक समय अवधि में सेवाओं के उत्पादन की मात्रा में हुए बदलावों का आकलन करने के लिए किया जाता है और उसकी गणना सेवा उत्पादक उद्योगों के वास्तविक उत्पादन के भारित औसत के रूप में की जाती है, जहां भार, सेवा क्षेत्र के मूल्यवर्धन में उनके हिस्सों पर आधारित है। यह रिपोर्ट मिली है कि सचिवों की समिति ने 20 मई, 2003 को आयोजित बैठक में आईएसपी के संकलन के पक्ष में निर्णय लिया है।

2.13 सेवा क्षेत्र में कृषि उत्पादन, खनन एवं उत्खनन विनिर्माण तथा विनिर्माण कार्यकलापों के अलावा अन्य आर्थिक कार्यकलाप शामिल हैं। इसमें व्यापार, होटल तथा रेस्तरां, परिवहन, भंडारण संचार, स्थावर संपदा और आवासों का स्वामित्व, बैंकिंग तथा लोक प्रशासन, व्यवसाय सेवाएं तथा अन्य सेवाएं शामिल होती हैं, जो अपने आप में इतनी विविध हैं कि उसके प्रत्येक उपक्षेत्र के लिए जीवीओ के अनुमान लगाने हेतु अलग पद्धति अपनानी पड़ती है। आईएसपी को अन्य सूचकांकों के साथ सुसंगत बनाने हेतु 2004-05 को आधार वर्ष के तौर पर लेने का निर्णय लिया गया।

2.14 जुलाई, 2004 में गठित तकनीकी परामर्शी समिति के मार्गदर्शन में, सीएसओ (ईएसडी) ने आईएसपी संकलित करने का कार्य आरंभ किया है और रेलवे, हवाई परिवहन तथा डाक सेवाओं के सूचकांक संकलन का कार्य पूरा कर लिया है। सभी सूचकांकों के लिए, किसी विशेष क्षेत्र द्वारा प्रदत्त सेवाएं आईएसपी की मद बास्केट का हिस्सा बनता है।

2.15 अगर संभव हो तो, संबंधित उद्योग समूहों के सकल उत्पाद और मध्यवर्ती सामग्री आदानों के मूल्य और सकल उत्पादन के अनुमानों के बीच की भिन्नता का उपयोग आईएसपी के लिए भारण आरेख के तौर पर किया जाना चाहिए। परंतु विभिन्न सेवाओं के लिए मूल्य वर्धन आंकड़ों और इनकी उप-श्रेणियों के लिए अलग से आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण अर्जित राजस्व/किए गए व्यय पर आंकड़े जो कि विभिन्न प्रकार की सेवाओं के अनुसार आसानी से उपलब्ध हैं, का उपयोग भार के रूप में किया गया है।

2.16 सीएसओ (ईएसडी) के अधिकारियों द्वारा एनएससी 68वीं बैठक में उनके समक्ष, व्युत्पत्ति और सेवा उत्पादन सूचकांक के संकलन पर अब तक हुई प्रगति की व्युत्पत्ति पर एक प्रस्तुतीकरण दिया। ईएसडी द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, रेलवे, एयरपोर्ट तथा डाक सेवाओं के लिए सूचकांक के संकलन की कार्यपद्धति पर एनएससी से अनुमोदन की मांग की। यह सूचित किया गया कि सीएसओ (ईएसडी) पर सेवा उत्पादन के सूचकांक का शामिल है और डीआईपीपी को सेवा मूल्य सूचकांक की उत्पत्ति का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा बताया गया कि दो कार्यकलाप स्वतंत्र रूप से चलाए नहीं जा सकते, चूंकि कुछ विशिष्ट प्रकार की सेवाओं के लिए उत्पादन सूचकांक तैयार करने और मूल्य सूचकांक की व्युत्पन्न के तौर पर गणना करना संभव है, जबकि अन्य सेवाओं के लिए इसके विपरीत सही हो सकता है।

<u>आयोग की सिफारिशें</u>

2.17 स्थिति नोट और एनएससी की 68वीं बैठक में दिए गए प्रस्तुतीकरण में, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें की गई :

(1) तीन सेवाएं, नामत: रेलवे, एयरपोर्ट तथा डाक सेवाओं में आंकड़ा प्रवाह की बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई कार्यप्रणाली को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है।

(2) अंतर्राष्ट्रीय मानकों (जैसे कि ओईसीडी नियम पुस्तक) के अनुरूप अधिक कार्यप्रणालीगत सुधार लाने हेतु आंकड़ा अंतरालों को पूरा करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

(3) यदि विभागीय विनियमों के अंतर्गत आंकड़ा संग्रहण में कठिनाई आती है, तो संबंधित मंत्रालय आंकड़ा उपलब्धता में सुधार लाने के लिए सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के उपबंधों के अंतर्गत आंकड़ा संग्रहण करे।

(4) डाक सेवाओं के सूचकांक संग्रहित करने के संबंध में, यह न केवल डाक विभाग बल्कि निजी कूरियरों के आंकड़ों पर भी आधारित होने चाहिए। बैठक में, डाक विभाग में भी आंकड़ा प्रवाह के संबंध में कठिनाइयों के बारे में बताया गया। ऐसे मामलों में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने कहा कि प्रतिदर्श आधार पर चयनित कुछ फील्ड कार्यालयों के संबंध में आंकड़ा प्रवाह स्थापित किया जा सकता है। विभाग, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (ईएसडी) की सलाह से इसके ब्योरे तैयार करे।

(5) केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के लिए उचित होगा कि वह प्रत्येक क्षेत्र में कुछ घटकों के सूचकांक जारी करने के बजाय क्षेत्रवार सूचकांक संकलित करके जारी करे। उदाहरणतया, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय परिवहन क्षेत्र के सूचकांक संकलित करके जारी कर सकता है जबकि रेलवे तथा हवाई मार्ग सूचकांक संबंधित मंत्रालय द्वारा ही संकलित करके जारी किए जाने चाहिए। ठीक इसी प्रकार से, भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग क्षेत्र के सूचकांक संकलित करके जारी कर सकता है जबकि इरडा बीमा क्षेत्र के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय स्वास्थ्य क्षेत्र के और मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा क्षेत्र के सूचकांक जारी कर सकता है। ये विभाग केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (ईएसडी) की सलाह से कार्य प्रणाली तैयार करे।

(6) सेवा उत्पादन सूचकांक और सेवा मूल्य सूचकांक में अपनाई जाने वाली कार्य-प्रणालीयों को तैयार करने के लिए एकीकृत दृष्टीकोण अपनाया जाना चाहिए। ऐसे एकीकरण से कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी क्योंकि दोनों सूचकांकों के लिए सीएसओ और डीआईपीपी द्वारा गठित विशेषज्ञ समूहों की अध्यक्षता एक ही व्यक्ति द्वारा की गई। इसके अलावा, एनएससी ने यह भी कहा कि तैयार किए गए सूचकांक राष्ट्रीय लेखा परिमाण अनुमानों के साथ संगत होने चाहिए।

सीएसओ (एनएडी) और डीआईपीपी के समन्वय से, सीएसओ (ईएसडी) को इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए।

2.18 उपर्युक्त सिफारिशें सीएसओ (ईएसडी) को दिनांक 18 जुलाई, 2014 के पत्र संख्या 4(68)/2014-एनएससी द्वारा संप्रेषित कर दी गई थी।

राष्ट्रीय लेखाओं के संशोधन के संदर्भ में आईआईपी तथा डब्ल्यूपीआई के आधार वर्ष में संशोधन की सामयिकता

2.19 आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर 2011-12 वाली संशोधित राष्ट्रीय लेखा की नई श्रृंखला 31 जनवरी, 2015 को जारी की जानी थी। चूंकि राष्ट्रीय लेखाओं के संकलन में आईआईपी, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई जैसे विभिन्न सूचकांकों को भी शामिल करना होता है इसलिए इन सूचकांकों में किसी भी प्रकार के संशोधन से राष्ट्रीय लेखाओं में भी संशोधन होगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण, शहरी तथा संयुक्त), आईआईपी तथा डब्ल्यूपीआई की नई श्रृंखला वर्ष 2015 में जारी की जानी है। राष्ट्रीय लेखा की नई श्रृंखला में सीपीआई की नई श्रृंखला शामिल की जाएगी, जो 12 जनवरी, 2015 को या उससे पहले जारी की जाएगी। तथापि आईआईपी और डब्ल्यूपीआई के लिए यह संभव नहीं होगा। चूंकि राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, आईआईपी और डब्ल्यूपीआई के मामले में नई श्रृंखला के भारण आरेखों को अंतिम रूप देने का आधार होंगे, इन सूचकांकों की नई श्रृंखला जारी करने से अवश्य रूप से राष्ट्रीय लेखाओं की नई श्रृंखला भी जारी करनी होगी।

2.20 आधार वर्ष बदलाव (2011-12) करने के उपरांत राष्ट्रीय लेखा अनुमानों में संशोधनों को ध्यान में रखते हुए, सीएसओ ने कहा कि दो एजेंसियों नामत: ईएसडी तथा डीआईपीपी द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्रवाई की जाए :

क) संशोधन का एक कैलेंडर तैयार किया जाए, जिससे कि जुलाई, 2015 तक नई श्रृंखला जारी की जा सके।

ख) नई श्रृंखला में राष्ट्रीय लेखाओं के संशोधित आधार अनुमान शामिल होने चाहिए, जो उनके भारण आरोखों के संकल्पनार्थ, जनवरी, 2014 के अंत तक उपलब्ध होंगे।

ग) दिसम्बर, 2015 तक पुराने आधार वर्ष (2004-05) पर ही सूचकांक जारी किए जाने चाहिए।

2.21 ऊपर बताए गए मुद्दों पर एनएससी की 70वीं बैठक में उसके द्वारा विचार किया गया। आईआईपी तथा डब्लयूपीआई के संकलन में शामिल सीएसओ (ईएसडी) तथा डीआईपीपी के अधिकारी उनके द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए भी बैठक में उपस्थित थे।

<u>आयोग की सिफारिशें</u>

2.22 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित कार्रवाई पर बैठक में सहमति बनी :

(1) सीएसओ (एनएडी) आधार वर्ष (संशोधित आधार वर्ष के लिए) अनुमान तैयार करेगा और जनवरी 2015 तक सीएसओ (ईएसडी) तथा डीआईपीपी के साथ उन्हें साझा करेगा।

(2) तत्पश्चात, एक वर्ष के अंदर, सीएसओ (ईएसडी) तथा डीआईपीपी औद्योगिक उत्पाद सूचकांक (आईआईपी) और उपभोग) मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) की संशोधित श्रृंखला सीएसओ (एनएडी) को उपलब्ध कराएगा।

(3) सीएसओ (ईएसडी) तथा डीआईपीपी मई, 2016 तक पुराने आधार वर्ष (नई श्रृंखला के साथ) पर अपने संबंधित सूचकांक जारी करेगा।

(4) सीएसओ (एनएडी) आपूर्ति उपभोग तालिका से उत्पादवार भार सीएसओ (ईएसडी) तथा डीआईपीपी को 2011-12 के आंकड़े के आधार पर (जो कि पहले से ही उपलब्ध हैं) जल्द से जल्द उपलब्ध कराएगा, जिससे कि भार का उपयोग आईआईपी तथा डब्ल्यूपीआई के भार आरेख तैयार करने के लिए कर सकेगा। आईआईपी तथा डब्ल्यूपीआई में उद्योग वार भार उपयोग करने की वर्तमान प्रथा के स्थान पर उत्पादवार भार उपयोग करना बेहतर होगा।

(5) सीएसओ (ईएसडी) अपनी नई श्रृंखला के लिए उनके द्वारा तैयार मद बास्केट को डीआईपीपी के साथ साझा करेगा और डब्ल्यूपीआई की नई श्रृंखला के लिए मद बास्केट को तैयार करने में डीआईपीपी की मदद करेगा।

(6) डीआईपीपी तथा सीएसओ (ईएसडी) अपने संबंधित सूचकांक की नई श्रृंखला जारी करने में सामयिकता को पूरा करने के लिए कार्रवाई योजना तैयार कर सकते हैं।

(7) डीआईपीपी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की सलाह से एनएसएसओ (एफओडी) के माध्यम से समयबद्ध एकत्र डब्ल्यूपीआई हेतु नए आधार वर्ष के लिए डेटा रखने की कार्यनीति विकसित करे।

(8) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा डीआईपीपी विशेष रूप से समान सूचना प्रदाताओं के मामले में, नए आईआईपी तथा डब्ल्यू पीआई के लिए आंकड़ा संग्रहण तंत्र को एकीकृत करने पर भी विचार कर सकता है।

2.23 उपर्युक्त सिफारिशें सीएसओ (एनएडी), सीएसओ (ईएसडी) तथा डीआईपीपी को पत्र संख्या 4(70)/2014-एनएससी दिनांक 18 जुलाई, 2014 के माध्यम से अग्रेषित की गई थी।

आईआईपी के लिए आधार वर्ष का संशोधन

2.24 नए आधार वर्ष के साथ अखिल भारत औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संकलन हेतु कार्यप्रणाली विकसित करने के लिए डा. सौमित्र चौधरी, तत्कालीन सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समूह गठित किया गया था। कार्यकारी समूह ने मई, 2014 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ आईआईपी के आधार वर्ष को बदलकर 2011-12 करने की सिफारिश की। कार्यकारी समूह की रिपोर्ट पर, 71वीं बैठक में एनएससी के समक्ष सीएसओ (ईएसडी) के अधिकारियों द्वारा एक प्रस्तुतीकरण दिया गया।

<u>आयोग की सिफारिशें</u>

2.25 कार्यकारी समूह की रिपोर्ट पर विचार करने के उपरांत, निम्नलिखित सिफारिशें की गई :

(1) सीएसओ (ईएसडी), कार्यकारी समूह की सिफारिशों पर आधारित कार्यान्वयन का विस्तृत ब्योरा तैयार करके रिपोर्ट की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए एनएससी को एक नोट उपलब्ध कराएगा।

(2) आईआईपी के संशोधन में अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली को पब्लिक डोमेन में रखने की सीएसओ की एक प्रथा है। इस पर सुझाव है कि इसमें आईआईपी पर मिलने वाली अंतर्राष्ट्रीय सिफारिशों को किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है, यदि उसमें कोई फेरबदल किए गए हैं, तो उसके क्या कारण हैं पर एक नोट शामिल किया जाना चाहिए।

(3) आईआईपी पर प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय सिफारिशों पर औद्योगिक क्षेत्र में खनन तथा उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैर, भाप और एयर कंडिशनिंग आपूर्ति तथा जलापूर्ति, मल, कचरा निपटान तथा उपचारात्मक कार्यकलापों को शामिल करके परिभाषित किया गया है। प्रस्ताविक आईआईपी संशोधन प्रक्रिया में कवरेज बदलावों को स्पष्ट रूप बनाना होगा जिससे उपयोगकर्ताओं को उचित मार्गदर्शन मिल सके।

(4) रिसायकल और विशेष रूप से जहाज विघटित करने के कार्यकलापों को आईआईपी में पर्याप्त रूप शामिल नहीं किया गया है। जेपीसी के अधिकारियों ने बताया जहाज विघटित करने में पर्याप्त योगदान है और संदर्भित आंकड़ा उनके द्वारा नियमित रूप से एकत्र किया जाता है। इस मुद्दे पर विस्तार से अध्ययन किया जाए और यदि इन कार्यकलापों का योगदान पर्याप्त मात्रा में है, तो उन्हें आईआईपी में शामिल किया जाए।

(5) जुलाई, 2012 में हुई 52वीं बैठक में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने कहा कि आईआईपी में मौसमी मदों (उदाहरणतया चीनी) को मासिक भार देने की संभाव्यता तलाशी जाए और इसे आईआईपी पर कार्यकारी समूह के समक्ष रखा जाए। जबकि इस मुद्दे पर अंतिम रिपोर्ट में कार्यकारी समूह द्वारा विचार किया गया था, मौसमी मदों के लिए मासिक भार योजना की सिफारिश नहीं की गई। तथापि, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने कहा कि इस कार्यपद्धति की जांच सीएसओ (ईएमडी) मौजूदा आंकड़ों के परिप्रेक्ष्य में की जाए और संशोधित आईआईपी में इसके अनुपालनार्थ, महत्वपूर्ण मौसमी मदों और विशेष रूप से कम से कम चीनी के मामले में एनएससी के विचारार्थ एक नोट प्रस्तुत करें।

(6) गैर प्रतिक्रिया के मुद्दों को सुलझाने के लिए विभिन्न पद्धतियां उपलब्ध हैं। कोई भी एक पद्धति जो किसी स्रोत एजेंसी के लिए उपयुक्त हो सकती है, वह अन्य स्रोत एजेंसियों के लिए अनुपयुक्त हो सकती है। गैर-प्रतिक्रिया/गैर टिप्पणियों के मामले में प्रत्येक स्रोत एजेंसी द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया को संबंधित स्रोत एजेंसी की सलाह से सीएसओ (ईएसडी) द्वारा बताई जाए।

(7) उन मामलों में, जहां एएसआई फ्रेम के अनुसार किसी एक वस्तु (आईआईपी के कवरेज में शामिल) को केवल एक अथवा दो फैक्टरियां उत्पादन कर रही हैं तो सूची अनुपूर्ति हेतु एमसीए फ्रेम, एमएसएमई फ्रेम तथा आर्थिक गणना फ्रेम जैसे अन्य स्रोतों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

(8) सूचना प्रदाताओं के सामान्य सेटों के संबंध में आईआईपी और डब्ल्यूपीआई के लिए आंकड़ा संग्रहण को एकीकृत किया जाए।

(9) स्रोत एजेंसियों को सुदृढ़ बनाने और आईआईपी के प्रस्तावित संशोधन में समयपरकता तथा गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनशक्ति आदि के अनुसार एक विस्तृत प्रस्ताव स्रोत एजेंसियों की सलाह से सीएसओ (ईएसडी) द्वारा तैयार करके राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को प्रस्तुत किया जा सकता है।

(10) उद्योगों में प्रवेश करने वाली नई इकाइयों के योगदान के मुद्दे पर, विशेष रूप से उन इकाइयों से जिनमें पर्याप्त उत्पादन हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत नोट सीएसओ (ईएसडी) द्वारा एनएससी को प्रस्तुत की जाए।

(11) सीबीईसी मासिक रिटर्नों में उपलब्ध उत्पादन आंकड़े तक पहुंच बनाने के संबंध में सीएसओ (ईएसडी), रिटर्नों से उत्पादित होने वाले आंकड़ों पर, एनएससी को अलग से एक टिप्पणी उपलब्ध कराए।

2.26 उपर्युक्त सिफारिशें सीएसओ (ईएसडी) को, पत्र संख्या 4(71)/2014-एनएससी दिनांक 27 अक्तूबर, 2014 के माध्यम से अग्रेषित की गई थी।

अल्पावधि आर्थिक आंकड़ों के लिए मौसमवार समायोजित श्रृंखला जारी करना

2.27 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 9 अक्तूबर, 2012 को डा. दिलीप नाचने की अध्यक्षता में एक विशेष समूह का गठन किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मौसमवार समायोजित आंकड़ा श्रृंखला प्राप्त करने के लिए उचित कार्य पद्धति का विकास करने की बात कही गई। नाचने समिति ने 19 मई, 2014 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मौसमवार समायोजन के मुद्दे और कुछ विकसित देशों में उपलब्ध सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए समिति ने तिमाही सकल घरेलू उत्पाद आंकड़ों, सीपीआई, आईआईपी, डब्लयूपीआई से संबंधित आंकड़ों के साथ-साथ मौसम समायोजित श्रृंखला का प्रसार, इन आंकडों के संकलन और प्रसार के लिए संबंधित एजेंसियों को ही उत्तरदायी बनाया।

2.28 नाचने समिति की रिपोर्ट एनएससी के समक्ष उसकी 68वीं बैठक में प्रस्तुत की गई थी। समिति ने मौसमी समायोजित (X-11 अथवा X-12 मॉडल का उपयोग करते हुए) तथा असमायोजित श्रृंखला को एक साथ जारी करने की इच्छा जाहिर की। यह नोट किया गया कि मौसमी समायोजित श्रृंखला के उत्पादन में कम से कम पांच वर्षों के आंकड़े चाहिए होते हैं और जब कभी भी किसी माह/तिमाही, जैसा भी मामला हो के लिए श्रृंखला प्राप्त करनी होती है तो पिछले माह/तिमाही के मौसमी समायोजित आंकड़ों में आगे समायोजित करना होता है। इससे उपयोगकर्ताओं को असुविधा होगी। एनएससी ने यह भी देखा कि ऐसी कई गैर-सरकारी

संगठन थे जो सांख्यिकीय परीक्षण अथवा मौसमी स्थायित्व की जांच किए बिना ही मौसमी समायोजित श्रृंखला प्रेषित कर रहे थे।

<u>आयोग की सिफारिशें</u>

2.29 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने नाचने समिति की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए मौसमी समायोजित सूचकांक उत्पन्न करने में आ रही कठिनाइयों को समझा और निम्नलिखित सिफारिश की :

(1) असमायोजित सूचकांक श्रृंखला जारी करने की मौजूदा प्रथा जारी रखी जानी चाहिए।
(2) सीएसओ को, मौसमी स्थिरता के लिए सरकारी संगठनों द्वारा तैयार असमायोजित श्रृंखला के परीक्षण का कार्य करना चाहिए और निष्कर्षों को पब्लिक डोमेन पर रखना चाहिए।
(3) सीएसओ (एनएडी), सकल घरेलू उत्पाद (समग्र तथा क्षेत्रवार तथा इनके संकलन में उपयुक्त संकेतकों के साथ मौसमी स्थिरता पर मार्गनिर्देशों सहित नाचने समिति द्वारा की गई सिफारिशों की तर्ज पर मौसमी समायोजित सूचकांक जारी करने के लिए आवधिक रूप से तकनीकी दस्तावेज प्रकाशित करे।

2.30 उपर्युक्त सिफारिशें सीएसओ (एनएडी) को पत्र संख्या 4(68)/2014-एनएससी दिनांक 18 जुलाई, 2014 के माध्यम से अग्रेषित कर दी गई थी।

राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी

2.31 आधार वर्ष 2011-12 के साथ राष्ट्रीय लेखाओं की नई श्रृंखला के लिए प्रस्तावित अवधारणात्मक बदलावों की समीक्षा के लिए 19 जनवरी, 2015 को एनएससी तथा राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति की एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई थी।

<u>आयोग की सिफारिशें</u>

2.32 संयुक्त बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की गई थी :

आधार मूल्यों पर जीवीए की प्रस्तुति

(1) कारक लागत पर अनुमान विघटन के स्तर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। संभाव्यतया सीएसओ (एनएडी) द्वारा समय-समय पर जारी प्रेस नोट के अनुलग्नक के तौर पर।
(2) प्रेस नोट के साथ शब्दावली, परिवर्णी 2015 और फार्मूला दर्शाने वाला अनुलग्नक भी होगा।
(3) आर्थिक गणना 2014-15 में शामिल करने के लिए बदलावों पर एक संक्षिप्त नोट भी तैयार किया जाए।

(4) बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को अब से "सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कहा जाएगा।

सरकार में बदलाव

(5) रक्षा के पूंजीगत लेखा शीर्ष 4076 के घटक वर्तमान श्रृंखला में भी यथावत रहेगा।

(6) अप्रत्यक्ष करों/उत्पादन पर आर्थिक मदद/उत्पादन कर/आर्थिक मदद का वर्गीकरण उनके विवरण के आधार पर नोट किया गया था। चूंकि आधार मूल्यों पर जीवीए के अनुमानों में उत्पादन कर और सब्सिडी भी शामिल होती है तो इसलिए अधिमानत: बजट शीर्ष द्वारा सभी करों/सब्सिडियों को भी विवरणिका तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों में शामिल करने पर विचार किया जाना चाहिए जिससे कि अवधारणा में अधिक स्पष्टता आ सके।

निर्माण, पूंजी निर्माण, पूंजी स्टॉक, सीएफसी तथा बचत में बदलाव

(7) आवासों, अन्य भवनों एवं संरचनाओं, मशीनरी व उपकरणों, कृष्ट जैविक संसाधन तथा बौद्धिक संपदा उत्पादनों को परिसंपत्ति के प्रस्तावित वर्गीकरण को अनुमोदित किया गया। सुझाव दिया गया कि परिसंपत्तियों के ऐसे वर्गीकरण के आंकड़ा स्रोतों की सूची के साथ ही प्रेस नोट में परिसंपत्तियों के पुरानी और नई वर्गीकरण के समान क्रमणिका तैयार की जाए।

(8) निर्माण में उपयोग की जाने वाली मूलभूत सामग्री की मदों में किए जाने वाले बदलावों के संबंध में खनन क्षेत्र में रेत उत्पादन संबंधी सूचना आपूरित करने के लिए निर्माण लागत से प्राप्त रेत के मूल्य को प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

(9) चूंकि परिवारों द्वारा अर्जित बहुमूल्य वस्तुओं को वित्तीय पहलू की वास्तविक परिसंपत्तियों में परिवार बचत के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव था, इसलिए सुझाव दिया गया कि उपयोगकर्ताओं के लिए इस मद को पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया जाए।

निजी अंतिम उपभोग व्यय

(10) पीएफसीई में सुझाए गए बदलावों पर सहमति बनी।

(11) सेवाओं के सामाजिक उपभोग पर चल रहे एनएसएस सर्वेक्षण के परिव्यय जब उपलब्ध होंगे, पीएफसीई के संकलन में उपयोग किए जाने वाले अनुपातों तथा कार्य पद्धति की दोबारा जांच की जानी चाहिए। बदलाव, यदि अपेक्षित हो, तो अगले वर्ष अनुमानों में शामिल किया जाए।

(12) नई श्रृंखला की विवरणिका में, मदवार किए गए बदलावों तथा पीएफसीई पर उसके प्रभावों पर प्रकाश डाला जाए।

संगठित विनिर्माण

(13) पंजीकृत/संगठित निर्माण के मामले में स्थापना दृष्टिकोण के स्थान पर उद्यम दृष्टिकोण अपनाने के प्रस्ताव को इन निर्देशों के लिए अनुमोदित किया गया कि इन दो दृष्टिकोणों के अनुमानों में अंतरालों पर उपयोगकर्ताओं को सावधानी बरतने के लिए कहा जाए।

(14) राष्ट्रीय लेखाओं के संकलन के प्रयोजन हेतु उद्यम दृष्टिकोण एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि सभी प्रधान कार्यालय/आनुषंगिक कार्यकलाप जो कि वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण में पर्याप्त रूप से कवर नहीं होते हैं, का इस पद्धति से लेखा-जोखा रखा जा सकता है।

(15) विभिन्न संकलन श्रेणियों को आबंटन देने के संबंध में, उद्यम दृष्टिकोण से प्राप्त कुल के लिए आबंटनों के लिए एएसआई का उपयोग करने की पद्धति की, एमसीए से उद्योगों के विस्तृत वर्तमान वर्गीकरण पर अधिक सूचना उपलब्ध होने पर पुन: जांच की जाए। इसके अलावा, एएसआई में कवर होने वाली प्रत्येक फैक्टरी के सीआईएन नम्बर प्राप्त करने के प्रयासों से दो आंकड़ा आधारों को जोड़ने और उद्योगवार स्टीक वर्गीकरण करने में सहायक होगा।

असंगठित विनिर्माण तथा गैर-वित्तीय सेवाएं

(16) पूर्व की कार्यपद्धति में मालिकों, काम पर रखे गए कामगारों और हैल्परों के लिए माना जाता था कि वे बराबर की उत्पादकता कर रहे है। प्रस्तावित कार्य पद्धति प्रत्येक कामगार उनसे संबद्ध उत्पादकता के आधार पर उन्हें संबंधित अधिमान देकर विभिन्न कामगारों को "प्रभावी कामगार" में परिवर्तित करती है। काम पर लिए गए कामगारों के अनुसार मालिकों और श्रम इनपुट (एलआई) की हैल्पर श्रेणी के रूपांतरण घटकों को प्राप्त करके, उनका उपयोग 68वें दौर ईयूएस तथा 67वें दौर के उद्यम सर्वेक्षण से "प्रति प्रभावी कामगार जीवीए" का संकलन करने के लिए किया जाता है।

(17) प्रभावी एलआई पद्धति का उपयोग, व्यापार, होटल और रेस्तरां तथा गैर मशीनीकृत सड़क परिवहन के अलावा, असंगठित क्षेत्र के विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र की सभी श्रेणियों के लिए उपयोग किया गया। इन मामलों में ग्रामीण उद्यमों के लिए उद्यम के जीवीएपीडब्ल्यू के साथ मौजूदा एलआई पद्धति तथा शहरी उद्यमों के लिए डीटीई (5 कामगारों से अधिक) के जीवीएपीडब्ल्यू का उपयोग किया गया है।

(18) असंगठित विनिर्माण के संबंध में इन श्रेणियों में आधार वर्ष अनुमान हिर्वेशन की कार्य पद्धति के संबंध में उपयोग के लिए केवल एएसआई के गैर कापोरेट खंड के अनुमानों का उपयोग करने की जांच की जाए। चूंकि एएसआई 2011-12 तथा 2012-13 प्रतिदर्श विवरण के अनुसार पर्याप्त रूप से भिन्न हैं, इसलिए ये दो एएसआई के गैर-कारपोरेट खंड तुलनीय नहीं हो सकते। अत: संबंधित संकलन श्रेणी में कुल एएसआई वृद्धि का उपयोग करने की प्रस्तावित कार्य पद्धति का उपयोग एएसआई 2013-14 के परिणाम उपलब्ध होने तक किया जाए तथा कार्यपद्धति की पुन: जांच की जाए। आधार वर्ष के बाद के वर्षों के लिए उपयोग किए जाने वाले

संकेतकों को वर्तमान तथा स्थिर मूल्यों पर दोनों के लिए अनुमान स्पष्ट रूप से बताया जाए।

(19) यह सुझाव दिया गया कि निम्नलिखित संकेतकों में वृद्धि, प्राथमिकता के क्रम से असंगठित सेवाओं की श्रेणियों के विभिन्न संकलित श्रेणियों के अनुमानों के लिए उपयोग की जाए।

(i) व्यापार के बिक्री कर/संबंधित सेवा के सेवा कर
(ii) संबंधित सेवा के कारपोरेट क्षेत्र की वृद्धि दर
(iii) निकटम समूह/उप-समूह का उपभोग व्यय
(iv) जनसंख्या

(20) व्यापार के मामले में, जब जीएसटी परिचालित होगा तो संकेतक की पुन: जांच की जानी चाहिए।

अन्य मुद्दे

(21) चूंकि आधार वर्ष के लिए आपूर्ति उपयोग तालिका अभी पूरी होनी है; "बचत" निर्धारित करने की मौजूदा प्रणाली को चालू रखा जाए। आधार वर्ष के लिए आपूर्ति उपयोग तालिका को शीघ्रतिशीघ्र पूरा किया जाए तथा एसीएनएएस की बाद की बैठकों में इन पर पर्याप्त रूप से चर्चा की जाए।

(22) "लेबर इनपुट पद्धति" केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए उत्तरदायी है। पद्धति में "औपचारिक" क्षेत्र के "अनौपचारिक" कामगारों के मूल्य को श्रेय नहीं दिया जाएगा। इसे उद्योगों में अपनाई जा रही अनुमानन पद्धति पर ध्यान देते हुए उद्योग स्तर पर जांच करने की आवश्यकता है। मामले पर सोच-विचार करने और आवश्यक गणना करने के लिए उपलब्ध समय की कमी को देखते हुए, इस पर अगले संशोधनों के दौरान विचार किया जाएगा।

(23) ईंधन खनिजों की अनुमानन प्रक्रिया में किए गए बदलावों को नोट करते समय सिफारिश की गई थी उद्यम दृष्टिकोण का उपयोग न केवल ईंधन खनिजों के लिए बल्कि अन्य सभी प्रमुख खनिजों के लिए भी किया जाए। मूल्यवर्धन/खनिज द्वारा उत्पादन की गणना के लिए आईबीएम के उपलब्ध ब्योरों का उपयोग किया जाए।

(24) 30 जनवरी को जारी होने वाले प्रेस नोट में "राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी" तथा "राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी – स्रोत तथा पद्धति" नई श्रृंखला की पुस्तिका जैसे संबंधित दस्तावेज जारी करने की समय-सीमा तय की जानी चाहिए। पुस्तिका में विभिन्न उप-समितियों की सिफारिशों की सूची प्रत्येक के कार्यान्वयन की स्थिति के साथ शामिल किया जाना चाहिए। एसएनए 2008 की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति का भी उल्लेख विवरण पुस्तिका में होना चाहिए।

(25) चूंकि राष्ट्रीय लेखा की नई श्रृंखला में पहली बार एमसीए - 21 आंकड़ा आधार को शामिल किया जाएग, श्रृंखला में अवधारणात्मक टिप्पणी भी शामिल की जानी है। उपयोगकर्ताओं को इस पहलू पर भी विशेष रूप से मार्गदर्शन दिया जाए।

उपयोगकर्ताओं द्वारा समय श्रृंखला विश्लेषण सुविधाजनक बनाने के प्रयोजन से, विवरण पुस्तिका के साथ, उपलब्ध डाटा सेटों (एक 2004-05 के आधार पर तथा दूसरा 2011-12 के आधार पर) से लंबी अवधि की श्रृंखला संकलित की पद्धति दर व्याख्यात्मक टिप्पणी जारी की जा सकती है।

आईएमएफ द्वारा आरओएससी मिशन का संचालन

2.33 एनएससी की 62वीं बैठक में सिफारिश की गई कि आईएमएफ के मानकों और संहिताओं के प्रेक्षण पर रिपोर्ट के अंतर्गत मूल्यांकन के लिए एक मिशन भेजने का प्रस्ताव भेजा सकता है जो भारत में राष्ट्रीय लेखाओं के संकलन की कमियों की पहचान कर सकेगा। अनुपालना में, सीएसओ द्वारा वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग, जो कि आईएमएफ की नोडल एजेंसी है, को आरओएससी मिशन के आयोजन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया। जबाव में, आईएमएफ ने जानकारी मांगी है कि क्या आंकड़ा आरओएससी के अंतर्गत मूल्य सूचकांकों को भी शामिल करने की आवश्यकता है।

2.34 एनएससी की 72वीं बैठक में मामले पर विचार किया गया। सीएसओ (एनएडी) ने इस बैठक में कहा कि राष्ट्रीय लेखाओं की नई श्रृंखला में अनुमानों के संकलन के लिए डब्ल्यूपीआई तथा सीपीआई (ग्रामीण/शहरी/संयुक्त) का उपयोग किया जाएगा और आरओएससी आंकड़ों के अंतर्गत मूल्य सूचकांकों को शामिल करना भी वांछनीय होगा क्योंकि राष्ट्रीय लेखाओं के संकलन के लिए यह एक महत्वपूर्ण इनपुट हैं। डीआईपीपी के अधिकारी जोकि इस बैठक में उपस्थित थे सीएसओ (एनएडी) के विचारों से सहमत थे और उन्होंने कहा कि सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लेने के उपरांत आरओएससी मिशन में डब्ल्यूपीआई को शामिल करने की औपचारिक सहमति अग्रेषित की जाएगी।

<u>आयोग की सिफारिशें</u>

2.35 उपर्युक्त के मद्देनजर, एनएससी ने सिफारिश की कि मूल्य सूचकांकों (डब्ल्यू पीआई तथा सीपीआई) को भी आरओएससी आंकड़ों में शामिल किया जाए।

2.36 उपर्युक्त सिफारिश अपर महानिदेशक सीएसओ (एनएडी) को पत्र संख्या 4(72)/2014-एनएससी दिनांक 4 दिसम्बर, 2014 के माध्यम से संप्रेषित की गई थी।

मजदूरी दर आंकड़ों की कवरेज हेतु वर्गीकरण

2.37 श्रम ब्यूरो की पत्रिका "ग्रामीण भारत में मजदूरी दर" गैर-कृषि व्यवसायों के लिए मजदूरी आंकड़े संकलित करने के लिए अत्यंत शक्तिशाली वर्गीकरण का उपयोग कर रही थी। पहले छह वर्गीकरणों में कुशल गैर-कृषि कामगारों की एक संपूर्ण सूची द्योतित नहीं कर रही थी, परिणामस्वरूप, अंतिम वर्गीकरण (अकुशल श्रमिक) से ऐसा लगता था कि हर दूसरा कामगार आवश्यक रूप से अकुशल कामगार ही है। अत: कामगारों के वर्गीकरण की समीक्षा करना आवश्यक समझा गया।

2.38 एनएससी ने अपनी 48वीं बैठक में मामले की समीक्षा की और सिफारिश की कि मुद्दों की देखरेख करने के लिए डॉ. टी एस पपोला की अध्यक्षता में सीएसओ एक कार्यकारी समूह का गठन करे। सीएसओ ने 12 नवम्बर, 2012 को एक कार्यकारी समूह का गठन किया। कार्यकारी समूह ने 30 मई, 2013 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

2.39 एनएससी ने अपनी 68वीं बैठक में कार्यकारी समूह की सिफारिशों को नोट किया। बैठक में सीएसओ (ईएसडी) ने एनएससी को सूचित किया कि अक्तूबर, 2013 में श्रम ब्यूरो द्वारा उनके मजदूरी आंकड़ा संग्रहण सर्वेक्षण में कार्यकारी समूह की सिफारिशों का कार्यान्वयन किया गया।

<u>आयोग की सिफारिशें</u>

2.40 बाद की अनुवर्ती कार्रवाई पर कार्यकारी समूह की सिफारिशों तथा रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित सिफारिश की :

(1) वर्गीकरण में संशोधन, राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण के सदृश होगा तथा एनएसएसओ के रोजगार-बेराजगारी सर्वेक्षणों में गैर-कृषि व्यवसाय की कोडिंग का पैटर्न अपनाया जाएगा। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो वर्गीकरण में आगे संशोधन किया जाएगा।

(2) अंतिम रूप से तैयार वर्गीकरण को केंद्र तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उपयोगकर्ता विभागों और अन्य उपयोगकर्ताओं को संप्रेषित किया जाएगा। सीएसओ (ईएसडी) मुद्दे को तदनुरूप श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ उठाए।

2.41 उपर्युक्त सिफारिशें अपर महानिदेशक, सीएसओ (ईएसडी) को पत्र संख्या 4(68)/2014 – एनएससी दिनांक 18 जुलाई, 2014 के माध्यम से संप्रेषित की गई थी।

श्रम बल सांख्यिकी

2.42 19वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सांख्यिकी सम्मेलन में सिफारिश किए गए मौजूदा तथा नए संकेतकों के सैंट के माध्यम से कार्य, रोजगार तथा बेरोजगारी को मापने के वर्धित पैमाने को एनएससी ने नोट कर लिया था। इस पर निहितार्थ चर्चा करने के लिए एनएससी ने अपनी वर्ष 2013-14 की वार्षिक रिपोर्ट में सिफारिश की कि एनएसएसओ एक परामर्श पत्र तैयार करके, सभी हितधारकों और आंकड़ा उपयोगकर्ताओं के सुझाव जानने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन कर सकता है। एनएससी की 69वीं बैठक में भारत के मुख्य सांख्यिकीविद ने बताया कि कार्यशाला आयोजित करने की सभी औपचारिकताएं आईएलओ की सलाह से तैयार की जाएंगी और अगली कास्को बैठक में विचार-विमर्श करने सहित सांख्यिकी बिरादरी में विभिन्न साधनों के माध्यम से सिफारिशों के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जाएगी। मामले पर एनएससी की 70वीं बैठक में पुन: समीक्षा की गई।

<u>आयोग की सिफारिशें</u>

2.43 एनएससी ने सिफारिश की कि कार्यपद्धति में लाए गए बदलावों को पुष्ट करने के लिए प्राथमिकता पर एक कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए, मामले को काक्सो को रिपोर्ट किया जाए, जिससे कि नई पद्धति के कार्यान्वयन में वे अपने सरकारी तंत्र को सक्रिय करने के लिए राज्यस्तरीय अधिकारियों में संचेतना पैदा कर सकें।

2.44 उपर्युक्त सिफारिश सीएसओ (ईएसडी) को पत्र संख्या 4(70)/2014-एनएससी दिनांक 15 सितम्बर, 2014 केक माध्यम से संप्रेषित किया गया था।

बच्चों के परिणामों का आकलन करने का सर्वेक्षण(एसएमओसी)

2.45 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता आदि संबंधी अनेक बडे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के समग्र परिणामों की मॉनीटरिंग के लिए एक स्कीम पर विचार कर रहा है, ताकि देश में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के समग्र विकास संबंधी इन कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके। दिसम्बर, 2008 में, इसे देश में बच्चों और महिलाओं के कल्याण का आकलन करने के लिए कुछ चुनिंदा परिणाम संकेतकों की निगरानी करने के लिए बार-बार किए गए परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से एक कार्यक्रम प्रारंभ करने हेतु यूनिसेफ से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

2.46 प्रस्ताव पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में विचार-विमर्श किया गया तथा यूनिसेफ की सहायता से द्विवार्षिक परिवार आधारित प्रतिदर्ष सर्वेक्षण के रूप में तथा बाद में, 12 वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करके मंत्रालय के एक नियमित कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ किए जाने के लिए स्वीकार गया । सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुमोदन से, उनकी अध्यक्षता में एक संचालन समिति तथा प्रो. एस पी मुखर्जी, कोलकाता यूनिवर्सिटी के पूर्व-प्रोफेसर की अध्यक्षता में एक तकनीकी सलाहकार समिति(टीएसी) गठित की गई।

2.47 तकनीकी सलाहकार समिति और संचालन समिति की अनुशंसाओं के आधार पर, नास्ता द्वारा एक अवधारणा कागजात तैयार किया गया तथा इसे इसकी 10 वीं बैठक में विचार करने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को प्रस्तुत किया गया। कागजात में प्रस्तावित था कि बच्चों के परिणामों का आकलन करने का सर्वेक्षण (एसएसओसी) मुख्यत: ईएजी राज्यों में बच्चों द्वारा अनुसरण किए विविध विकास प्रक्षेप-पथो (ट्रॅजेकटरिज) का प्रग्रहण करने पर बल देते हुए बच्चों का एक देशान्तरीय डेटा बनाया जाएगा।

संकेतक/सह-संबंध निम्नलिखित कोण से बच्चों के विकास की निगरानी करने से संबंधित होंगे।

क) प्रारंभिक बाल देखभाल और संरक्षण

ख) स्वास्थ्य

ग) पोषाहार तथा

घ) स्कूल-पूर्व तथा प्राथमिक शिक्षा

ङ) पृष्ठभूमि में विभिन्न प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अंतगर्त प्रदत्त सेवाओं तक पहुँच रखना तथा उपयोग

2.48 कुछ परवर्ती विकास तथा मुद्दों को देखते हुए, जो नीचे दर्शाए गए हैं, नास्ता ने एक मुद्दा उठाया कि क्या एसएमओसी परियोजना का अनुसरण किया जाना है अथवा नहीं ।

i) यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, जिसने एसएमओसी परियोजना पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के साथ साझेदार बनने एवं सहयोग करने में पहले काफी रूचि दिखाई थी, इस प्रयास में कोई अधिक रूचि लेती प्रतीत नहीं होती है। परियोजना पर सोच-विचार किया गया तथा अधिकांशत: उनकी रूचि को ध्यान में रखकर मूल रूप से तैयार किया गया था ।

ii) यद्यपि, पूर्व में महिला और बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यू सीडी) से सिद्धान्त रूप में सहमति थी, न तो महिला और बाल विकास मंत्रालय से अथवा न ही किसी अन्य संबंधित मंत्रालय से, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले ऐसे किसी अध्ययन की स्पष्ट अथवा सुनिश्चित रूप से कोई मॉग नहीं है।

iii) परियोजना के लिए अनन्तिम अनुमानित बजट 7 वर्षों की अवधि अथवा अधिक परिकल्पित कार्यान्वयन के लिए 100 करोड रूपए से अधिक है तथा बाह्य एजेंसियों से सहायता का कोई निश्चित ऑफर दूर-दूर तक दिखाई नहीं देता।

iv) नास्ता पहले ही अत्यधिक जनशक्ति की कमी का सामना कर रहा है/जूझ रहा है तथा यदि परियोजना का कार्यान्वित करने का निर्णय लिया जाता है तो केवल इसके लिए कार्य करने हेतु 4-5 अधिकारियों की समर्पित टीम की अपेक्षा होगी । (विभिन्न पदानुक्रम स्तरों पर)

2.49 नास्ता के अधिकारियों ने अपनी 70 वीं बैठक में एनएससी के समक्ष रखने हेतु इस विषय पर प्रस्तुतीकरण तैयार किया। उन्होंने बताया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस सर्वेक्षण के लिए एक सांकेतिक प्रावधान किया गया है। इस बैठक में यह भी नोट किया गया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में एक मदर-चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम प्रारंभ किया है, जो एक आंकड़ा आधार उपलब्ध करा सकता है।

आयोग की सिफारिशें

2.50 विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त, एनएसी ने निम्नलिखित अनुशंसाएं की:-

1) एसएमओपी को इसके वर्तमान रूप में अविलम्ब बर्खास्त किया जा सकता है।

2) चूँकि विषयगत मामला उच्च महत्ता का है, नास्ता और सीएसओ(एसएसडी) संयुक्त रूप से, बच्चों और महिलाओं के विकास का पता लगाने की एक नई स्कीम बनाएंगे। इस स्कीम को तैयार करते हुए, निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाएगा:-

क) कतिपय आंकड़ों की कमी के कारण, यह सर्वेक्षण देशान्तरीय सर्वेक्षण होगा। मौजूदा स्रोतों से क्रॉस-सेक्शनल डेटा उपलब्ध हैं।

ख) चूँकि विषयगत मामला बहुआयामी है, यह किसी एकल प्रशासनिक विभाग विशिष्ट डोमेन के अंतर्गत नहीं आता।एक देशांतरीय सर्वेक्षण होने के नाते, यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के डोमेन में आना चाहिए तथा आंकड़े अनेक मंत्रालयों के लिए उपयोगी होंगे।

ग) नास्ता द्वारा प्रस्तुत अवधारणा कागजात में दिए गए एसएमओसी हेतु कार्यान्वयन मॉडल एक देशान्तरीय सर्वेक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, यह इतना समंजित किया जाए ताकि उपयुक्त संस्थानिक स्मृति, दक्षता और निष्पादन में सुविज्ञता सुनिश्चित करने हेतु सर्वेक्षण की योजना बनाने तथा कार्यकरण के विभिन्न चरणों में एनएसएसओ को शामिल कर सके ।

घ) सर्वेक्षण का उद्देश्य अन्य स्रोतों में क्रॉस सेक्शनल डेटा से उपलब्ध अनुमानों के सदृश अनुमान उपलब्ध करना नहीं होना चाहिए। बल्कि इसे प्रतिदर्श चयन में राष्ट्रीय प्रतिनिधि होना चाहिए।

ङ) सर्वेक्षण का उद्देश्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत शामिल न की गई/अप्रभावित आबादी की तुलना में कार्यक्रमों में शामिल लक्षित आबादी पर विभिन्न बच्चों संबंधित सरकारी कार्यक्रमों के बहुविध प्रभाव का एक दस्ता आधारित अध्ययन होना चाहिए। यह अनेक कार्यक्रमों की कारगरता के मूल्यांकन को सुसाध्य बनाएगा।

च) सर्वेक्षण के उक्त उल्लिखित संशोधित उद्देश्यों में संसाधनों की भारी मात्रा की अपेक्षा होगी, क्योंकि इन्हें नास्ता द्वारा प्रोजेक्ट किया गया है।

3) एक अवधारणा नोट एनएसएसओ के सहयोग से उक्त तर्जों पर तैयार किया जाए तथा एनएससी को प्रस्तुत किया जाए, जहां एनएससी कार्यप्रणाली आदि तैयार करने के लिए एक कार्यदल का गठन करने पर विचार करेगी।

2.51 उक्त अनुशंसाएं दिनांक 15 सितम्बर 2014 के पत्राचार सं.4(70)/2014 एनएससी के तहत नास्ता को भेजी गई ।

समय उपयोग सर्वेक्षणों की योजना बनाने संबंधी स्थिति

2.52 एनएससी ने अक्टूबर, 2011 में आयोजित अपनी 45वीं बैठक में, 'समय उपयोग सर्वेक्षणों' पर विचार-विमर्श किया तथा इच्छा व्यक्त की कि सीएसओ (एनएडी) सहित प्रयोक्ता मंत्रालयों की अपेक्षाएं संकेतकों तथा तालिकाओं की सूची के रूप में प्राप्त की जाएं तथा प्रो. एस.आर. हाशिम की अध्यक्षता में सीएसओ द्वारा एक विशेषज्ञ समूह गठित किया जाए। एनएससी ने यह भी अनुशंसा की कि विशेषज्ञ समूह का कार्यकाल एक वर्ष का होगा तथा विशेषज्ञ समूह के विचारार्थ विषय प्रयोक्ता की निम्न आवश्यकताओं के आधार पर होंगे-

- नियमित समय उपयोग सर्वेक्षणों की कोई जरूरत है, इसकी जॉच करना, यदि हां, तो अवधि;
- उपयोग किए जाने वाले कार्यकलापों के वर्गीकरण को अंतिम रूप देना;
- सर्वेक्षण कार्यप्रणाली तैयार करना;
- जॉच तथा अनुदेश मैनुअल की अनुसूची तैयार करना;
- फील्ड जॉच तैयार करने हेतु प्रायोगिक सर्वेक्षण के आयोजन के लिए एजेंसियों का पता लगाना;
- प्रतिदर्श आकार तथा फील्ड कार्य की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, संपूर्ण राष्ट्रव्यापी प्रायोगिक सर्वेक्षण की लागत का अनुमान लगाना।

2.53 सीएसओ (एसएसडी) ने दिनांक 4-।-2012 से एक वर्ष के कार्यकाल वाले एक कार्यदल का गठन किया। बाद में इसके कार्यकाल का 30-9-2014 तक विस्तार किया गया। इस दल ने छह बैठकें की, जिसकी अंतिम बैठक 31-7-2014 को आयोजित की गई। इसके कार्यकाल के दौरान, इस कार्यदल ने दो राज्यों में एक प्रायोगिक सर्वेक्षण आयोजित किया। इस दल की औपचारिक रिपोर्ट तैयार नहीं की गई तथा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

2.54 जीएसओ (एसएसडी) ने कार्यदल की बैठकों में किए गए विचार-विमर्शों के आधार पर जानकारियां संकलित की तथा प्रस्तुत की और साथ ही, व्यापक रूप से निम्नलिखित कारकों को शामिल करते हुए एनएससी की 72वीं बैठक के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया।

(क) दल द्वारा विकसित संक्षिप्त वर्गीकरण

(ख) मुख्य रूप से समय उपयोग सर्वेक्षण के विकसित वर्गीकरण की जांच करने के लिए संबंधित राज्य डीईएस के माध्यम से दो राज्यों, बिहार तथा गुजरात में प्रायोगिक सर्वेक्षण आयोजित किए गए

(ग) राष्ट्रव्यापी समय उपयोग सर्वेक्षण का प्रतिचयन डिजाइन

(घ) समय उपयोग सर्वेक्षण हेतु आंकड़ा संग्रहण अनुसूचियां विकसित की गई।

(ड) समय उपयोग सर्वेक्षणों हेतु संसाधन आवश्यकताएं।

2.55 एनएससी ने इस बात पर चिंता जताई कि कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है, जो सामान्य प्रक्रिया है। तथापि, एनएससी ने संक्षिप्त वर्गीकरण तैयार करने में किए गए प्रयासों की सराहना की। इस बात का उल्लेख किया गया कि प्रायोगिक सर्वेक्षण में आंकड़ों की गुणवत्ता संदेहास्पद है। एनएससी ने यह भी नोट किया कि प्रयोक्ताओं के परिप्रेक्ष्य, जिसे समय उपयोग सर्वेक्षण के आधार पर किया जाना चाहिए था, प्रतिचयन डिजाइन तथा आकड़ा संग्रहण अनुसूचियों को तैयार करने में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में किए जा रहे अन्य सर्वेक्षणों की तुलना में समय उपयोग सर्वेक्षण एक कठिन तथा शायद सबसे कठिन सर्वेक्षण है और इस विशेषता पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। आंकड़ा संग्रहण हेतु दृष्टिकोण तैयार करने के लिए की जाने वाली विचार प्रक्रिया दल की रिपोर्ट के अभाव में स्पष्ट रूप से नहीं जानी गई। अनुसूची सूचीबद्ध करने में स्तर विन्यास उपरान्त अपनाए गए मापदंड में सर्वेक्षण के उद्देश्य तथा बेहतर लक्षित की जाने वाले आबादी के मध्य संबंध तैयार करने के लिए पुन: विचार किए जाने की जरूरत है।

2.56 एनएससी ने महसूस किया कि सामाजिक गतिविधियों तथा एसएनए फ्रेमवर्क का विस्तार करने के संदर्भ में बहुत महत्तवपूर्ण सर्वेक्षण होने के नाते, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा शीघ्रातिशीघ्र समय उपयोग सर्वेक्षण आयोजित किए जाने की जरूरत है। इसको एक नए उत्पाद के रूप में परिचय देने के संबंध में,

वैध आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए समय उपयोग सर्वेक्षण के लिए सर्वेक्षण साधनों को तैयार करने हेतु सीएसओ (एसएसडी) द्वारा भेजी गई जानकारियों को शीघ्र परिष्कृत किए जाने की जरूरत होगी।

<u>आयोग की सिफारिशें</u>

2.57 उक्त के आलोक में, एनएससी ने अनुशंसा की कि-

(1) दल द्वारा विकसित वर्गीकरण को पब्लिक डोमेन में रखा जाए तथा साथ ही इसे विशेषज्ञों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए भेजा जाए ;

(2) सीएसआई एफओडी पर्यवेक्षण के तहत आउटसोर्सिंग के माध्यम से समय उपयोग सर्वेक्षण करने के लिए सर्वेक्षण साधन तैयार करने पर शीघ्रता से कार्य करने हेतु अधिकारियों के एक लघु दल का गठन कर सकती है ,

(3) फील्ड स्तर पर, सर्वेक्षण को कम से कम 50 प्रतिशत महिला परिगणकों के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने की जरूरत है, क्योंकि समय उपयोग सर्वेक्षण में सूचना दाता परिवारों में सर्वाधिक महिला सदस्य होंगी।

(4) जाति गणना के माध्यम से उपलब्ध परिवारों की सूचियों की यह देखने के लिए जॉच की सकती है कि क्या वे समय उपयोग सर्वेक्षण में किसी प्रयोजन में लाभदायक होंगी।

(5) क) से घ) में उल्लेखित कार्यों के अन्तर्गत प्राप्त जानकारियों के अलावा उनके कार्य के भाग के रूप में अधिकारियों का समूह आंकड़ा संग्रहण के विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार कर सकता है, जिनकी यह देखने के लिए कि कौन सा अधिक उचित है, जॉच की जा सकती है, जिसके लिए एफओडी सभी प्रकार की सहायता मुहैया कराएगा, तथा

(6) अधिकारियों के समूह द्वारा तैयार सर्वेक्षण साधन लगभग तीन माह के समय में एनएससी के समक्ष रखे जाएं।

2.58 उक्त उल्लिखित अनुशंसाएं दिनांक 4 दिसंबर 2014 के पत्राचार सं 4(72)/2014 एनएससी के तहत सीएसओ (एसएसडी) तथा एनएसएसओ को अग्रेषित की जाएं।

अध्याय 3

प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय की सांख्यिकी कार्यकलापों की समीक्षा

3.1 जैसा की अध्याय के पैरा 1.7 में पहले ही बताया गया है कि एनएससी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की सांख्यिकी विंग के अंतर्गत एनएसएसओ की तत्कालीन शासी परिषद के कार्य करता रहा है, कार्यों में प्रत्येक एनएसएस दौर कवरेज हेतु विषयों का निर्णय, कार्यप्रणालियां तैयार करना, तथा आंकड़ों के विभाजन तथा एनएसएसओ द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्टों/ इकाई स्तरीय आंकडे जारी करने की देख रेख शामिल है। एनएससी ने इन कार्यों को करने में इसकी सहायतार्थ समय-समय पर कार्यदल गठित किए हैं। रिपोर्ट की अवधि के दौरान एनएसएसओ के संबंधित अनेक कार्यकलापों की समीक्षा की गई तथा तत्संबंधी एनएससी की अनुशंसाएं महानिदेशक, एनएसएसओ तथा एनएसएसओ के संबंधित प्रभागों को अग्रेषित की गई।

3.2 रिपोर्ट की अवधि के दौरान, एनएसएसओ ने एनएसएस के 68वें ,69वें तथा 70वें दौरों के

आंकड़ों पर आधारित निम्नलिखित ग्यारह रिपोर्टें जारी की।

एनएसएस 68 वां दौर (जुलाई 2011- जून 2012)

(।) अनौपचारिक सेक्टर तथा भारत में रोजगार की स्थितियां

(2) भारत में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की पारिवारिक खपत, 2011-2012

(3) घरेलू ड्यूटियों सहित विशिष्ट कार्यकलापों में महिलाओं की भागीदारी

(4) भारत में पोषाहार इनटेक, 2011-2012

(5) सामाजिक-आर्थिक समूहों में पारिवारिक उपभोक्ता व्यय, 2011-2012

(6) भारत में सामाजिक वर्गों में रोजगार तथा बेरोजगारी की स्थिति

एनएसएस 69वॉ दौर (जुलाई 2012-दिसंबर 2012)

(1) भारत में पेयजल, स्वच्छता, आरोग्यता तथा गृहों की स्थिति

(2) भारत में शहरी झोपड़-पट्टी, 2012

एनएसएस 70वॉ दौर (जनवरी2013-दिसंबर-2013)

(1) भारत में भूमि तथा पशुधन होल्डिंग के प्रमुख संकेतक

(2) भारत में ऋण और निवेश के प्रमुख संकेतक

(3) भारत में कृषि परिवारों की स्थिति के प्रमुख संकेतक

3.3 एनएसएसओ ने रिपोर्ट की अवधि के दौरान निम्नलिखित अनुसूचियों के संबंध में इकाई स्तरीय आंकडे भी पब्लिक डोमेन में रखे:

एनएसएस का 70वां दौर (जनवरी 2012-दिसंबर 2012)

(1) अनुसूची 18.1: भूमि तथा पशुधन होल्डिंग्स

(2) अनुसूची 18.2: ऋण तथा निवेश

(3) अनुसूची 33: कृषि परिवारों का स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण

3.4 केंद्रीय तथा राज्य प्रतिदर्शों की पुलिंग तथा एनएससी की तत्संबंधी अनुशंसाओं पर स्थिति की रिपोर्ट के आधार पर, एनएसएसओ के केंद्र तथा राज्यों के ऐसे कार्य में संलग्न संबंधित अधिकारियों तथा स्टॉफ का मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए केन्द्र तथा राज्य प्रतिदर्श आंकड़ा संबंधी मैनुअल प्रकाशित की।

सारणीयन योजना-71वां एनएसएस दौर (69)

3.5 71वां एनएसएस दौर (सर्वेक्षण अवधि: जनवरी 2014-जून 2014) 'स्वास्थ्य और रूग्णता' तथा 'शिक्षा' वाले सामाजिक उपभोग के विषयों के लिए समर्पित रहा। प्रो. राजीव करनदिकर की अध्यक्षता में एनएसएस के 71वें दौर के लिए गठित कार्यदल ने दौर की अनुमान प्रक्रिया और सारणीयन तथा प्रचार योजना तैयार की। अन्य दस्तावेजों के साथ-साथ सारणीयन योजना एनएसओ की 69वीं बैठक के समक्ष रखी गयी ।

3.6 कार्यदल ने अन्य नातों के उल्लेख के साथ-साथ एनएससी द्वारा दिए गए विगत निर्देशों पर विचार किया कि एनएसएसओ प्रत्येक दौर में जांच के विषयों पर प्रमुख परिणामों को शामिल करते हुए सिंहावलोकन रिपोर्ट प्रकाशित करेगा तथा साथ-साथ इसके स्तरीय आंकड़ों को रिलीज करेगा। अन्य रिपोर्टों की तैयारी की जिम्मेदारी को एनएससी द्वारा अन्तिम रूप दिया जाएगा। प्रतिभागी मंत्रालयों/विभागों द्वारा

संचालित विषयगत क्षेत्रों के संबंध में, प्रासंगिक इकाई स्तरीय आंकडे एनएसएसओ द्वारा उनके साथ शेयर किए जाएंगे तथा इन आंकड़ों के आधार पर वे अपनी स्वयं की रिपोर्टें प्रकाशित करेंगे । कार्यदल ने विशेषज्ञों के मतों को सूचीबद्ध किया तथा प्रतिभागी मंत्रालयों ने एनएससी के निर्देशन पर समूह को प्रस्तुत किए तथा इस मामले को एनएससी के विचारार्थ सन्दर्भित किया।

<u>आयोग की सिफारिशें</u>

3.7 अपनी 69वीं बैठक में की गई समीक्षा के आधार पर, एनएससी ने निम्नलिखित अनुशंसाएं की

(1) कार्यदल द्वारा तैयार किए गए 71वें एनएसएस के दौर की सारणीयन योजना एनएससी द्वारा अनुमोदित की गई। एनएससी ने इच्छा जताई कि अपनी 69वीं बैठक में एनएसएसओ से संबंधित कुछ और अधिक तालिकाएं सारणीयन योजना में शामिल की जाएं।

(2) सारणीयन योजना के अनुसार इकाई स्तरीय आंकडे तथा तालिकाएं एनएसएसओ द्वारा अन्य प्रतिभागी मंत्रालयों के साथ शेयर की जाएं तथा एनएसएसओ अतिरिक्त तालिकाएं, यदि हों तो मंत्रालय की मॉग पर उपलब्ध करा सकता है। सर्वेक्षण रिपोर्टों के संबंध में एनएससी ने निर्देश दिया कि प्रमुख संकेतक तथा मुख्य रिपोर्ट एनएसएसओ (एसडीआरडी) में जारी करने हेतु संचालित की जानी है। एनएससी ने आगे इच्छा जताई कि अन्य विषय विशिष्ट रिपोर्टें प्रारूपित की जाएं तथा संबंधित प्रतिभागी मंत्रालयों जो रिपोर्टों का स्वामित्व लेगा, द्वारा जारी की जा सकती हैं। एनएसएसओ तदनुसार प्रतिभागी मंत्रालयों के सचिवों को (इस मामले में) स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में सूचित करें कि एनएसएसओ सर्वेक्षणों पर आधारित रिपोर्टों की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित मंत्रालयों की होगी।

एनएसएस के 72वें दौर के लिए सर्वेक्षण साधन

3.8 एनएसएस का 72वां दौर (सर्वेक्षण अवधि जुलाई 2014-जून 2015) 1) घरेलू पर्यटन व्यय, तथा 2) सेवाओं तथा टिकाउ वस्तुओं संबंधी पारिवारिक व्यय के विषयों हेतु समर्पित की है। इस सर्वेक्षण में एनएसएस उपभोग व्यय सर्वेक्षण में छोटी अनुसूचियों का प्रयोग करते हुए कार्यप्रणाली के मूल्यांकन की भी परिकल्पना की गई। प्रस्तावित छोटी अनुसूचियां एनएसएस की मुख्य उपभोक्ता व्यय अनुसूची को स्पलिट करके तैयार की जा रही हैं, ताकि उनसे बेहतर उत्तर प्राप्त करने के लिए

सापेक्ष रूप से कम समय में अलग-अलग परिवारों में अनुसूचियों के प्रचार को सुसाध्य बनाया जा सके।

3.9 इस प्रयोजना में गठित कार्यदल द्वारा तैयार एनएसएस के 72वें दौर के सर्वेक्षण साधन अमृतसर में 3-4 अप्रैल 2014 को आयोजित प्रशिक्षकों के अखिल भारत प्रशिक्षण में किए गए विचार-विमर्शों के आधार पर सुदृढ किया गया। इन साधनों में उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण की छोटी अनुसूचियों के प्रयोग को सुसाध्य बनाने हेतु जांच की तीन अनुसूचियां शामिल हैं । 'घरेलू पर्यटन व्यय' संबंधी जॉच की एक अनुसूची सेवाएं तथा टिकाऊ वस्तुओं संबंधी घरेलु व्यय के जांच की एक अनुसूची इन अनुसूचियों को भरने हेतु फील्ड स्टाफ को अनुदेश तथा परिवारों को सूचीबद्ध करने की एक अनुसूची।

<u>आयोग की सिफारिशें</u>

3.10 उपर्युक्त सर्वेक्षण साधन तथा उपभोक्ता व्यय संबंधी कुछ अनुसूचियों के प्रयोग के योजना की एनएससी द्वारा अपनी 66वीं बैठक में समीक्षा की गई तथा निम्नलिखित अनुशंसाएं की गई-

(1) एनएसएस के 72वें दौर हेतु सर्वेक्षण साधन निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन एनएससी द्वारा अनुमोदित किए गए-

(क) प्रधान उद्योग तथा प्रधान व्यवसाय (विस्तृत जांच अनुसूचियों के ब्लॉक-3 में दिए गए) संबंधी मदें छोड़ी जा सकती हैं।

(ख) व्यक्तियों के लिंग कोड की रिकॉर्डिंग करने हेतु कोड़ सूची का ट्रान्सजेन्डर लोगों को शामिल करने हेतु संबंधित मंत्रालय के साथ परामर्श कर विस्तार किया जाए,

(ग) उपभोक्ता व्यय संबंधी लघु अनुसूचियों में ब्लॉक क्रम के अनुसार रखे जाएं जो आमतौर पर एनएसएस उपभोक्ता व्यय अनुसूची में रखे जाते हैं।

(घ) 0-30 की आबादी वाली प्रथम चरण की इकाइयों का एक पृथक स्तर उन्हें लागत प्रभावी ढंग से कवर करने के लिए राज्य स्तर पर बनाया जाए। इस स्तर पर केन्द्रीय तथा राज्य प्रतिदर्शों की पूलिंग के समय कठिनाइयां नहीं आ सकती, चाहे इसकी अपेक्षा की जाती हों क्योंकि इसका नगण्य योगदान होता है।

(2) एनएससी ने लघु अनुसूचियों को संयुक्त करने हेतु कार्यनीतियों का विकास करके एनएसएस के 68वें दौर के आंकड़ों के पुन: विश्लेषण करने के सुझाव का समर्थन किया। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के इस विषय पर एक तकनीकी संगोष्ठी का मेजबान बनने का अनुरोध किया जा सकता है।

एनएसएस के 73वें दौर हेतु विषय कवरेज

3.11 एनएसएस के 73वें दौर (सर्वेक्षण अवधि:जुलाई 2015-जून 2016) में विषय कवरेज के मुद्दे पर, एनएससी ने अपनी 65वीं बैठक (मार्च-2014) में महसूस किया कि छठी आर्थिक गणना का एक अनुवर्ती सर्वेक्षण आयोजित करना विकल्पों में से एक समझा जाएगा, एनएससी ने अपनी 66वीं तथा 68वीं बैठकों में मामले की समीक्षा की।

3.12 सीएसओ (ईएसडी) ने मानव आबादी गणना 2011 के दौरान बनाए गए परिगणना ब्लॉकों का उपयोग करके, की गई छठी आर्थिक गणना संबंधी एक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की । आर्थिक गणना बडे प्रतिष्ठानों के सूची फ्रेम की तैयारी के लिए की गई । सीएसओ (एनएडी) ने राज्यों के डीईएस के सहयोग से एक बिजेनस रजिस्टर को विकसित करने तथा इसको नियमित अद्यतन करने की अलग से पहल की। रजिस्टर उनके पूर्ण डाक पते के साथ बडे प्रतिष्ठानों की सूची है जिसे किसी प्रतिष्ठान सर्वेक्षण में एक सूची फ्रेम के रूप में उपयोग किया जा सकता है। उल्लेख किया गया कि राज्य के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा की गई प्रगति अत्यधिक संतोषप्रद नहीं है और इसके रजिस्टर के प्रचालन में समय लगेगा।

3.13 एनएसएसओ ने अन्य बातों के साथ-साथ व्यावसायिक कौशलों हेतु मांग का मूल्यांकन करने के लिए छठी आर्थिक गणना फ्रेम की जरूरतों, संविदा श्रम का आकलन करने के लिए श्रम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट जरूरत तथा एनएसडीए द्वारा विनिर्दिष्ट जरूरत को शामिल करते हुए एक नोट प्रस्तुत किया। सीएसओ (एनएडी) ने उनकी जरूरतों तथा ब्योरे पर एक नोट प्रस्तुत किया।

3.14 समेकित उद्यम सर्वेक्षण आयोजित करने के विगत के अनुभव का ब्योरा , विशेषकर सेक्टरों का अलग-अलग सर्वेक्षण करते वक्त उनके समेकित दृष्टिकोण के परिणामों की तुलना की एनएससी द्वारा समीक्षा की गई। एनएसएसओ ने अवगत कराया कि प्रति कामगार सरल मूल्यवद्धि के अनुमानों की सापेक्ष मानक त्रुटियां एनएसएस के 67वें दौर (अनुसरण किए गए समेकित दृष्टिकोण) के संबंध में सर्वाधिक कार्यकलाप श्रेणियों के ठीक 10 % के भीतर हैं। एनएसएसओ द्वारा आगे उल्लेख किया गया कि 67वें दौर में दूसरे चरण के स्तर (19 नवम्बर) की बडी संख्या के निरूपण में बिल्कुल अदक्ष अनुसूची बनाई जिससे इकाइयों के गलत वर्गीकरण की बडी संख्या विशेषकर प्रथम उपदौर में बनी। यह नोट किया गया कि 67 वें दौर में एसएसयू स्तर पर नियत प्रतिदर्श आकार 44 था, जबकि सर्वेक्षण में औसत प्राप्ति

लगभग 21 थी। सीएसओ (एनडी) ने सूचित किया कि उन्हें प्रत्येक राज्य के संकलन श्रेणी स्तर पर अनुमानों की आवश्यकता है, जो 67वें दौर में तथा पिछले एनएसएस दौरों में पूर्ण रूप से पूरे नहीं किए गए।

<u>आयोग की सिफारिशें</u>

3.15 एनएससी ने अपनी 68वीं बैठक में सभी उक्त तथा अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित अनुशंसाएं की ।

(1) एनएसएस के 73वें दौर (सर्वेक्षण अवधि जुलाई 2015-जून 2016) विनिर्माण, व्यापार तथा अन्य सेवाओं(निर्माण को छोडकर) में अनियमित गैर-कृषि उद्यमों का सर्वेक्षण करने के लिए समर्पित होगा जबकि 67वें एनएसएस के दौर के मामले में राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर विभिन्न आर्थिक तथा प्रचालन विशेषताओं का अनुमान प्राप्त करना था। छठी आर्थिक गणना का डेटा प्रतिचयन डिजाइन को विकसित करने हेतु एक स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

(2) 73वें दौर के लिए कार्यप्रणाली आदि बनाने के लिए विगत दौरों में प्रयुक्त की गई समान पद्धति में कार्यदल का गठन किया जाएगा। कार्यदल कुछ मामलों में विगत में अनुभव की गई सापेक्ष स्टैन्डर्ड की त्रुटियों के मुद्दों तथा साथ ही इसके चरण के स्तर की बडी संख्या वाली फील्ड समस्याओं का निराकरण करेगा। 73वें दौर के लिए प्रतिचयन डिजाइन की जॉच करते समय कार्यदल एसएसयू स्तर पर उचित प्रतिदर्श आकार पर पहुँचने हेतु 67वें दौर में इसके चरण की इकाई(एसएसयू) स्तर पर निर्धारित 44 के भारी प्रतिदर्श आकार साथ ही 73वें दौर के लिए एफएसयू की संख्या में वृद्धि करने की जरूरत की समीक्षा करेगा । कार्यदल संविदा श्रमिकों तथा व्यावसायिक कौशलों के आकलन से संबंधित एनएसएसओ के प्रस्तावों की भी जॉच करेगा।

(3) कार्यदल के गठन करने हेतु संरचना तथा अन्य रीतियों का ब्योरा एनएससी के अध्यक्ष के अनुमोदन से एनएससी सचिवालय द्वारा किया जाएगा।

(4) उपलब्ध संसाधनों के प्रतिचयन डिजाइन में सुधार करने के लिए प्रत्येक प्रयास करने के बावजूद केवल 73वें दौर के केन्द्रीय प्रतिदर्श से सभी संकलन श्रेणियों हेतु पर्याप्त अनुमान प्राप्त करने की एनएडी की आवश्यकताओं को पूरा करना संभव नहीं हो सका। इस दौर के केन्द्रीय तथा राज्य प्रतिदर्शो के परिणामों की पूलिंग केवल इस प्रयोजन को पूरा करेगी। इस प्रकार, एनएडी राज्यों (क्योंकि वे राज्य के सरल घरेलू

उत्पादों का संकलन करने के प्रति जवाबदेह हैं) के साथ इस मुद्दे को उठाएगा ताकि वे एक समयबद्ध ढंग से इस लक्ष्य की प्राप्ति में दौर की ठीक शुरूआत से उनके कार्यालयी तन्त्र को सक्रिय कर सके। पूल किए गए परिणाम राष्ट्रीय लेखाओं के आधार सुधार कार्य में एनएडी के लिए उपयोगी होंगे।

3.16 एनएसएसडी 73वें दौर के कार्यकलापों के समग्र पहलु की देखरेख करने तथा कार्यप्रणाली बनाने हेतु प्रोफेसर के एल कृष्णा की अध्यक्षता में कार्यदल 19 अगस्त 2014 को गठित किया गया। कार्यदल ने कार्य प्रारंभ कर दिया है।

नशीले पदार्थों के इस प्रयोग की स्थिति का सर्वेक्षण

3.17 नशीले पदार्थों के दुरुपयोग संबंधी सर्वेक्षण पर एक कार्यदल कार्यप्रणाली बनाने तथा प्रयोग करने हेतु छह माह की अवधि 22-10-2015 को महानिदेशक, एनएसएसओ की अध्यक्षता में गठित किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकरिता मंत्रालय के परामर्श से एनएसएसओ ने एक स्थिति नोट तथा 22-4-2014 के 6 माह के लिए कार्यदल के कार्यकाल के विस्तार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कार्यकाल के विस्तार का प्रस्ताव एनएससी द्वारा अनुमोदित किया गया।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की स्थिति

3.18 एनएससी की अनुशंसा पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने शहरी क्षेत्रों के संबंध में राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर मासिक/त्रैमासिक श्रम बल आंकड़ों के संग्रहण तथा प्रचार हेतु एक फ्रेमवर्क की स्थापना करने हेतु एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के उद्देश्य से प्रो अमिताभ कुण्डू की अध्यक्षता में फरवरी 2009 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) संबंधी समिति गठित की। समिति की रिपोर्ट के आधार पर पीएलएफएस ने चक्रीयपन प्रतिचयन डिजाइन के आधार पर एक पैनल सर्वेक्षण किए जाने का प्रस्ताव किया था, चूँकि एनएफएसओ के पास ऐसा कोई सर्वेक्षण आयोजित करने का विगत में कोई अनुभव नहीं था, समिति ने वांछित सूचना प्राप्त करने में अनुसूची डिजाइन की प्रभावोत्पादकता का विचार रखने के लिए पूर्ण रूपेण पीएलएफएस के प्रारंभन से पूर्व पीएलएफएस संबंधी एक प्रयोग करने हेतु सुझाव दिया।

3.19 प्रायोगिक सर्वेक्षण विभिन्न राज्यों की समितियों द्वारा अनुशंसित प्रतिदर्श एफएसयू वाले 8 क्वार्टरों में जुलाई 2011-जून 2013 की अवधि के दौरान तीन राज्यों (हिमाचल, उडीसा तथा गुजरात) के शहरी क्षेत्रों में आयोजित किया गया।

3.20 पूरे देश में संपूर्ण पीएलएफएस के कार्यान्वयन पर विचार करने से पूर्व, निर्णय लिया गया कि पीएलएफएस (पॉयलेट) के अनुभवों का विशेषज्ञों/हितधारकों से

मत/सुझाव मांगने हेतु एक व्यामक मंच पर चर्चा की जाएगी। तदनुसार, हितधारकों को आमंत्रित करने वाले पीएलएफएस संबंधी एक कार्यशाला दिसंबर 2013 में की गई।

3.21 कार्यशाला करने पर बृहत मैतक्य रहा कि संपूर्ण पीएलएफएस को डिजाइन किए जाने की जरुरत है, ताकि निम्नलिखित मुद्दों का निराकरण किया जा सके।

i) शहरी क्षेत्रों में, श्रम बल संकेतक केवल प्रथम तिमाही में अनुमानों की परिशुद्धता देखने के लिए अनुमानित किए जा सकते हैं तथा आगामी तिमाहियों में, श्रम बल संकेतकों में केवल परिवर्तन अनुमानित किए जा सकते हैं।

ii) ग्रामीण क्षेत्रों में, तिमाहियों के बीच श्रमबल संकेतकों में परिवर्तनों का आकलन नहीं किया जाता है, तथा इसलिए केवल प्रथम दौरा अनुसूचियों में श्रम बल संकेतकों के वार्षिक अनुमान प्राप्त करने के लिए किसी तिमाही के प्रतिदर्श एफएसयू का प्रचार किया जा सकता है।

iii) पीएलएफएस के प्रथम दौरा अनुसूचियों से आमतौर से डिजाइन आधार अनुमान प्रक्रिया का उपभोग करते हुए ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए श्रम बल संकेतकों के वार्षिक अनुमान विकसित किए जा सकते हैं।

iv) प्रथम दौरा अनुसूची में सामान्यत: कार्यकलाप भी एकत्र किए जा सकते हैं, बशर्ते फील्ड स्थिति इसकी अनुमति दें।

v) पीएलएफएस अनुसूची की विषय वस्तु, जारी किए जाने वाले संकेतक तथा परिणामों के पृथक्करण के स्तर की, एनएडी, योजना आयोग, श्रम ब्यूरो तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय आदि के साथ परामर्श में दृढता से निर्णय लिए जाने की जरुरत है।

vi) शहरी क्षेत्रों में, प्रतिदर्श आकार का पृथक्कीकरण के वांछित स्तर पर परिवर्तन पैरामीटरों के भरोसेमंद अनुमान प्राप्त करने के लिए निर्णय लिया जाना होता है तथा चक्रीयन अनुमान प्रक्रिया परिवर्तन पैरामीटरों के भरोसेमंद अनुमान प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाने होते हैं।

vii) (क) शहरी क्षेत्रों में श्रमबल संकेतकों के त्रैमासिक परिवर्तनों का आकलन करने के लिए तथा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में संकेतकों के वार्षिक अनुमान लगाने सर्वेक्षण अनुसूची को अंतिम रूप देने, (ख) संकेतकों और पृथक्कीकरण के स्तर, जिन पर संकेतकों को जारी किया जाना है, का निर्णय लेने, (ग) प्रतिदर्श आकार तय करने तथा (घ) पृथक्कीकृत स्तर पर पीएल एफएस(पायलट) के परिणाम लगाते वक्त सामना की गई चक्रीयन अनुमान प्रक्रिया की समस्या का समाधान करने के लिए एक लघु विशेषज्ञ समूह बनाया जाए।

3.22 कार्यशाला की वृहत अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए, एनएसएसओ ने ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में श्रम बाजार संकेतकों के विभिन्न सांख्यिकी संकेतकों के त्रैमासिक परिवर्तनों का आकलन करने तथा विभिन्न श्रम बल संकेतकों के वार्षिक अनुमान लगाने हेतु पूरे देश में संपूर्ण पीएलएफएस प्रारंभ करने का प्रस्ताव किया। एनएसएसओ ने उल्लेख किया कि जब तक कि इस प्रयोजनार्थ एक पृथक सेटअप की स्थापना नहीं की जाती अखिल भारत स्तर पर नियमित आधार पर बडी संख्या के प्रतिदर्श एफएसयू वाले पीएलएफएस का कार्यान्वयन संभव नहीं है ।

3.23 एनएसएसओ के प्रतिनिधियों ने एनएससी की 66वीं बैठक के समक्ष शहरी क्षेत्रों तथा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उनके द्वारा आयोजित प्रायोगिक पीएलएफएस का अनुभव तथा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अखिल भारत सर्वेक्षण आयोजित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

<u>आयोग की सिफारिशें</u>

3.24 उक्त कार्यशाला पर हुए मतैक्य तथा प्रायोगिक पीएलएफएस से प्राप्त अनुभवों पर अपनी 66वीं बैठक की समीक्षा करने के बाद, एनएससी ने निम्नलिखित अनुशंसाएं की-

1) एनएसएसओ के प्रस्ताव का एनएससी द्वारा सिद्धांत रूप में अनुमोदन किया गया

2) एनएसजी ने इच्छा व्यक्त की कि-

क) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय प्रस्तावित पीएलएफएस की देखरेख करने हेतु एनएससी के परामर्श से रोजगार सांख्यिकी संबंधी स्थाई समिति गठित करे:

ख) एनएसएसओ समिति को सचिवालयी सहायता प्रदान करेगा

ग) स्थायी समिति एनएसएसओ द्वारा पहले से तैयार सामग्री के आधार पर पीएलएफएस के लिए सर्वेक्षण साधनों, सारणीयन योजनाओं तथा वार्षिक तथा त्रैमासिक रिलीजों की सरंचना को अंतिम रूप देगी तथा

घ) इन्हें अनुमोदन के लिए एनएससी के समक्ष रखा जाए।

3) यह पीएलएफएस सामाजिक - आर्थिक सर्वेक्षणों, के नियमित एनएसएस चक्र के अतिरिक्त होगा, तथा अत:, एनएसएसओ की क्षमता में उपयुक्त परिवर्धन किया जाएगा।

शहरी फ्रेम सर्वेक्षण

3.25 शहरी क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों के लिए पूरा, अदयतन तथा सुगमता की पहचान का फ्रेम उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ शहरी फ्रेम सर्वेक्षण

(यूएफएस) वर्ष 1958 से एनएसएसओ के क्षेत्र संकार्य प्रभाग(एफओडी) द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह कुछ सहायक सूचना तथा अवधारणात्मक नक्शों वाले युएफएस ब्लॉकों की सूची करने का एक फ्रेम उपलब्ध कराता है। यह फ्रेम चरणों के रूप में प्रत्येक पांच वर्षों में अद्यतन किया जाता है। जुलाई 2013 से, जनगणना 2011 की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, फेस 2012-17 के फ्रेम की अद्यतन कार्य प्रणाली गत कुछ परिवर्तनों के साथ 4 वर्षों के भीतर पूरा किए जाने के लिए प्रारंभ की गई है।

3.26 यूएफएस डेटा के प्रचार पर विचार-विमर्श करने तथा अन्तिम रूप देने तथा साथ ही यूएफएस के 2007-12 के फेस में अपनाई गई नई कार्यप्रणाली के अनुभव का विश्लेषण करने के संबंधों, अपर महानिदेशक, एनएससओ(डीपीडी) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

3.27 इसके अलावा, एनएसएसओ(एफओडी) ने जी आईएस फ्रेमवर्क में यूएफएस नक्शों को अंतिम रूप देना प्रारंभ किया। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी)के रिमोट सेंसिंग और जीआईएस प्रकोष्ठ की मदद से, हरियाणा के रिवाडी कस्बे में एक प्रायोगिक कार्य किया गया। इस प्रायोगिक कार्य की सफलता की सूचना दी गई। इस बात को ध्यान में रखते हुए, एनआईसी ने 1000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में एक बडे प्रायोगिक कार्य को शामिल करने हेतु एनएसएसओ को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें वे 6 माह की परियोजना अवधि तथा एनएसएसओ को बिना किन्हीं वित्तीय कमियों के एफओडी द्वारा चयनित कस्बे में शामिल हैं। एनएसएसओ ने उद्धृत किया कि यूएफएस नक्शों का प्रस्तावित अंकीकरण कम प्रयास के साथ तीव्रता से अद्यतनीकरण करते हुए यूएफएस ब्लॉकों के उचित रेखांकन तथा पता लगाने में अगुवाई करेगा तथा उनके स्वयं के सर्वेक्षणों के आयोजन करने में अनेक अन्य सरकारी संगठनों तथा अनुसंधान एजेंसियों की जरूरतों की पूर्ति करेगा। एनएसएसओ द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि जिओ-संदर्भित तथा अंकीकृत यूएफएस ब्लॉकों का परिगणक ब्लाकों के स्थान पर भावी जनगणनाओं में उपयोग किया जा सकता है।

3.28 एनएसएसओ के अधिकारियों ने अपर महानिदेशक, एनएसएसओ(डीपीडी)की अध्यक्षता में यूएफएस संबंधी एक रिपोर्ट पर तथा एनआईसी के प्रस्ताव पर अपनी 69वीं बैठक में एनएससी के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण दिया। एनएससी ने एनएसएसओ के प्रयासों तथा एक प्रायोगिक परियोजना बनाने में सफलता की सराहना की। एनएससी ने एक बडे प्रायोगिक कार्य को करने हेतु प्रस्ताव का अत्यधिक समर्थन

किया। इसके अलावा, एनएससी ने अन्य बातों के साथ-साथ सरोकार के निम्नलिखित बिन्दु नोट किए।

1) एनएससी इस बात को जानकर विचलित है कि यूएफएस फ्रेम वर्तमान में किसी एजेंसी के साथ शेयर नहीं किया गया। परंतु एनएसएसओ प्रतिदर्श चयन की सेवा उपलब्ध कराता है। इससे, यह नोटिस किया गया कि यद्यपि यूएफएस बलॉकों के नक्शों का प्रचार किया जा रहा है,प्रयोक्ताओं हेतु लागत निषिद्ध की गई।

2) जनगणना तथा यूएफएस में विसंगतियां बढ़ती प्रतीत होती हैं तथा इसके बाद दोनों कार्यकलापों का अलग-अलग अवधियों में सामान्तर कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस तरह से संबंध को पुन: स्थापित करने की आवश्यकता है कि यूएफएस के साथ जनगणना के आंकड़ों का एनएसएस में तथा अन्य प्रयोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जा सके।

3) जनगणना तथा एनएसएस के जनगणना अनुमानों में अनवरत विचलन इसके तीव्रता से पुराने हो जाने के कारण, जो मुख्यत: यूएफएस पर आरोप होता है, पर तुरन्त ध्यान देने की जरूरत है।

<u>आयोग की सिफारिशें</u>

3.29 उक्त सरोकारों का निराकरण करने के लिए, एनएससी ने निम्नलिखित दिशानिर्देश दिए।

(1) चूँकि यूएफएस फ्रेम के शेयर करने के संबंध में एनएसएसओ द्वारा लिया गया रूख सरकार की नीतियों नामत:,राष्ट्रीय आंकड़ा प्रचार नीति तथा राष्ट्रीय आंकड़ा शेयरिंग तथा सुलभता नीति के विपरीत है तथा इसलिए यूएफएस नक्शों का मूल्य लागत वसूली के बजाए उनके उपयोग को बढावा देने के संदर्भ में देखा गया है, एनएसएसओ नीतियों के संगत अपने रूख पर पुन: विचार तथा समीक्षा करेगा तथा साथ ही प्रयोक्ताओं में उनकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए यूएफएस नक्शों का प्रचार करने हेतु उचित फार्मूला प्रदान करेगा।

(2) यूएफएस में फील्ड कार्य के संबंध में, एनएससी ने इच्छा जताई कि इसरो द्वारा लिया गया चित्र अतिरिक्त संदर्भ सामग्री के रूप में यह सुनिश्चित करने हेतु उपयोग किया जाए कि जनगणना के उपरान्त नई संरचनाओं/घरों की गणना की गई।

(3) एनएससी ने आगे महसूस किया कि वार्डों की प्रशासनिक सीमाओं की नवीनतम जनगणना आंकड़ों के साथ तुलना को सुसाध्य बनाने तथा संगतता सुनिश्चित करने के स्तर पर यूएफएस आंकडे प्रस्तुत करने को ध्यान में रखने की जरूरत है।

(4) जिला कोड़ तथा कस्बा कोड़ आदि के अलावा, वार्ड शिनाख्त में कम आंकने की समस्या को समाप्त करने के लिए सभी यूएफएस ब्लॉक के आंकड़ों को उपलब्ध कराए जाने की जरूरत है।

(5) भारत में तेजी से बढ़ते शहरीकरण के आलोक में, एनएसएसओ अपने यूएफएस कार्य में से कोप-अप में समर्थ नहीं हुआ है तथा यह गुणवत्ता से समझौता नहीं कर सकता। भविष्य में स्थिति और खराब हो सकती है, क्योंकि शहरीकरण के साथ गति बनाए रखने में संसाधन अपर्याप्त हो सकते हैं। गणना में भारी संसाधनों का उपयोग करते हुए गणना से उपलब्ध होने वाले डेटाबेस की उपेक्षा करना तथा कुछ ब्योरा एकत्र करने के सीमित गुंजाइश के साथ यूएफएस जैसे समानान्तर कार्य को शुरू करना, जो गणना में एकत्र आंकड़ों से मेल नहीं खा सकता, सरकार के लिए उचित नहीं होगा।

(6) जनगणना आंकडे में उपलब्ध गणना ईवी स्तर पर बडी सूचना तथा उनके स्तर पर आर्थिक कार्यकलापों संबंधी सूचना एकत्र करने के लिए आर्थिक गणना के हाल के प्रयास को देखते हुए एनएससी ने महसूस किया कि एनएसएसओ जितना शीघ्र संभव हो सकेगा उतना शीघ्र प्रतिचयन डिजाइन जो सूचना में उपयोग में लाए जाते हैं में भारी परिवर्तन करेगा।

(7) गणना द्वारा तैयार किए गए ईवी वाक्यों के अलावा, डिजिटाइज्ड वार्ड मैप तथा ईवी की संक्षिप्त गृह सूची का ईवी तथा यूएफएस ब्लाको का सर्वेक्षण करने की समस्या का हल निकालने के लिए उपयोग में लाया जाए, उनका इस तरह से निराकरण किया जाना है कि ईवी के छोटे समूहों के सम्मिश्रण स्थाई हों तथा शिनाख्त योग्य सीमाओं जिनको किसी यूएफएस ब्लाक से लिया जा सके, इस कार्य में, क्षेत्र में छोटे-मोटे अंतरों की उपेक्षा की जानी चाहिए।

(8) प्रत्येक समीकरण में गणना ईवी के लिए उपलब्ध विभिन्न पैरामीटरों की संख्या ऐसे बनाए गए यूएफएस ब्लाकों की परिणामी सूचना जोड़ने के लिए शामिल किया जा सकता है। एनएसएस में जब कभी प्रासंगिक कस्बों में यूएफएस ब्लाक प्रारंभिक किए जाएं या जब कभी ब्लॉकों का सर्वेक्षण (सूचीबद्ध आप्रेशन) के लिए चयन किया जाए, यूएफएस ब्लॉक स्तर पर सूचना को अद्यतन किया जाए।

(9) गणनाओं में तथा यूएफएस ब्लॉकों संबंधी तदन्तर अद्यतन की गई सूचना में, गणना गुणकों में सूचना का प्रयोग करके उक्त कार्य योजना सुग्राह्य बनाया जाए। जनसंख्या वृद्धि के अनुरूप गुणकों में संशोधन गणना तथा एनएसएस में जनसंख्या अनुमान में विपथन को कम करेगा।

(10) एनएसओ सभी शहरी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए उक्त अनुशंसित लाइनों पर रोड मैप तैयार करे तथा समय-बद्ध तरीके से जीआईएस फ्रेमवर्क में यूएफएस नक्शों के अंकीकरण के कार्य को पूर्ण करे। एनएसएसओ इस बात की भी तलाश कर सकता है कि क्या एफओडी के संबंधित परिगणकों द्वारा प्रत्येक यूएफएस ब्लॉकों में कार्नर प्वाइंट्स, टर्निंग प्वाइन्ट तथा अन्य प्रमुख लैन्डमार्कों के जिओ-संदर्भ के प्रावधान को एनआईसी द्वारा अंकन की अवधारणात्मक नक्शों के परिवर्तन की प्रक्रिया में तेजी जा सकता है। एनएससी ने आगे इच्छा जताई कि एनआईसी परियोजना से तैयार यूएफएस नक्शों तथा अन्य डेटा ओआरजीआई के साथ शेयर करेगा।

एनएसएसओ के पुनर्गठनकर्ता कार्यकलाप (कृषि सांख्यिकी विंग)

3.30 एनएससी ने अपनी 64वीं बैठक (फरवरी, 2014) में, एनएसएसओ(एफओडी) की कृषि सांख्यिकी(एएस) विंग के कार्यकलापों की समीक्षा करते समय,-

i) नोट किया कि कृषि सांख्यिकी के क्षेत्र में अनेक आंकड़ा अन्तराल है, जिनका काफी वर्षों से पर्याप्त रूप से निराकरण नहीं किया गया है, जबकि बिना किसी अधिक सफलता के आईसीएस स्कीम पर प्रत्येक वर्ष संसाधनों का व्यय किया जा रहा है,

ii) अनुशंसा की गई कि आवधिक रूप से पॉच वर्ष में एक बार आईसीएस स्कीम का प्रचालन किया जाए तथा

iii) एनएससी ने इच्छा जताई कि एनएसएसओ कृषि मंत्रालय, सीएसओ, योजना आयोग तथा आईएएसआरआई के परामर्श सेट पशुपालन जैसे संबंधित क्षेत्रों सहित गैर-सैद्धान्तिक फसलों, कृषि जानकारियों,बागबानी, कृषि बाजारों तथा लघु सिंचाई संबंधी सांख्यिकी जैसे विषय क्षेत्रों में अन्य जरूरतों की पूर्ति करने हेतु शेष अवधि के दौरान ए एस विंग के कार्य में परिवर्तन लाने हेतु प्रस्ताव तैयार करे।

3.31 उक्त अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, सीएसओ (एनएडी) द्वारा भेजी गई सामग्री तथा उपलब्ध अन्य जानकारी के आधार पर एनएससी सचिवालय द्वारा एक नोट पर विचार-विमर्श किया।

3.32 एनएसएसओ(एफओडी) की एएस विंग रिपोर्टों के आंकड़ा विधायन तथा प्रकाशन के सर्वेक्षण डिजाइन की तैयारी के प्रथम चरण से फसल सांख्यिकी (आईसीएस) स्कीम में सुधार से सभी कारकों के लिए उत्तरदायी है।

3.33 आईसीएस स्कीम के अंतर्गत संग्रहित आंकड़ों के आधार पर एएस विंग 'फसल सांख्यिकी के सुधार हेतु स्कीम के माध्यम से फसल सांख्यिकी पद्धति की समीक्षा' नामक राज्य-वार तथा मौसम-वार(खरीफ और रबी) की स्थिति रिपोर्टें प्रकाशित करता

है। एएस विंग प्रत्येक राज्य द्वारा क्रियान्वित फसल उपज अनुमान सर्वेक्षणों की महत्तवपूर्ण विशेषताएं भी संकलित करता है तथा प्रत्येक वर्ष मुख्य फसलों पर फसल प्राक्कलन सर्वेक्षण के समेकित परिणाम' नामक प्रकाशन के फार्म में परिणाम समेकित करता है।

3.34 एनएससी ने अपनी 73वीं बैठक में पुन: मामले की समीक्षा की, नोट किया कि एएस विंग का कार्य नेमी हो गया तथा यह तुरंत स्तष्ट नहीं हुआ कि आईसीएस स्कीम के तहत तैयार वार्षिक रिपोर्टों का क्या उपयोग किया जा रहा था। कृषि और सहकारिता विभाग (डीएसी) ने दिनांक 2-1-2015 के अपने पत्र के तहत इस मुद्दे पर अपने विचार दिए तथा इच्छा जताई कि आईसीएस स्कीम संबंधी फसल कटाई प्रयोग का एनएसएसओ पर्यवेक्षण वर्तमान में जारी रहना चाहिए। तथापि, क्रियान्वयन करते हुए भी प्रतिदर्श क्षेत्र अनुमान का उल्लेख नहीं किया गया।

<u>आयोग की सिफारिशें</u>

3.35 एनएससी ने अपनी 73वीं बैठक में समीक्षा के आधार पर, निम्नलिखित अनुशंसाएं/टिप्पणियां की:

(1) एनएसएसओ की कृषि सांख्यिकी विंग द्वारा तैयार वार्षिक रिपोर्टों के कम उपयोग तथा कृषि आंकड़ों की सीमाओं को वैद्यनाथन समिति की रिपोर्ट में व्यापक रूप से नोट किया गया था। एनएससी ने नोट किया था कि डीएसी ने एनएसएसओ के एएस विंग की वार्षिक रिपोर्टों का सक्रिय रूप से उपयोग नहीं किया, परंतु राज्यों द्वारा लगाए गए फसल अनुमानों पर एक संभावित क्रॉस जॉच के रूप में एनएसएसओ(एफओडी) द्वारा पर्यवेक्षित फसल कटाई प्रयोगों पर विश्वास किया। डीएसी ने उल्लेख किया कि ऐसे दृष्टान्त हैं जब राज्य के अनुमान मंत्रालय द्वारा स्वीकार नहीं किए गए। तथापि, यह स्पष्ट नहीं था कि क्या फसल कटाई के प्रयोगों के माध्यम से लगाए गए उपज अनुमानों ने इसमें कोई भूमिका निभाई थी।

(2) कृषि मंत्रालय द्वारा राज्य अनुमानों के स्वीकार न करने के संबंध में, राष्ट्रीय लेखा प्रभाग(एनएडी) ने उल्लेख किया कि तब जिसके आधार पर कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय लेखाओं के संकलनार्थ अनुमान भेजे थे संबंधित राज्य उसके अस्वीकरण से अवगत नहीं थे। विसंगतियॉ केवल राष्ट्रीय जीडीपी अनुमानों के साथ राज्य जीडीपी अनुमानों को संगत बनाने की प्रक्रिया के दौरान प्रकाश में आई। एनएससी ने देखा कि यह अच्छी सांख्यिकी पद्धति के विरूद्ध या, तथा डीएसी को निर्देश दिया कि राज्य अनुमानों से किसी विचलन तथा ऐसा करने के कारण राज्यों को निरंतर अवगत कराए।

(3) एनएससी ने देखा कि आईसीएस कार्यक्रम को एक बडे मानव संसाधन घटक का निरंतर आबंटन दूसरी रिपोर्टों तथा डेटा के न्यूनतम उपयोग में दिए गए औचित्य को प्रकट नहीं करता है।

(4) उपयोग की प्रकृति में स्वीकृत, एनएससी ने महसूस किया कि इस समय प्रत्येक वर्ष की बजाए प्रत्येक पॉच वर्ष में एक बार इस कार्य को करने का समान प्रयोजन दिया जा सकता है जिन्हें वैद्यनाथ समिति तथा राष्ट्रीय सेवा प्रभाग(एनएडी) द्वारा अभिज्ञात कृषि सांख्यिकी में बहुत से अन्य आंकड़ा अन्तरालों को देखते हुए, कृषि सांख्यिकी में मानव संसाधन के और अधिक कारगर उपयोग का एक उपयुक्त प्रस्ताव विकसित किया जाए तथा इस मामले को कृषि मंत्रालय के समक्ष उसको शीर्षस्थ नीति स्तर पर उठाया जाए।

एनएसएसओ में आंकड़ा प्रविष्टि का विकेंद्रीकरण करना

3.36 एनएसएसओ ने अपने एफओडी क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा में प्रायोगिक आधार पर एनएसएस के 68वें दौर की अनुसूचियों में भरी गई आंकड़ा प्रविष्टि लीं। एनएसजी ने गोवा में आयोजित अपनी 48वीं बैठक के दौरान एनएसएसओ(एफओडी) क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा का दौरा किया तथा एनएसएसओ द्वारा की गई पहलों की प्रशंसा की। एनएसजी ने 48वीं बैठक में इच्छा जाहिर की कि एनएसएसओ के विभिन्न अंचलों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ और राज्यों में प्रयोग बढाएं जाएं तथा साथ ही सूचीबद्ध अनुसूचियों को शामिल किया जाए। एनएससी ने यह भी इच्छा जताई कि पर्यवेक्षकों द्वारा कुछ गुणवत्ता जांच(रोड़ आदि के संबंध में) और ऑनलाइन जॉच तथा संपादन अगले प्रयोग में प्रारंभ किया जाए।

3.37 उक्त निर्देशन के अनुसार, एनएसएसओ ने गोवा, पुडुच्चेरी, सिक्किम, तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों में एफओडी कार्यालयों में 69वें दौर के लिए जारी रखे। एनएसएसओ के अधिकारियों ने अपनी 68वीं बैठक में एनएससी के समक्ष अनुभव पेश किए। एनएससी ने एक तथ्य के रूप में एनएसएसओ द्वारा की गई टिप्पणियॉ नोट की कि उन्होंने प्रयोग में पर्यवेक्षणों द्वारा ऑनलाइन जॉच और संपादन करने हेतु उपलब्ध नहीं कराया। महसूस किया गया कि आखिरकार एनएसएसओ की डीपीसी को एफओडी कार्यालयों से भरी हुई पेपर अनुसूचियों के प्रवाह का वितरण किए जाने की जरूरत है तथा इसे अंकीय आंकड़ों के प्रवाह से बदला जाना है। एनएसएसओ के समग्र कार्यकलापों की समीक्षा करते हुए मामलों पर एनएससी द्वारा आगे विचार किया जाएगा।

एनएसएसओ द्वारा सीएपीआई सॉफ्टवेयर का प्रयोग

3.38 विश्व बैंक के प्रतिनिधियों ने उनके द्वारा विकसित कम्पयूटर सहायता-प्राप्त वैयक्तिक साक्षात्कार(सीएपीआई) ओपन सॉफटवेयर पर एनएसएसओ(एफओडी) मुख्यालय में एक प्रस्तुतीकरण दिया। यह सॉफ्टवेयर एन्ड्रायेड आधारित टेबलेट उपकरणों का प्रयोग करते हुए गतिशील ढॉचों वाले जटिल सर्वेक्षणों को आयोजित करने में सरकारों, सांख्यिकी कार्यालयों तथा गैर-सरकारी संगठनों की सहायता करता है। विश्व बैंक टीम द्वारा यथा उल्लिखित सीएपीआई समाधानों के मुख्य लाभ हैं- टेबलटों का प्रयोग करके आंकड़ा संग्रहण, प्रविष्टि के समय आंकड़ा वैधीकरण परिणामों की सही समय पर उपलब्धता तथा आटोमेटिड सर्वेक्षण प्रबंधन। सीएपीआई सॉफ्टवेयर की निशुल्क पेशकश की जाती है।

3.39 एनएसएसओ के अधिकारियों ने विश्वबैंक द्वारा प्रारंभ किए गए सीएपीआई ओपन सॉफ्टवेयर के बारे में अपनी 69वीं बैठक में एनएससी के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने एनएससी को इस मुद्दे पर एक नोट भी भेजा। सॉफ्टवेयर में उपलब्ध विशेषताएं एनएससी द्वारा नोट की गई, एनएसएसओ द्वारा उल्लेख किया गया कि सीएपीआई समाधान एकल चरण के प्रतिचयन डिजाइन वाला सूची ढॉचे आधारित सर्वेक्षण के लिए अधिक उपयुक्त है। उन्होंने यह भी बताया कि एनएसएसओ के पेचीदा बहुचरणीय सर्वेक्षण के मामले में जहां द्वितीय चरण स्तर के विन्यास हों एरियल फ्रेम का प्रयोग करना एक चयनित एफएसयू में सभी परिवारों को सूची बनाने के उपरांत अपेक्षित होता है। अपनी वर्तमान विशेषताओं के साथ सीएपीआई समाधान उपयुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि यह सूचीबद्ध परिवारों संबंधी सांख्यिकी यादृच्छिक प्रतिचयन को सपोर्ट नहीं करता। एनएससी ने देखा कि यह सीमांकन मौजूदा प्रक्रियाओं के उपयुक्त आशोधन द्वारा किया जा सकता है।

3.40 उल्लेख किया गया कि आप्रेशनों की सूची बनाना पूरी करने के बाद, सीएपीआई के माध्यम से संग्रहित सूचीबद्ध आंकडे डाउनलोड किए जाने हैं तथा प्रतिदर्श एसएसयू का चयन करने हेतु प्रथम रूप से संभाले जाने हैं। अत: चयनित एसएसयू में आंकड़ा एकत्रीकरण सीएपीआई समाधान के अंतर्गत पृथक कार्यालयों के रूप में समझा गया है।

<u>आयोग की सिफारिशें</u>

3.41 एनएससी ने अपनी 69वीं बैठक में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित अनुशंसाएं की-

(1) प्रायोगिक आधार पर सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने हेतु विश्व बैंक को प्रतिबद्धता देने से पूर्व (जो बैंक की सहायता करने के लिए एक आवश्यकता प्रतीत होती है), एनएसएसओ को एनएसएसओ सर्वेक्षणों के लिए दूसरी उपयुक्तता के अधिक ब्योरों हेतु सॉफ्टवेयर के आंतरिक मूल्यांकन करने की जरूरत है तथा इस प्रयोजनार्थ वे यदि आवश्यक हों, विश्व बैंक के साथ वार्ता प्रारंभ कर सकते हैं।

(2) एनएससी को उपयुक्त अन्तरालों पर इस संबंध में विकासों का सार रखना चाहिए।

भावी एनएसएस हेतु इस वर्षीय चक्र के संदर्भ में एनएसएसओ के कार्यकलापों की समीक्षा

3.42 भावी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के लिए दस वर्षीय चक्र निर्धारित करने के संदर्भ में, एनएससी ने एनएसएसओ के क्रियाकलापों की समीक्षा की। यह नोट किया गया कि पहले से आगामी दस वर्षीय चक्र का निर्णय करने की एक पद्धति रही है। पैटर्न ने दस वर्षीय चक्र का अनुवर्तन किया कि यह पद्धति कि हाल के समय में यह प्रचलित रही है, जो पद्धति इस प्रकार है-

1) उपभोक्ता व्यय तथा रोजगार और बेरोजगारी-दो बार

2) अनियमित गैर-कृषिय उद्यम(निर्माण को छोडकर)-दो बार

3) भूमि और पशुधन होल्डिंग्स-एक बार

4) सामाजिक उपभोग(स्वास्थ्य और शिक्षा)-एक बार(छमाही सर्वेक्षण)

5) झुग्गी बस्तियों सहित घरों की स्थिति-एक बार(छमाही सर्वेक्षण)

6) ओपन राउन्ड -4 वर्ष(अन्य मंत्रालयों/विभागों की आवश्यकताओं के समायोजन हेतु

3.43 देखा गया है कि एनएसएसओ द्वारा नए विषयों पर सर्वेक्षणों के लिए विभिन्न मंत्रालयों से भारी मॉग है, इस समय एनएसएस आंकड़ों का केवल 25 प्रतिशत प्रयोग करने हेतु रखा जा रहा है। इस प्रकार, एनएसएसी ने सरकार के भीतर तथा बाहर विशेषज्ञों तथा प्रयोक्ताओं की राय स्पष्ट करना सोचा। इस प्रयोजनार्थ एनएससी के उदाहरण पर, एनएसएसओ ने अगस्त 2013 तथा अक्टूबर 2014 में दो अतिविशिष्ट सत्र संचालित किए।

3.44 प्रथम क्षेत्र स्टोर्मिंग सत्र की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित टिप्पणियां /अनुशंसाएं की गई:

(i) एनएसएस के दस वर्षीय चक्र को प्रतिबंधित करना आवश्यक नहीं किया जाए। इसके बजाए, ऐसे विषय के सुयोजन से एनएसएस सर्वेक्षण में कवरेज हेतु मूल

सांख्यिकी के और अधिक बार-बार किए जाने वाले सर्वेक्षणों पर विचार किया जाए, जिन पर आंकडे तैयार नहीं हैं ।

(ii) आंकड़ा अन्तरालों का पता लगाने की जरूरत तथा इन अन्त्रालों को कवर करने हेतु एनएसएस सर्वेक्षणों की जरूरत है।

(iii) सर्वेक्षणों के आगामी चक्र का निर्णय करते हुए, शामिल किए गए विषयों पर निर्भर करते हुए पैनल आंकडे तथा समय श्रृंखला आंकड़ों की जरूरत को ध्यान में रखा जाए।

3.45 उक्त रिपोर्ट के आधार पर, एनएससी ने महसूस किया कि बृहत प्रतिदर्श का प्रवेश जो कुछ विदेशों में व्यवहार में है एनएसएस में और अधिक विषयों, बेहतर सर्वेक्षण प्रबन्धन तथा लागत दक्षता के समायोजन के संबंध में और अधिक लचीलापन उपलब्ध कराता है। एक बृहत प्रतिदर्श के विकास के माध्यम से, एनएसएसओ शहरी ढांचा सर्वेक्षण ब्लाकों पर आधारित शहरी प्रतिचयन ढांचों की तैयारी की वर्तमान पद्धति से सम्बद्ध कुछ समस्याओं का निराकरण करने में समर्थ हो सकता है। इन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, एनएससी ने एनएसएस के 72वें दौर के कार्यकारी समूह को एनएसएस में एक बृहत प्रतिदर्श की व्यवहार्यता पर एक रिपोर्ट मांगते हुए कार्यकारी समूह की रिपोर्ट प्रतिक्षित है।

3.46 एनएसएस में सूचना प्रौद्यागिकी का उपयोग करने के अवसर को बढ़ाने वाले उपर्युक्त मुद्दे पर दूसरे ब्रेन स्टोर्मिंग सत्र में विचार किया गया।

3.47 एनएससी ने अपनी 73वीं बैठक में एनएसएसओ द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारियों तथा एनएसएसओ कार्यकलापों पर दो ब्रेन स्टोर्मिंग सत्रों के दौरान उत्पन्न मतों पर विचार किया गया। एनएसएसओ कार्यकलापों के दस वर्षीय चक्र पर बैठक में चर्चा में समग्र निर्णय निर्माण में प्रासंगिक होने के नाते निम्नलिखित बिन्दु नोट किए गए:-

क) पहले से ही निणर्य लिया गया है कि एनएसएस शहरी क्षेत्रों हेतु त्रैमासिक संकेतकों को उत्पन्न करने के श्रम बल संबंधी वार्षिक सर्वेक्षण तथा पीएलएफएस सर्वेक्षण के माध्यम से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए श्रमबल के वार्षिक अनुमान आयोजित करता रहेगा। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए यदि यह पंचवर्षीय ईयूएस सर्वेक्षण की कवरेज महत्तवपूर्ण रूप से संशोधित किए जाने की आवश्यकता होगी।

ख) एनएसएस के 72वें दौर के भाग के रूप में, एनएससी ने परिवार उपभोक्ता व्यय का प्रचार करने के लिए लघु अनुसूचियों के प्रयोग पर बडे पैमाने पर प्रयोग की

अनुशंसा की थी। यह कार्य वर्तमान में इस फिल्ड में है तथा इस प्रयोग की रिपोर्ट वर्ष 2016 के मध्य में कभी उपलब्ध होने की संभावना है। यह रिपोर्ट उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षणों के भावी ढांचे में महत्तवपूर्ण भूमिका निभाएगा।

ग) यह भी नोट किया गया कि क्षेत्र संकार्य प्रभाग के माध्यम से एनएसएस अनेक अन्य रूपों अथवा मूल्यों कृषि सांख्यिकी, ग्रामीण मजदूरी, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण करने तथा थोक मूल्य सूचकांकों और औद्योगिक उत्पादन सूचकों हेतु सहायक आंकड़ा संग्रहण करने में शामिल हैं। इसको देखते हुए महसूस किया गया कि एफओडी के मानव संसाधन प्रतिबन्धों की पूरी तरह से समझ हेतु एक दशकीय कार्यक्रम को अंतिम रूप देने की आवश्यकता होगी। एफओडी की स्वयं की जनशक्ति के साथ आउटसोर्सिंग के प्रयोग के समिश्रण के माध्य से कम संसाधनों से बेहतर माइलेज देने की संभाव्यता के साथ एफओडी से भावी सर्वेक्षणों के लिए मानव संसाधन उपलब्धता को वर्णित करने वाला एक नोट तैयार करने का अनुरोध किया गया।

3.48 उक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, एनएससी तत्संबंधी उल्लिखित रिपोर्टों/ब्योरों की प्राप्ति पर पुन: मामले की समीक्षा करेगा ।

अध्याय - 4

अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के सांख्यिकीय कार्यकलापों की समीक्षा

4.1 रिपोर्ट की समीक्षाधीन अवधि के दौरान, एनएससी ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अलावा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में कार्यान्वित किए जा रहे अनेक सांख्यिकी कार्यकलापों की समीक्षा की । सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय कुछ कार्यकलापों में उनके साथ सहयोग करता रहा है।

<u>मूल सांख्यिकी की सूची</u>

4.2 औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम शोधक उत्पादन उर्वरक, स्टील (दोनों एलॉय और गैर-एलॉय), सीमेंट तथा बिजली जैसे आठ मूल्य उद्योगों के आउटपुट को शामिल करते हुए, आधार वर्ष 2004-05 वाले मूल उद्योगों की मासिक सूची जारी करता रहा है, जिसका सीएसओ द्वारा जारी किए जा रहे औद्योगिक उत्पादन सूचनांक में 37.9% संयुक्त भार है।

4.3 मार्च, 2014 हेतु जारी आईसीआई ने एक वर्ष पूर्व से 2.5 % बढोतरी दर्शायी, परंतु डीआईपीपी में वर्ष 2014 की वृद्धि की परिगणना के आधार वर्ष को बदलते हुए 3.2% से 7% तक मार्च 2013 की वृद्धि में साथ-साथ संशोधन किया। जब फरवरी, 2013 की वृद्धि में एक वर्ष पूर्व अनुमानित 1.3% से 2.3% तक संशोधन किया गया तो विगत माह में डीआईपीपी द्वारा एक सदृश संशोधन किया गया। जनवरी 2013 संख्या एक माह पूर्व तक अनुमानित 3.7% से 8.3% तक संशोधित की गई।

4.4 मार्च, 2013 के लिए डीआईपीपी द्वारा जारी आईसीआई के सुधार पर मीडिया (दिनांक 2 मई 2014 का इकॉनामिक्स टाइम्स) में प्रतिकूल आलोचना हुई। चूँकि संशोधनों पर संदेह किया गया, एनएससी ने आंकड़ा स्रोतों, कार्यप्रणाली तथा प्रोटोकाल्स की समीक्षा की, और इसके बाद अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मुद्दों की जॉच करने के लिए आईसीआई का संकलन किया ।

(क) आईआईपी संबंधी विगत आंकड़ों (आईसीआई) में सुधारों का प्रभाव तथ्य दिया गया कि वर्तमान आंकड़ों के संबंध में आईआईपी के लिए तीन संशोधन उपलब्ध कराए जाते हैं, जो प्रथम रिलीज के तीन माह के भीतर होते हैं, परंतु विगत आंकड़ों के संबंध में नहीं होते।

(ख) क्या डीआईपीपी की आंकड़ों में सुधार की कोई नीति है, तथा यदि हॉ तो क्या इसका उल्लंघन किया गया है।

(ग) वे कारण जिन्होंने विगत आंकड़ों में सुधार को प्रोत्साहित किया तथा इसके लिए जिम्मेदार एजेंसियां

(घ) वर्ष के विलम्ब के साथ डीआईपीपी द्वारा विगत आंकड़ों में सुधार किए गए, एक ही बार नहीं, बल्कि वर्तमान सूचकांकों की मासिक रिलीज के साथ-साथ प्रयोक्ताओं पर प्रभाव छोड सकता है कि वृद्धि दरों में जोड़-तोड़ करने के लिए सुधार किए जा रहे हैं।

4.5 सचिव, डीआईपीपी, ने सीएसआई को संबोधित 19 जून, 2014 के अपने पत्र के तहत निम्नलिखित उल्लेख किया-

'आईसीआई का उद्देश्य अग्रिम संकेतक उपलब्ध कराना है और सामान्य आर्थिक क्रियाकलापों तथा अन्य औद्योगिक कार्यकलापों पर उनके संभावित प्रभाव के कारण, कितने उद्योग हैं जिनका उत्पादन निष्पादन 'मूल' है। यह आशय कभी नहीं रहा कि आईसीआई और आईआईपी समान होने चाहिए, विशेषकर जब औद्योगिक निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए किसी सरकारी विश्लेषण में समाज पत्र प्रयोग में लाया जाता है।

सीएसओ से कुछ समय से विदित है कि आईसीआई तथा आईआईपी में वैध कार्यप्रणालीगत अंतर है। इस बात पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है कि अपनी प्रकृति तथा आशय अनुसार आईसीआई एक 'अनन्तिम सूचकांक' है। आईसीआई में, पिछले वर्ष के तदनुरूपी माह के आंकडे संबंधित स्रोत एजेंसियों द्वारा यथाप्रदत्त संशोधित उत्पादन आंकड़ों का उपयोग करके केवल एक बार अर्थात वर्तमान माह के सूचकांक का संकलन करते वक्त संशोधित किए जाते हैं। आईसीआई संबंधी मासिक प्रेस रिलीज एक पाद टिप्पणी के जरिए संशोधन को स्पष्ट करती है। आईसीआई का लाभ है कि किसी भी समय आईसीआई में सम्मिलित किन्ही उद्योगों के वास्तविक उत्पादन निष्पादन की कोई क्रास-जांच प्रकट करेगी कि स्रोत एजेंसी द्वारा प्रचारित आंकड़ों तथा आईसीआई में प्रकाशित आंकड़ों के बीच कोई विसंगति नहीं है। इसके विपरीत आईआईपी आंकड़ा सेट के बारे में प्रचार हर प्रकार से वास्तविक उत्पादन आंकड़ों को सूचित नहीं करता।

मेरी सुविचारित राय में, अनुमानित कार्यप्रणाली तथा दो सूचकांकों के आशय में वैध अंतरों को समझे बिना मीडिया रिपोर्टों की व्याख्या करना तथा प्रतिक्रिया व्यक्त करना उचित नहीं होगा।

4.6 तदन्तर, डीआईपीपी ने आईसीआई के संकलन के लिए अनुपालित कार्यप्रणाली में व्यापक संकेतक करते हुए एनएससी को एक नोट भेजा। डीआईपीपी के अधिकारियों ने आईसीआई के संकलन में उनके अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों पर अपनी70वीं बैठक में एनएससी के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण दिया। इस नोट तथा प्रस्तुतीकरण से, एनएससी द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ नोट किया गया कि-

क) आईसीआई प्रत्येक माह के अन्तिम दिन (अथवा यदि माह का अंतिम दिन अवकाश हो तो अगले कार्य दिवस को) प्रकाशित किए जाते हैं, जो मासिक आईआईपी की रिलीज की तारीख से लगभग 12 दिन पहले हैं।

(ख) डीआईपीपी सीमेन्ट क्षेत्र पर आंकड़ों को छोड कर आंकड़ों की आपूर्ति के लिए अन्य विभागों/कार्यालायों पर निर्भर है,

(ग) किसी विशेष माह के आईसीआई संकलन करते समय, संबंधित स्रोत एजेंसियों (कुछ मामलों में, में उनके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं) द्वारा यथाप्रदत्त विगत वर्ष जिनका इस बीच संबंधित स्रोत एजेंसियों द्वारा पुन: सुधार किया जा सकता है, के तद्नुरूपी माह के नवीनतम उपलब्ध आंकडे लिए जाते हैं ;तथा

(घ) इस्पात मंत्रालय (संयुक्त संयन्त्र समिति) द्वारा आंकड़ों का संशोधन अत्यधिक अनियमित, विलम्बित तथा भौतिक लगता है, जो आईसीआई के संशोधन तथा परिणामी वृद्धि दरों को प्रभावित करते हैं।

4.7 एनएससी ने प्रस्तुत की गई आईसीआई के ढंग पर अपनी असंतुष्टि जताई तथा यह उल्लेख किया कि विगत वर्ष के इसी माह के संशोधित/अंतिम रूप दिए गए आंकडे तथा वर्तमान माह के अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर जारी की जा रही वृद्धि दरों अच्छी प्रथा प्रतीत नहीं होती। यह सूचित किया गया कि आईसीआई के लिए स्रोत एजेंसियां भी आईआईपी के संकलनार्थ प्रत्येक माह आंकडे भेजती हैं तथा संबंधित एजेंसियों द्वारा दिए गए आंकड़ा प्रवाह पर प्रतिबद्धताओं के आधार पर आईआईपी की संशोधन योजना तैयार की गई। आईसीआई के लिए इस पद्धति का प्रकट रूप से अनुपालन नहीं किया जाता है।

<u>आयोग की सिफारिशें</u>

4.8 उक्त के आलोक में, एनएससी ने निम्नलिखित अनुशंसाएं की-

1) डीआईपीपी या तो 11 माह बाद या 13 माह के पश्चात स्रोत एजेंसियों के संशोधित/अंतिम रूप प्रदान किए हुए आंकड़ों पर विचार करे तथा स्रोत एजेंसियों के परामर्श से निर्णय ले। परंतु 13 माह का दूसरा विकल्प एक बेहतर विकल्प लगता है। 12 माह के पश्चात संशोधन करने वाले आंकड़ों की वर्तमान पद्धति को बंद किया जाए।

2) स्रोत एजेंसियों को सीएसओ तथा डीआईपीपी को आंकड़ा प्रवाह की समय सीमा के संबंध में एक पृथक प्रतिबद्धता नहीं प्रदर्शित करनी चाहिए। स्रोत एजेंसियों द्वारा आईआईपी प्रयोजनों हेतु आंकडे भेजने के उपरांत भी आंकड़ों में भौतिक संशोधन एक अच्छी प्रथा नहीं है, तथा इसे दूर किया जाना चाहिए। यदि किसी स्रोत एजेंसी को विलम्बित जवाब या जवाब न मिलने के कारण आंकड़ा संग्रहण में परेशानियां हैं, तो एजेंसी को गुणवत्ता तथा समयपरकता सुनिश्चित करने के लिए सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के प्रावधान के अंतर्गत आंकडे संग्रहित करने पर विचार करना चाहिए ।

3) आंकड़ा प्रवाह की समय सीमा पर स्रोत एजेंसियों के परामर्श से डीआईपीपी द्वारा समीक्षा की जाए तथा उन्हें एक स्पष्ट तथा पारदर्शी संशोधन नीति लानी चाहिए, जो आईआईपी के मामले में सीएसओ द्वारा अमल में लाई गई है।

4) इस्पात मंत्रालय (संयुक्त संयत्र समिति) के मामले में, सीएसओ(ईएसडी) तथा डीआईपीपी समस्या वाले क्षेत्रों पर उनके साथ विस्तृत चर्चा करें। चर्चाओं के आधार पर, सीएसओ(ईएसडी) तथा डीआईपीपी चर्चाओं के दौरान किए गए सुधारों पर एनएससी को एक नोट भेजा जाए।

4.9 उक्त अनुशंसाएं दिनांक 15 सितंबर, 2014 तथा 24 सितंबर, 2014 के पत्राचार सं4(70)/ 2014 एनएससी के तहत डीआईपीपी तथा सीएसओ ईएसडी को प्रेषित की गई ।

(कार्रवाई डीआईपीपी, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय)

आईसीआई के आंकड़ों में संशोधनों का आईआईपी पर प्रभाव

4.10 सीएसओ(ईएसडी) ने आईसीआई की दो मदों नामत: (i) पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडेक्टस तथा (ii) स्टील जो आईसीआई आंकड़ों में संशोधन के लिए मुख्य योगदान

देते हैं, के संबंध में आईआईपी पर आईसीआई के आंकड़ों में सुधारों के प्रभाव को समझने के लिए एक अध्ययन कराया तथा एनएससी की एक रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया।

4.11 यह पाया गया कि वर्ष 2010-2011 (असंशोधित आंकडे लेते हुए) के तद्नुरूपी माहों की तुलना में प्रत्येक माह के संशोधित आंकड़ों का उपयोग करते हुए वर्ष 2011-13 माह की वृद्धि दरें आईआईपी के अनुसार उन माहों में वास्तविक वृद्धि दरों की तुलना में काफी बडा परिवर्तन दर्शाते हैं। दूसरी ओर, संशोधित आंकड़ों के साथ वर्ष 2011-12 के तदनुरूपी माहों की तुलना में संशोधित आंकड़ों के साथ वर्ष 2012-13 के माहों की वृद्धि दरें, वृद्धि दरों में महत्तवपूर्ण रूप से कम परिवर्तन दर्शाती हैं। वर्ष 2013-14 के माहों में भी समान मामला है।

4.12 पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडेक्टस तथा 'स्टील' के लिए फरवरी और मार्च 2013 की आईसीआई वृद्धि दरें जो क्रमश: फरवरी 2014 और मार्च 2014 में ऊर्ध्वमुखी संशोधित हुई थी, के संदर्भ में, नोट किया जाए कि तद्नुरूपी माहों के लिए आईआईपी संबंधी प्रभाव समान दिशा में नहीं था। परिवर्तनों की मात्रा तथा साथ ही परिवर्तनों की दिशा में अंतर से मालूम होता है कि डीआईपीपी को संशोधित आंकड़ों के प्रस्तुतीकरण के समय ढाँचा आकार और प्रतिक्रिया पद्धति में पर्याप्त परिवर्तन हो सकता था।

4.13 सीएसओ (ईएसडी) ने अपनी 71वीं बैठक में एनएससी के समक्ष उनके द्वारा किए गए उपर्युक्त अध्ययन पर एक प्रस्तुतीकरण दिया। इस अध्ययन रिपोर्ट में मूल वृद्धि दरों की तुलना में संशोधित वृद्धि दरों में काफी बडे अंतर के मुख्य कारण दर्शाए गए, जो इस प्रकार हैं-

क) 'पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडेक्टस' के लिए रिलाइन्स उद्योग लिमिटिड (आरआईएल), विशेष आर्थिक अंचल(एझईजेड) से अतिरिक्त आंकड़ों की प्राप्ति के मामले में आईसीआई पर डीआईपीपी द्वारा संशोधन प्रयोग में लाया गया, जिसमें पूर्वव्यापी आंकड़ों में संशोधन करना सम्मिलित किया गया। आईआईपी आंकडे आरआईएल, सेज आंकड़ों को नहीं रखते अथवा शामिल नहीं करते हैं, चूंकि ये आईआईपी आधार वर्ष (2004-05) में उपलब्ध नहीं होते। आईआईपी में आरआईएल, सेज आंकड़ों को सम्मिलित न करना एक अपूर्णता है।

ख) जेपीसी आईआईपी के प्रयोजन से रिपोर्टिंग की 21 मदों को शामिल करती है, जिनका आईआईपी बास्केट में संयुक्त भार 9.21% है। इसकी 14 मदों के एक सबसेट संबंधी आंकडे आईसीआई के प्रयोजनार्थ सूचित किए जाते हैं जिनका समग्र

आई आई पी में 6.68% का भार है। उत्पादों की प्रकृति के संबंध में इन 14 मदों की वास्तविक कवरेज में आईआईपी की तदनुरूपी मदों की तुलना में आईसीआई के मामले में काफी बडा अंतर है, यद्यपि आईसीआई में उनका संयुक्त भार(6.68%) आईआईपी तुलन आरेखन के अनुसार लिया गया है।

ग) देखा गया है कि जेपीसी ने तीन माह की निर्धारित अवधि से परे के आईसीआई के लिए संशोधित आंकडे उपलब्ध कराए हैं, जिनके तहत आंकड़ों को अंतिम रूप से अवरूद्ध किए जाने की उम्मीद है। जेपीसी की इस प्रकार की संशोधन पद्धति के परिणामस्वरूप, डीआईपीपी ने भी पूर्वव्यापी रूप से आंकडे संशोधित किए।

<u>आयोग की सिफारिशें</u>

4.14 पैरा 4.8 में की गई अनुशंसाओं को दोहराते हुए उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर एनएससी ने और अनुशंसाएं कीं, जो इस प्रकार हैं-

(1) आई आई पी में कवरेज के संबंध में, आईआईपी में आरआईएल, एसईजेड आंकडे शामिल न करने की कमी आईआईपी के प्रस्तावित संशोधन में पूरी की जानी चाहिए।

(2) नोटिस किया गया कि आईआईपी में आंकड़ा कवरेज आर्थिक रूप से गणना आधार तथा आर्थिक रूप से निर्धारित प्रतिदर्श आधार पर है। जब इन दोनों घटकों को एक साथ रखा जाता है तो व्याख्या में समस्या आ सकती है। सीएसओ(ईएसडी) अंतर-राष्ट्रीय मानकों/पद्धतियों के आधार पर विस्तृत रूप में इस घटक का अध्ययन करें तथा एनएससी को रिपोर्ट करें।

(3) नोटिस की गई मुख्य समस्या संबंधित सूचनादाताओं से स्रोत एजेंसियों द्वारा आंकड़ों की प्राप्ति में विलम्ब तथा डीआईपीपी और सीएसओ(ईएसडी) के आंकड़ा प्रवाह में परिणामी विलम्ब था। इस प्रकार, स्रोत एजेंसियों को गुणवत्ता तथा समयपरकता सुनिश्चित करने के लिए सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के उपलब्धियों के तहत उत्पादन आंकड़ों को संग्रहण करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए कहा जाए।

(4) सीएसआई ने उल्लेख किया कि रिपोर्टों (अनन्तिम और संशोधित) का रिलीज कलेन्डर सभी स्रोत एजेंसियों की सहायता पर आंकड़ा प्रवाह की समय-सीमा के आधार पर सचिवों की समिति के अनुमोदन से प्राप्त हुआ। सहमति-प्राप्त समय-सीमा से परे कुछ स्रोत एजेंसियों द्वारा आंकड़ों संबंधी अद्यतन जारी करना सचिवों की समिति के निर्णय का पालन न करने के तुल्य है। जब मामला आईआईपी के प्रस्तावित संशोधन

के संबंध में सचिवों की समिति में दोबारा उठाया जाए तो सीएसओ(ईएसडी) इस मामले की ओर संकेत करे।

4.15 उक्त अनुशंसाएं दिनांक 27 अक्तूबर, 2014 के पत्राचार सं 4(71)/2014-एनएससी के तहत सीएसओ (ईएसडी) को अग्रेषित की गई ।

(कार्रवाई: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा स्टील मंत्रालय के अंतर्गत इस्पात मंत्रालय तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से आईसीआई और आई आई पी का आंकड़ा प्रवाह

4.16 संयुक्त संयन्त्र समिति(जेपीसी) के अधिकारियों ने उनके द्वारा संग्रहित आंकड़ों, वैधीकरण के तौर-तरीकों तथा तत्संबंधी समस्याओं पर अपनी 71वीं बैठक में एनएससी के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिए। नोट किया गया कि सीएसओ (ईएसडी)द्वारा जेपीसी के साथ उनके परामर्श के दौरान समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। जेपीसी के अधिकारियों ने समय पर आंकड़ा संग्रहण में आने वाली कठिनाइयां बताई।

<u>आयोग की सिफारिशें</u>

4.17 उपलब्ध कराई गई जानकारियों के आधार पर, एनएससी ने निम्नलिखित अनुशंसाएं की-

(1) जेपीसी सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के उपबन्धों के अन्तर्गत आंकडे एकत्र करने के लिए उन्हें अधिकार देने हेतु इस्पात मंत्रालय में समक्ष मामले को उठाए।

(2) जेपीसी सेमी-फिनिस्ड स्टील की बिक्री तथा उत्पादन के संबंध में उत्पाद शुल्क एवं बिक्री कर विवरणियों जैसे वैकल्पिक स्रोतों से आंकडे एकत्र करे।

(3) रिफाइनरियों में आद्योपान्त निर्धारित अनुपात के रूप में उत्पादन के अनुमान के संबंध में, एनएससी ने सुझाव दिया कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय रिफाइनरियों से आउटपुट संबंधी आंकडे सीधे प्राप्त करें।

4.18 उपर्युक्त अनुशंसाएं 27 अक्तूबर 2014 के पत्राचार सं 4(71)/2014-एनएससी के तहत इस्पात मंत्रालय जेपीसी तथा पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय को अग्रेषित की गई।

(कार्रवाई: इस्पात मंत्रालय, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय)

थोक बिक्री मूल्य सूचकांक

4.19 औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) में आर्थिक सलाहकार का कार्यालय थोक बिक्री मूल्य सूचकांक संकलित करता है। डॉ सौमित्र चौधरी, तत्कालीन योजना आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में डब्ल्यूपीआई के आधार वर्ष में संशोधन संबंधी कार्यप्रणालीगत कारकों की देखरेख करने के लिए डीआईपीपी द्वारा एक कार्यकारी समूह गठित किया गया। आईआईपी और डब्ल्यूपीआई के लिए मद बास्केटों के संबंध में संकेन्द्रण रखने को दृष्टिगत रखते हुए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आईआईपी के संबंध में इस प्रयोजन के लिए इसी अध्यक्ष के अन्तर्गत अन्य कार्यकारी समूह का गठन किया। दोनों कार्यकारी समूहों ने अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं।

4.20 आईआईपी पर कार्यकारी समूह ने डब्ल्यूपीआई के संबंध में निम्नलिखित अनुशंसाएं की-

क) भारत में, राष्ट्रीय प्रणाली में अभी तक पीपीआई प्रारंभ नहीं की गई है । इस प्रकार, थोक बिक्री सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) का पिछली श्रृंखलाओं में एक अपस्फीतिक के रूप में उपयोग किया जाएगा ।

ख) डब्ल्यूपीआई और आईआईपी की मद बास्केटों का संयोजन करने का भी निर्णय लिया गया ताकि नई श्रृंखला में प्रत्येक मद समूह के लिए उपयुक्त अपस्फीतिक की उपलब्धता के परिणाम स्वरूप सर्वोत्तम संभाव्य मैपिंग हो सके।

ग) अब यह अनुशंसा की गई कि डब्ल्यूपीआई को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अथवा किसी राज्य अथवा केंद्रीय करों में शामिल नहीं किया जाएगा जो इसे अवधारणा के संबंध में उत्पादक मूल्यों में समीप लाते हैं।

4.21 डब्ल्यूपीआई संबंधित मामलों के संबंध में आईआईपी पर कार्यकारी समूह द्वारा की गई उक्त अनुशंसाएं डीआईपीपी के अधिकारियों द्वारा नोट कर ली गई हैं। वर्ष 2011-12 के आधार वर्ष के साथ डब्ल्यूपीआई मद बास्केट को सुसाध्य बनाने के लिए सीएसओ ने डीआईपीपी के साथ वर्ष 2011-12 की अपनी अनन्तिम मद बास्केट साझा की। आईआईपी की वर्ष 2011-12 की अनन्तिम मद बास्केट के लिए एएसआई तथा डीआईपीपी ढॉचों से अभिज्ञात फैक्ट्रियों की सूची डीआईपीपी के साथ भी साझा की गई है।

4.22 डीआईपीपी के अधिकारियों ने डब्ल्यूपीआई के संशोधन संबंधी कार्यकारी समूह की रिपोर्ट पर तथा तत्संबंधी की गई अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई पर अपनी 72वीं बैठक में एनएससी के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण दिया। डब्ल्यूपीआई के संशोधन कार्य में लाए जाने वाले प्रस्तावित परिवर्तन बैठक में डीआईपीपी के प्रतिनिधियों द्वारा बताए गए। पीपीआई तथा बीएसपीआई के संबंध में, डीआईपीपी ने बताया कि कार्यप्रणालियों के कारकों की देखरेख करने हेतु पृथक समितियॉ गठित की गई हैं।

4.23 कार्यकारी समूह की रिपोर्ट तथा 72वीं एनएससी बैठक में दिए गए प्रस्तुतीकरण से, एनएससी ने अन्य बातों के साथ-साथ नोट किया कि-

1) डब्ल्यूपीआई का नया आधार वर्ष 2011-12 होगा;

2) नई श्रृंखलाओं के लिए बास्केट में सामग्रियों की संख्या अनन्तिम रूप से 947 निर्धारित की गई है जिसे शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जाएगा;

3) एक अनन्तिम भारण आरेख तैयार किया गया है तथा इसे शीघ्र ही सुदृढ किया जाएगा;

4) वर्तमान मामले के अनुसार नया सूचकांक मासिक होगा;

5) प्रथमत:, मूल्य सापेक्षों के संबंध में रेखागणीतीय माध्य रखा जाएगा;

6) बिजली ने मुख्य समूह के मामले में, बिजली के उत्पादन का मूल्य बिजली उत्पादन का उपयोग करके तथा केंद्रीय बिजली प्राधिकरण द्वारा वार्षिक आधार पर देश में बिजली के विभिन्न उपयोगों (केन्द्रीय, राज्य, निजी) से संग्रहित आंकड़ों के आधार पर बिजली की बिक्री की अखिल भारत औसत दर द्वारा अभिनिर्धारित किया जाएगा;

7) विनिर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत मदें व्यवहार्य सीमा तक आईआईपी बास्केट में सम्मिलित की गई हैं;

8) मौसमी मदें, यदि उनका व्यापार किया गया हो, पूरे वर्ष सम्मिलित की जाएंगी; तथा

9) निर्धारित आधार सूचकांक प्रणाली जारी रहेगी तथा आधार संशोधन का कार्य प्रत्येक पांच वर्ष में किया जाएगा।

<u>आयोग की सिफारिशें</u>

4.24 एनएससी ने कार्यकारी समूह की रिपोर्ट स्वीकार की तथा और अनुशंसाएं इस प्रकार की:-

1) सीएसओ (एनएडी) डब्ल्यूपीआई नई श्रृंखला के लिए भारण आरेखन बनाने में आंकड़ों के उपयोग को सुसाध्य बनाने हेतु डीआईपीपी को 2011-12 आधार वर्ष वाले राष्ट्रीय लेखाओं की अपेक्षित गैर श्रृंखलाओं में सहायता करे।

2) कृषि सामग्रियों के संबंध में डब्ल्यूपीआई हेतु आंकड़ा संग्रहण के स्रोतों को कृषि मंत्रालय के परामर्श से विशेषकर अनिर्धारित मन्डियों, के संदर्भ में सावधानीपूर्वक नियत किया जाए। सामग्रियों की अदला-बदली तथा अन्य संभाव्य स्रोतों पर भी विचार किया जाना चाहिए

3) डब्ल्यूपीआई में मदों के वर्गीकरण के संबंध में एनआईसी का अनुसरण करना वांछनीय होगा, क्योंकि, एसएनए ढांचा कार्य तथा राष्ट्रीय लेखा एनआईसी का अनुसरण करेंगे। उपयोगकर्ता, विशेषकर वे जो अपस्फीतिकों के रूप में डब्ल्यूपीआई के कुछ घटकों का उपयोग करते हैं, एनआईसी के बाद डीआईपीपी को भी वरीयता दें। इसको देखते हुए, ईंधन और बिजली प्रमुख समूह के तहत कच्चे पेट्रोलियम को रखने के लिए पुनर्विचार अपेक्षित है। कोयला संबंधी कार्यकारी समूह की अनुशंसा को समान कारणों के लिए पुन: देखा जाए। यदि ईंधन खनिजों को ईंधन और बिजली प्रमुख समूह में शामिल किया जाना प्रस्तावित है, भार समायोजन बड़ी सावधानी से क्रियान्वयन किया जाना है तथा शिफ्ट की गई मदों के सूचकांको को प्रयोक्ता अनुकूल प्रणाली बनाने के लिए प्रमुख समूह के भीतर अलग से संकलित किए जाने की जरूरत होगी।

4) जहॉ कोई सामग्री मांग पर निर्भर करते हुए विभिन्न मौसमों में इसके विभिन्न आयामों में बेची जाती है, वहॉ बिक्री की औसत दर लेने में बिजली क्षेत्र के संबंध में रखा गया दृष्टिकोण परिस्थितियों में अनुकूल बनाया जाना उपयुक्त रहेगा। इस दृष्टिकोण में बडा परिवर्तन करते हुए, विनिर्देशनों के पूर्व निर्धारित सेट का पालन करने की बजाए, ऐसी सामग्रियों के लिए बेहतर प्रतिक्रिया तथा कारगर आंकड़ा संग्रहण सूग्राहय होगा। इस दृष्टिकोण का लगभग एक वर्ष या इससे अधिक के लिए मौजूदा दृष्टिकोण के संग पालन किया जाए तथा यदि नया दृष्टिकोण अच्छा कार्य कर रहा हो तो मौजूदा दृष्टिकोण को असतत किया जाए।

5) एक से अधिक फैक्टरी द्वारा उत्पादित की जा रही मदों के मामले में, सीएसओ (ईएसडी) ऐसी फैक्टरियां जिनमें अवरोही क्रम में उन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, की प्रत्येक फैक्टरी के उत्पादन में सापेक्ष शेयर तथा अभिनिर्धारण कोड सहित सूची ढॉचे का ब्योरा डीआईपीपी को भेजे। डीआईपीपी कवरेज हेतु तथा आरक्षी सूची में रखने हेतु फैक्टरियों को चुननें के लिए उपयुक्त मापदण्ड लागू करें।

6) आंकड़ा संग्रहण हेतु स्रोत निर्धारण के समय, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकताओं तथा व्यवहार्यता के साथ देश में मूल्य अंतरों के अभिग्रहण को ध्यान में रखा जाए।

7) आंकड़ा संग्रहण तथा प्रासंगिक प्रोटोकोल का समेकन सूचनादाताओं (कवरेज हेतु मदों को सामान्य किए जाने की आवश्यकता नहीं) के सामान्य सेट से डब्ल्यूपीआई तथा आईआईपी के आंकड़ा संग्रहण के संबंध में सीएसओ (ईएसडी) के साथ परामर्श से डीआईपीपी द्वारा कार्यान्वित किया जाए।

8) केन्द्र सरकार ने एक राष्ट्रीय आंकड़ा शेयरिंग और पहुँच नीति घोषित की, जिसे दिनांक 17 मार्च 2012 के ईश्यू संख्या में भारत के राजपत्र (साप्ताहिक) भाग-1-खण्ड-1 सन्दर्भ सं 50/ आईपीआई/2011, में प्रकाशित की गई। डीआईपीपी की इस नीति के अनुसरण में पब्लिक डोमेन में डब्ल्यूपीआई आंकड़ों को रखने की जरूरत है।

4.25 उपर्युक्त अनुशंसाएं 4 दिसंबर 2014 के पत्राचार सं 4(72)/2014-एनएससी के तहत आर्थिक सलाहकार, सीएसओ (ईएसडी) तथा सीएसओ (एनएडी) के कार्यालय को अग्रेषित की गई.

(कार्रवाई डीआईपीपी, सांख्यिकी और कार्यान्वयन कार्यालय मंत्रालय)

<u>खनन क्षेत्र सांख्यिकी</u>

4.26 खनन और उत्खनन क्षेत्र, अन्य प्रमुख खनिजों में कोयला, बाक्साइट, प्राकृतिक गैस और क्रोमाइट के महत्तवपूर्ण भण्डारण वाले भारत में, भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्तवपूर्ण घटक है। यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद में खनन क्षेत्र का हिस्सा सापेक्ष रूप से कम है, इसकी महत्ता को बिजली उत्पादन के लिए कोयला जैसे अर्थव्यवस्था के अनेक अन्य क्षेत्रों में बुनियादी सामानों/इनपुट मदों के रूप में खनिजों के उपयोग के कारण कम नहीं आंका जा सकता।

4.27 सीएसओ (एनएडी) तथा सीएसओ (ईएसडी) के अधिकारियों ने खनन क्षेत्र सांख्यिकी की स्थिति पर अपनी 71वीं बैठक में एनएससी के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिए। नोट किया गया कि खनन क्षेत्र तथा सापेक्ष क्रियाकलापों संबंधी सांख्यिकी केंद्र तथा राज्यों में अनेक विभागों को सम्मिलित करती है।

4.28 केन्द्र में खनन मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, कोयला मंत्रालय तथा परमाणु उर्जा विभाग में खनन के विभिन्न खण्डों को संचालित किया जाता है। विनिर्माण, निर्माण तथा व्यापार जैसे संबंधित क्रियाकलाप डीआईपीपी, सूक्ष्म लघु और मध्य उद्योग मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय (राष्ट्रीय भवन संगठन तथा वाणिज्य विभाग) में संचालित किए जाते हैं। खनन में संलग्न कार्य बल से संबंधित मामले श्रम और रोजगार मंत्रालय में निपटाए जाते हैं। इन स्रोतों से आंकड़ों के संग्रहण तथा सम्मिलन/समेकन के लिए कोई एकीकृत दृष्टिकोण नहीं है। संघ सूची(संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल न किए गए खननों के विनियमन तथा खनिज विकास राज्यों द्वारा संचालित किए जाते हैं तथा ये लघु खनिजों से संबंधित हैं। वह विधि जिसके तहत राज्य लघु खनिजों का अनुमान लगाते हैं केंद्र में उपलब्ध प्रतीत नहीं होती।

4.29 खनन, निर्माण, विनिर्माण तथा व्यापार कार्यकलापों का माध्यमिक उपभोग राष्ट्रीय लेखाओं में पाई गई कार्यप्रणाली में उचित रूप सम्बद्ध किया प्रतीत नहीं होता है। प्रथम दृष्टवया, दोहरी चूक प्रतीत होती है, जिससे इनपुट-आउटपुट तालिकाएं तैयार की जाती हैं उस विधि में स्थिति भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कुछ संबंधित कार्यकलाप रेजिड्यूरी श्रेणी 'अन्य' में आते हुए प्रतीत होते हैं। इन समस्याओं का निराकरण करने के लिए केन्द्र अथवा राज्यों द्वारा कोई बेंचमार्क सर्वेक्षण किया गया प्रतीत नहीं होता।

4.30 भारत के खनन क्षेत्र में सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण मुद्दों में से एक भारत के प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन का अभाव है। काफी सारे क्षेत्रों को तलाशना बाकी है तथा इन क्षेत्रों में खनिज संसाधनों का अभी मूल्यांकन किया जाना है। जाने-पहचाने क्षेत्रों में खनिजों का वितरण विषम है तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बहुत भारी अंतर है।

<u>आयोग की सिफारिशें</u>

4.31 उपर्युक्त समस्याओं को देखते हुए एनएससी ने निम्नलिखित अनुशंसाएं की-

1) एनएससी ने उस रीति पर अपनी चिन्ता जाहिर की जिसमें सीएसओ (एनएडी) खनन क्षेत्र और संबंधित क्रियाकलापों के संबंध में राष्ट्रीय लेखाओं को संकलित करता आ रहा है। देखा गया है कि जीवीए की इस क्षेत्र के संबंध में उचित गणना नहीं की जा रही है, क्योंकि किसी खण्ड के संबंध में इनपुट लागत उस क्षेत्र में अन्य खण्डों के

समान अनुपात में स्वीकार की जा रही है। एनएससी ने महसूस किया कि चूँकि बड़ी खनन कम्पनियॉ, जीवीए प्राप्त करना बडी समस्या नहीं हो सकती। एनएससी ने इच्छा जताई कि एनएडी राष्ट्रीय लेखाओं संबंधी सलाहकार समिति को कार्यप्रणाली में कमियों पर तथा उनमें लाए जाने वाले परिवर्तनों पर एक नोट प्रस्तुत करे।

2) खनन मंत्रालय स्टेलाइट इमेज आंकड़ों का उपयोग करते हुए उपलब्ध तथा पहले से उपयोग में लाए जा रहे संसाधनों (अवैध खनन सहित) के संबंध में सतही खनन का मूल्यांकन करने की संभावना को तलाशने के लिए अंतरिक्ष विभाग से परामर्श करे।

3) खनन क्षेत्र सांख्यिकी मे खनन से प्रारंभ करके, संबंधित निर्माण, विनिर्माण तथा व्यापार आदि एक जीवन चक्र के रूप में सभी कार्यकलाप आदर्शत: शामिल किए जाएं। चूँकि, ये घटक केंद्र तथा राज्य में अनेक मंत्रालयों द्वारा संचालित किए जाते हैं, वांछनीय है कि सीएसओ (ईएसडी) एक अवधारणात्मक और कार्यप्रणाली ढॉचा कार्य तथा सांख्यिकीय उत्पाद जिन्हें केंद्र और राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रकाशित किए जाने की जरूरत है, को निर्धारित करने हेतु एक मैनुअल प्रकाशित करें।

4.32 उपर्युक्त अनुशंसाएं दिनांक 27 अक्टूबर 2014 के पत्राचार सं 4(71)/2014 एनएससी के तहत सचिव, खान मंत्रालय, सीएसओ (एनएडी), तथा सीएसओ (ईएसडी) को अग्रेषित की गई।

(कार्रवाई: खान मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)

<u>कामकाजी वर्ग परिवार आय और व्यय सर्वेक्षण</u>

4.33 श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत श्रम ब्यूरो ने दिनांक 9-1-2014 के अ.शा. पत्र सं. 23/3/2013-सीपीआई - आईडब्ल्यू (एनएस) के तहत सीपीआई-आईडब्ल्यू के संशोधन कार्य के भाग के रूप में कामकाजी वर्ग के परिवार का आय और व्यय सर्वेक्षण (डब्ल्यूसीएफआई और ईएस) निष्पादित करने का एक प्रस्ताव तैयार किया। भारत के राजपत्र असाधारण भाग-।।। खण्ड-4 में 5 दिसम्बर 2011 को प्रकाशित अधिसूचना सं. 232 के तहत सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सांख्यिकी सर्वेक्षण संचालित करने संबंधी दिशा निर्देश के आलोक में, प्रस्ताव पर एनएससी द्वारा विचार किया गया। प्रस्ताव पर एनएससी द्वारा सहमति बनी और इसे एनएससी की कतिपय शर्तों और निबंधन के अध्यधीन 19 फरवरी 2014 को श्रम ब्यूरो को भेज दिया गया। एक शर्त यह थी कि श्रम ब्यूरो

टीएसी-एसपीसीएल के परामर्श से प्रस्तावित सर्वेक्षण संचालित करने के लिए कार्यप्रणाली तैयार करे तथा इसकी सहमति हेतु एनएससी को प्रस्तुत करे तथा सर्वेक्षण एनएससी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित कार्यप्रणाली के अनुसार किया जाए।

4.34 उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, श्रम ब्यूरो ने 10-11-2014 के अ.शा. पत्र सं. 23/3/2013-सीपीआई आईडब्ल्यू (एनएस) के तहत एनएससी के विचारार्थ डब्ल्यूसीएफआई और ईएस के संचालन हेतु कार्यप्रणाली पर एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया। श्रम ब्यूरो के अधिकारियों ने अपनी 72वीं बैठक में एनएससी के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण दिया।

4.35 भेजी गई सामग्री तथा 72वीं एनएसजी की बैठक में श्रम ब्यूरो द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण के आधार पर एनएससी ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बिंदुओं को नोट किया:-

1) प्रो. जी.के. चड्ढा की अध्यक्षता में सूचकांक समीक्षा समिति ने डब्ल्यूसीएफआई और ईएस हेतु आधार संशोधन सहित कार्यप्रणाली मुद्दों की देखरेख की ।

2) डब्ल्यूसीएफआई और ईएस के प्रतिचयन डिजाइन और सर्वेक्षण साधनों का ब्योरा टीएसी- एसपीसीएल द्वारा तैयार किया गया।

3) दो समितियों की अनुशंसाओं के आधार पर, श्रम ब्यूरो ने डब्ल्यूसीएफआई और ईएस में कुछ परिवर्तनों का प्रस्ताव रखा।

4) नया आधार वर्ष 2015 (कैलेण्डर वर्ष) होगा।

5) डब्ल्यूसीएफआई और ईएस में दो और क्षेत्रों, नामत: निर्माण और हथकरघों को शामिल करने हेतु सीपीआई-आईडब्ल्यू में उनके अन्ततोगत्वा समेकन को उद्देश्य से उनके लिए पृथक सूचकांकों का संकलन करके प्रायोगिक आधार का प्रस्ताव है।

6) कुल 88 केंद्र शामिल किए जाने प्रस्तावित हैं, इनमें 23 नए केंद्र शामिल हैं तथा 13 मौजूदा केंद्रों को बाहर निकाला गया है।

7) किसी केंद्र को न्यूनतम प्रतिदर्श आकार प्रचालन सुविधा हेतु परिवार बजट जांच के लिए 216 तथा घर के किराए के सर्वेक्षण हेतु 84 (18 तथा 7 प्रतिमाह की दर से) निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। 216 का समान प्रतिदर्श आकार इन क्षेत्रों को स्वतंत्र इकाई मानते हुए हथकरघा और निर्माण क्षेत्रों की प्रायोगिक व्याप्ति का प्रस्ताव था।

8) घर का किराया, जहां चेन आधार पद्धति का उपयोग किया जाएगा, को छोडकर सीपीआई- आईडब्ल्यू संकलनार्थ निर्धारित आधार की पद्धति का उपयोग किया जाएगा।
9) सर्वेक्षण संचालित करने हेतु एनएसएसओ (एफओडी) द्वारा पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कदम उठाए गए हैं।

<u>आयोग की सिफारिशें</u>

4.36 एनएससी ने निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन डब्ल्यूसीएफआई और ईएस के आयोजन हेतु श्रम ब्यूरो द्वारा प्रस्तावित सर्वेक्षण सामान अनुमोदित किए।

1) तेलंगाना और आंध्रप्रदेश राज्यों में शामिल किए जाने वाले केंद्रों के ब्योरे से संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाए।

2) यह प्रमाणित करने के अनुरोध के साथ कि प्रस्तावित सर्वेक्षण यदि आयोजित किया जाता है तो इसकी अनावश्यक पुनरावृत्ति नहीं होगी, श्रम ब्यूरो द्वारा नोडल अधिकारी (सांख्यिकी संग्रहण नियमावली 2011 के अंतर्गत) को औपचारिक हवाला दिया जाए नोडल अधिकारी के प्रमाण-पत्र की प्रति एनएससी को भेजी जाए।

3) घर के किराए संबंधी पर्याप्त आंकड़ों के प्रगहण करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं।

4) श्रम ब्यूरो सीपीआई-आईडब्ल्यू में उनके समेकन के बनाए हथकरघा और निर्माण कामगारों के पृथक सूचकांकों का पर विचार करे, क्योंकि ऐसे कामगारों की विशेषताओं में महत्तवपूर्ण अंतर होता है।

5) केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आंकड़ा शेयरिंग और पहुँच नीति घोषित की है, जिसे दिनांक 17 मार्च 2012 के भारत के राजपत्र (साप्ताहिक) भाग-1-खण्ड 1, संदर्भ सं 501-जीआई/2011 इश्यू सं 11 में प्रकाशित किया गया। श्रम ब्यूरो को इस नीति के अनुसार पब्लिक डोमेन में अपने आंकडे रखने की जरूरत है। आगे कहा गया है कि ज्यों ही सूचकांक स्थायी त्रिपक्षीय समिति के समक्ष रखें, श्रम ब्यूरो पब्लिक डोमेन में सूचकांक तथा आंकडे रखें, सूचकांक/आंकड़ों को जारी करने में किसी कठिनाई के मामले में, मामला एनएससी के समक्ष लाया जाए।

6) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लसपेयरे सूचकांक उर्ध्वग्रामी पूर्वाग्रही है, आधार संशोधन कार्य पांच वर्ष में एक बार किया जाना चाहिए। आधार वर्ष भविष्य में सर्वेक्षण वर्ष के रूप में संरेखित किया जाना चाहिए जिसमें एनएसएसओ उपभोग व्यय सर्वेक्षण संबंधी पंचवार्षिक दौर संचालित करता है।

4.37 उपर्युक्त अनुशंसाएं दिनांक 4 दिसंबर 2014 के पत्राचार 4(72)/2014 एनएससी के तहत महानिदेशक, श्रम ब्यूरो को अग्रेषित की गई।

(कार्रवाई: श्रम और रोजगार मंत्रालय)

कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं का सर्वेक्षण

4.38 देश में कौशल विकास कार्यकलापों के समन्वय और सुमेलन करने हेतु स्वायत्त निकाय (सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत सोसायटी के रूप में पंजीकृत) के रूप में आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत जून, 2013 में स्थापित राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी अब कौशल विकास और उद्यमवृत्ति मंत्रालय का भाग है।

4.39 एनएसडीए ने श्रम बाजार सूचना प्रणाली के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ की है तथा आर्थिक विभाग ने प्रक्रिया को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यक्ष एनएसडीए की अध्यक्षता में संचालन समिति गठित की। संचालन समिति ने 25 अक्तूबर 2013 को आयोजित अपनी प्रथम बैठक में अभिज्ञात किया कि व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं संबंधी सर्वेक्षण का अनुरोध एनएससी को किया जाना है। इस बैठक में, संचालन समिति ने महसूस किया कि सभी प्रशिक्षण प्रदाताओं की एक निर्देशिका बनाने की प्रणाली बनाई जाएगी जिससे अनुमान लगाया जा सके कि व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं का एक ढॉचा यथा समय उपलब्ध कराया जाएगा।

4.40 महानिदेशक, एनएडीए ने अध्यक्ष एनएससी को संबोधित दिनांक 5-11-2013 के अ.शा.पत्र सं 24003/02/2013 एनएसडीए के तहत अनुरोध किया कि कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं के सर्वेक्षण को एनएसएसओ द्वारा निष्पादित नियमित सर्वेक्षणों के भाग के रूप में शामिल किया जाए। बाद में, एनएसडीए ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित घटकों पर सूचना शामिल करते हुए अपनी 66वीं बैठक में एनएससी के विचारार्थ सिफारिश कागजात प्रस्तुत किया।

क) एसबीटीपी के संबंध में पहले से उपलब्ध सूचना

ख) प्रस्तावित सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्र की जाने वाली सूचना

ग) सूचना प्रदाता जिनसे सूचना एकत्र की जाने प्रस्तावित है,

घ) सरकारी एजेंसियों के नाम, जो सर्वेक्षण आयोजित करेंगी,

ड) सरकारी एजेंसियों के नाम जो सर्वेक्षण कार्यप्रणाली तैयार करने के लिए उत्तरदायी रहेंगी।

च) प्रस्तावित प्रमुख पैरामीटर सर्वेक्षण के माध्यम से अनुमानित हैं, तथा

छ) उन सरकारी एजेंसियों के नाम जिनके प्रचार आदि के प्रयोजन से आंकड़ों की अभिरक्षा होगी।

4.41 एनएसडीए ने अन्य बातों के साथ-साथ बताया कि प्रस्तावित सर्वेक्षण सरकार तथा निजी एसबीटीपी दोनों को शामिल करेगा तथा प्रमुख पैरामीटरों का अनुमान लगाने हेतु सर्वेक्षण में निम्नलिखित शामिल होंगे-

क) मौजूदा क्षमता - सरकार तथा निजी क्षेत्रों दोनों में

ख) यह क्षमता कैसे उपयोग की जा रही है तथा क्षमता उपयोग तय करने के कारण क्या हैं।

ग) क्षमता में कमी को पूरा करने की जरूरत है, तथा समय-सीमा

घ) प्राप्त किए जा रहे परिणाम तथा क्षमता उपयोगिता पर इसका वहन तथा अभ्यार्थियों का संघटन

ड) कौशल विकास प्रशिक्षण का किस तरह से निधियन किया जा रहा है- बाह्य सरकारी स्थान कितना है, जहां निजी निधियन का उपयोग किया जा रहा हो

च) उद्योग सम्बद्ध की डिग्री

छ) उक्त प्रत्येक पैरामीटरों के संबंध में कितने भिन्न क्षेत्र फेयरिंग हैं।

4.42 महानिदेशक, एनएसडीए ने एनएसएसओ के माध्यम से एसबीटीपी के सर्वेक्षण को संचालित करने के प्रस्ताव पर अपनी 66वीं बैठक में एनएससी के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण दिया।

<u>आयोग की सिफारिशें</u>

4.43 बैठक में विस्तृत विचार-विमर्शों के उपरांत, एनएससी ने निम्नलिखित अनुशंसाएं की:-

क) एनएसडीए द्वारा वांछित सभी सूचना एनएसएसओ द्वारा प्रयुक्त प्रतिदर्श सर्वेक्षण पद्धतियों के माध्यम से एकत्र नहीं की जा सकती। इसके आलोक में, एनएसडीए बहु-संभावित दृष्टिकोण पर विचार करने की आवश्यकता है।

ख) एसबीटीपी के सूची ढॉचे को तैयार करने हेतु प्रारंभिक बिंदु होगा। सीएसओ (ईएसडी) द्वारा की गई छठी आर्थिक गणना इस प्रयोजनार्थ उपयोगी हो सकती हैं।

एनएसडीए सीएसओ (ईएसडी) से शिक्षण/प्रशिक्षण में संलग्न स्थापनाओं की राज्यवार निदेशिकाएं प्राप्त करें तथा पहले से उपलब्ध/उनके द्वारा तैयार की जा रही सूची को अद्यतन करने हेतु इनका प्रयोग करे।

ग) एसबीटीपी की यह व्यापक सूची एसएसडीए तथा जिला उद्योग केंद्रों जैसे राज्य स्तरीय मशीनरी के माध्यम से गणना आधार पर अपेक्षित सूचना एकत्र करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

घ) तथापि, इसमें उद्यमों को शामिल नहीं किया जाएगा जो व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है, परंतु जिनके लिए यह प्रमुख कार्यकलाप नहीं है। इसमें सर्वाधिक उद्यमों को शामिल किया जाएगा जो जॉब प्रशिक्षण अथवा प्रशिक्षु प्रणाली उपलब्ध कराते हैं। आकार तथा व्यावसायिक कौशलों का अनुमान समय-समय पर एनएसएसओ द्वारा कराए गए उद्यम सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जा सकें। एनएसडीए वांछित आंकड़ों के संग्रहण हेतु एक उपयुक्त मॉडयूल को विकसित करे तथा आगामी एनएसएसओ उद्यम सर्वेक्षण में इसे शामिल करने के विचारार्थ एनएससी को इसे प्रस्तुत करें। इस मामले में अत्यावश्यक है क्योंकि आगामी उद्यम सर्वेक्षण वर्ष 2015-16 के लिए निर्धारित है।

ड) प्रशिक्षण की मॉग पर सूचनार्थ भावी एनएसएसओ परिवार सर्वेक्षणों में संभव समावेश हेतु एनएसडीए द्वारा उपयुक्त प्रश्न तैयार किए जाएं।

च) एनएसडीए को विविध स्रोतों से आ सकने वाले आंकड़ों का प्रबंध करने के लिए संस्थागत ढांचों को स्थापित करने की आवश्यकता होगी।

4.44 उपर्युक्त अनुशंसाएं 1 मई 2014 के पत्राचार सं 4(66)/2014- एनएससी के तहत महानिदेशक, एनएसडीए को अग्रेषित की गई।

(कार्रवाई: कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय)

<u>स्वास्थय सांख्यिकी</u>

4.45 एनएससी के दृष्टांत पर, सीएसओ (एसएसडी) ने विशिष्ट विषयों पर कागजात तैयार करने के लिए कुछ संसाधन व्यक्तियों को आमंत्रित किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत, डॉ चारू गर्ग ने स्वास्थ्य सांख्यिकी पर विषयगत पेपर में योगदान दिया। डॉ चारू गर्ग ने वैश्विक स्वास्थ्य कवरेज के संदर्भ में अपने कागजात में अन्य बातों के साथ-साथ 39 मूल सूचकांकों (स्वास्थ्य स्थिति पर 10 प्रभावी संकेतक; 9

उत्पादन/परिणाम संकेतक; तथा 20 इनपुट संकेतक) आंकड़ा स्रोतों और संबंधित गुणवत्ता मुद्दों का सुझाव दिया।

4.46 विषय कागजात के आधार पर, सीएसओ(एसएसडी) ने अन्य संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से एक परिचर्चा कागजात तैयार किया तथा अपनी 73वीं बैठक में एनएससी के समक्ष रखा। सीएसओ (एसएसडी) के अधिकारियों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा डॉ चारू गर्ग ने इस बैठक में भाग लिया। एसएसडी के अधिकारियों ने बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया।

4.47 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने बताया कि उन्होंने जिला स्तर पर लगभग 90 प्रतिशत कवरेज वाली स्वास्थ्य प्रबंधन वाली सूचना प्रणाली स्थापित की जो सुविधा-कर मासिक सूचना उपलब्ध कराती है। चूँकि स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली जिओ कोडिंग के क्षेत्रों को शामिल करती है, यह प्रत्येक सुविधा अथवा सुविधाओं के समूह की जनसंख्या व्याप्ति पर प्रयोक्ताओं द्वारा सूचना उपलब्ध कराना सुसाध्य बनाती है।

4.48 73वीं एनएससी बैठक में विचार-विमर्शों के दौरान माना गया कि स्वास्थ्य पैरामीटरों पर निजी क्षेत्र संबंधी डेटाबेस कमजोर है। एनएसएस के अलावा, जिनमें भविष्य में स्वास्थ्य संबंधित व्यय पर और अधिक केंद्रित कवरेज शामिल की जा सकती है, निजी क्षेत्र के अस्पतालों आदि से नियमित आधार पर सूचना एकत्र करने की आवश्यकता है। अपनी 32वीं बैठक (अप्रैल 2010) में, एनएससी ने नोट किया कि अनुसंधान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत अखिल भारत स्वच्छता और जनस्वास्थ्य संस्थान को कार्य संस्कृति में अनुसंधान अभिविन्यास प्रारंभ किया जाना चाहिए। इसमें एचएमआईएस में व्यावसायिकों को प्रशिक्षण देने तथा कारपॉरेट अस्पतालों से आंकडे संग्रहित करने में उनकी भागीदारी को बढाना शामिल है।

<u>आयोग की सिफारिशें</u>

4.49 उपर्युक्त जानकारियों पर विचार करते हुए, एनएससी ने निम्नलिखित अनुशंसा की-

क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के उपबन्धों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत निजी क्षेत्र स्वास्थ्य सांख्यिकी पर आंकड़ा संग्रहण प्रणाली संगत रखे।

ख) मृत्यु के कारण पर आंकड़ों के सूचक अवधारणाओं, वर्गीकरण तथा अन्य पैरामीटरों के बारे में संचेतना पैदा करे।

ग) एससी, एसटी और ओबीसी के महत्त्वपूर्ण आंकडे एसआरएस आंकडे प्रस्तुत किए जाने की जरूरत है। यदि विशेषताओं का अनुमान लगाने के लिए दिए गए वर्ष में प्रतिदर्श आकार अपर्याप्त हैं, उनके अनुमान लगाने के लिए तीन वर्ष के आंकड़ों के उपयोग करने की संभावना तलाशी जाए।

घ) स्वास्थ्य बीमा आंकड़ों के लिए, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) को एक स्रोत के रूप में समझा जाए तथा इरडा के परामर्श से एक नियमित आंकड़ा प्रवाह प्रणाली स्थापित की जाए।

ड) देखा गया कि डाक्टरों और नर्सों की संख्या संबंधी पंजीकरण आंकडे अपंजीयन और माइग्रेशन की देखरेख नहीं करते हैं, एक पद्धति प्रासंगिक कानून में आवधिक विवरणिका की प्रस्तुति/लाइसेंसों के आवधिक नवीनीकरण के लिए उपलब्ध करानी है। एक सर्वेक्षण अथवा गणना के माध्यम से इस आंकडे को अन्य पद्धति प्राप्त करा सकती थी। अन्य विकल्प भी तलाशे जाएं। वास्तव में प्रैक्टिसकर्ताओं से न कि उनसे जो पंजीकृत हैं, आंकडे प्राप्त करने का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए।

च) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय विषय पेपर में दिए गए ब्योरे के आधार पर परिचर्चा कागजात तथा उक्त सुझाव दें और केंद्र एवं राज्यों में और एचएमआईएस में सुधारों को और अधिक सुदृढ करने के लिए शोधकर्ताओं के लिए समस्त प्रयोक्ता मंत्रालयों/विभागों की कार्यशाला संचालित करें तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और यूएचसी के संदर्भ में सरकारी प्रतिबद्धता के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले संकेतकों को अंतिम रूप दे। गुणवत्ता कारक, अतिरिक्त आंकड़ा आवश्यकताएं तथा अतिरिक्त एजेंसियों जिन्हें समेकित किए जाने की जरूरत है कार्यशाला में मूल्यांकन किया जाए। जहां आवश्यक हो, नियमित आधार पर आंकड़ों से पुष्ट बनाने में राज्यों/संघराज्यों क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

4.50 उपर्युक्त अनुशंसाएं 29 जनवरी 2015 के पत्राचार से 4(73/2014-एनएससी के तहत सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को अग्रेषित की गई।

(कार्रवाई: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)